लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०—अंक २१ से ३२—दिनांक ६ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

अंक २१, सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ९०० से ९०४, ९०६, ९०७, ९०९, ९१२ से ९१४, ९१६ और ९१८ से ९२१ — २०८५–२१०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०५, ९१०, ९११, ९१५, ९१७, ९२२ से ९२८ और ४८७ — २१०८–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ — २११३–५०

मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में — २१५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २१५०

राज्य सभा से संदेश — २१५०–५१

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना — २१५१

कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव — २१५१–८३

दैनिक सक्षेपिका — २१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२९ से ९३६, ९३८ से ९४०, ९४२ से ९४८, ९५२ से ९५४ और ९५६ — २१८९–२२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३७, ९४१, ९४९, ९५१, ९५५, ९५७ से ९६२, ९६२-क, ९६३ से ९७९, ९७९-क, ९८० और ९८१ — २२१५–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३९० से १४६० — २२२७–६२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २२६२–६३

कार्य मंत्रणा समिति--

पन्द्रहवां प्रतिवेदन २२६३

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २२६३–२३०१

खण्ड २ और १ २२८५–२३००

पारित करने के लिए प्रस्ताव २३००

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक ---

विचार के लिए प्रस्ताव २३०१–०४

दैनिक संक्षेपिका २३०५–१०

अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९ २३११–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२ २३३६–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४ ३३५३–९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २३९०-९२

राज्य सभा से सन्देश २३९२

भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक---

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया २३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति---

ग्यारहवां प्रतिवेदन २३९३

कार्य मंत्रणा समिति-- पृष्ठ

पंद्रहवां प्रतिवेदन २३९३

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--

विचार के लिये प्रस्ताव २३९३–२४२१

खण्ड २ से ८ और १ २४१३–२०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २४२०

दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--

विचार के लिये प्रस्ताव २४२१–४३

दैनिक संक्षेपिका २४४४–५०

अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८ २४७५–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५ २४७७–२५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५०३–०४

राज्य सभा से सन्देश २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

व्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल २५०४–०५

समिति के लिये निर्वाचन २५०५

नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित २५०५–०६

सभा का कार्य २५०६

दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--

विचार करने का प्रस्ताव २५०६–५८

खण्ड २ से ६० और १ २५२०–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५५६

पृष्ठ

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक

और

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायें पर कर (वितरण) विधयक--
(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव ... २५५९–६६

दैनिक संक्षेपिका ... २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ ... २५७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ ... २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ ... २६०५–३२

सभा का कार्य ... २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि ... २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७---पुरःस्थापित ... २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे या ी किरायों पर कर (संशोधन) विधेयक---

विचार के लिये प्रस्ताव ... २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक---

खण्ड १ से ६ ... २६५१

पारित करने का प्रस्ताव ... २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधयक---

खण्ड १ से ६ ... २६५१

पारित करने का प्रस्ताव ... २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३—५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६—६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८—६९, २६७२—८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—पुरःस्थापित २६६९—७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण क लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१—८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८—८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९—२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४—२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४—२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७—३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२६, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५६, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८६ — २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ — २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध — २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश — २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित — २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित — २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित—

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव — २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव — २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव — २८३७–४६

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन — २८४६–६०

कार्य मंत्रणा समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन — २८५३

दैनिक संक्षेपिका — २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६० से ११६२, ११६४ से १२०२ और १२०४ — २८६७–६१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८६१–२६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७९५ और १७९७ से १८०२	२९०२–२९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२९२९–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२९३०–३१
वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२९३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२९३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२९३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२९३२–७२
सभा का कार्य	२९५८–५९
दैनिक संक्षेपिका	२९७३–७७
अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२९, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२९७९–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५९, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२९०, १२९०-क और १२९१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८९०, १८९२ से १८९६, १८९६-क, और १८९७ से १९०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति—

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति—

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति—

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७—९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१—९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के सम्बन्ध में ३०९५—९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८—३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५—२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३—३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— **पृष्ठ**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९, १३१०, १३१४, १३१९, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ... ३१५६–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९२१, १९२३ से १९२९, १९२९-क, १९३० से १९७७, १९७७-क, १९७८ से १९९३ और १९९५ से २०२७ ... ३१७९–३२२७

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ... ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ... ३२२८, ३२७९

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ... ३२२९–६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ... ३२६५–७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ... ३२७९

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ... ३२७९

दैनिक संक्षेपिका ... ३२८१–८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७९ से १३८७, १३९० से १३९५, १३९७ से १४०१ और १४१४ ... ३२८९–३३१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ... ३३१९–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८९, १३९६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ... ३३२०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ... ३३३५–८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ... ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३३८३–८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ... ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५–३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक——पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित किया गया ——	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक——वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१–४६
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४६–६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३–६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७–७४
अंक ३२। शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति——	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोक-सभा

गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रशासन

+

†*१०५३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री महन्ती :
श्री पाणिग्रही :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रशासन ने यह नई नीति अपनाई है कि वह विदेशी सरकारों द्वारा लाभ की दृष्टि से चलाये जा रहे उद्योगों को अमेरिकी सहायता निधि में से धन नहीं देगा ;

(ख) क्या इस नीति का भारत पर प्रभाव पड़ेगा इस बात का विचार किया गया है;

(ग) क्या इस नई नीति का भारत सरकार तथा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रशासन के बीच पहले से हुए करारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या भारत सरकार न अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रशासन को सरकारी क्षेत्र के किसी उद्योग के लिये ऋण अथवा सहायता देने के लिये कहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बात का कोई आशाजनक प्रत्युत्तर मिला है ?

†**वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत सरकार को किसी ऐसी नई नीति की सूचना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

292 L.S.D.—1.

(घ) तथा (ङ). आई० सी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रशासन) को उन परियोजनाओं की सूची दी गई है जिनके लिये कि हम उसकी सहायता का उपयोग करना चाहते हैं। वह उस पर विचार कर रहा है। इस सूची में सरकार के कुछ उद्योग भी सम्मिलित हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या सरकार का ध्यान कुछ भारतीय पत्रों में छपने वाली इस खबर की ओर नहीं दिलाया गया जो कि इस प्रशासन द्वारा नई नीति अपनाने के बारे में थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी ओर से प्रशासन से इस परिवर्तन के बारे में कुछ पूछने का प्रयत्न किया है?

†**श्री ब० रा० भगत :** हमने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को अवश्य देखा था। किन्तु क्योंकि प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं भेजी है इसलिये हम समाचार पत्रों की इस खबर पर अधिक विश्वास नहीं कर सकते।

†**श्री राधा रमण :** अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रशासन को कुछ योजनाओं की सूची भेजी गई है क्या मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं के लिये पहले कितनी राशि रखी गई थी और अब उस सूची में उनके लिये कितनी राशि दिखाई गई है?

†**श्री ब० रा० भगत:** हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की कुछ अविलम्बनीय योजनाओं की सूची भेजी है जिनके लिये इस सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये इस सूची की वार्षिक सहायता के अनुसार चलने वाली परियोजनाओं से तुलना नहीं की जा सकती है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष सम्पूर्ण अवधि के लिये है। इसलिये इसमें स्वभावतया अधिक राशि की व्यवस्था की गई है?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस सूची में सरकारी क्षेत्र के लिये कितनी राशि मांगी गई है और निजी क्षेत्र के लिये कितनी?

†**श्री ब० रा०भगत :** हमने लगभग ७५ योजनाएं भेजी हैं। इनमें से एक तिहाई निजी क्षेत्र की हैं दोनों क्षेत्रों की राशियों के बारे में मैं इस समय ठीक ठीक नहीं बता सकता।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या भारत सरकार ने इस प्रशासन से कथित नीति परिवर्तन के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा है?

†**श्री ब०रा० भगत :** हम प्रशासन से इक्के दुक्के अखबारों की रिपोर्टों का स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार:** हमें इस अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रशासन से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

†**श्री ब० रा० भगत :** कितने काल में?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** आज तक।

†**श्री ब० रा० भगत :** अभी तक हमें संयुक्त राज्य से अनेक प्रोग्रामों के अन्तर्गत जिसमें गेंहूं के लिये दिया गया ऋण भी सम्मिलित है, लगभग ४०० करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह योजनाएं कब भेजी गई हैं? क्या यह सूची विदेशी सहायता चीफ मिस्टर हॉलिस्टर की सेवा मुक्ति के बाद तथा नये चीफ की नियुक्ति के बाद भी भेजी गई हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** यह स्कीम अभी हाल ही में भेजी गई है । मैं ठीक तारीख तो नहीं बता सकता किन्तु मेरे विचार में यह कुछ ही सप्ताह पहले भेजी गई है ।

†**श्री राधा रमण:** क्या सरकार को कोई ऐसा समय बताया गया है जिसके अन्दर उसके द्वारा भेजी गई योजना पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** प्रशासन इन पर विचार कर रहा है, मैं आशा करता हूं कि इसी वित्त वर्ष के अन्दर उन पर विचार कर लिया जायेगा ।

†**श्री पट्टाभि रामन :** क्या सरकार ने अमेरिका को सामुदायिक विकास के लिये कोई ऋण देने के लिये कहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हमें सामुदायिक विकास के लिये अमेरिका से सहायता मिली है । मुझे उन सभी योजनाओं का स्मरण नहीं है जो कि हमने भेजी हैं तथा मैं कह नहीं सकता कि उनमें से कितनी सामुदायिक विकास के बारे में थीं । इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

वकीलों की फीस

*१०५५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जनता तथा वकीलों से अनुरोध किया है कि वे जन-हित के लिये अपनी फीस में १० प्रतिशत कटौती कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कहां तक सफलता मिली है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) तथा (ख) . वकीलों को अदा की जाने वाली फीसों को कम करने के लिये कोई अपील जनता से नहीं की गई है । जहां तक सरकारी मुकद्दमों का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर हाल ही में नई दिल्ली में हुए राज्य विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और यह निश्चय हुआ था कि राज्य सरकारें अपने विधि अधिकारियों से यह प्रार्थना करें कि वे वर्तमान तंगी के समय अपनी फीसों में स्वेच्छापूर्वक कम से कम १० प्रतिशत की कटौती स्वीकार करें । मुझे विश्वास है कि यह प्रार्थना की जा चुकी है किन्तु इस बारे में विधि अधिकारियों की ओर से किसी प्रत्युत्तर की सूचना नहीं मिली । मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना पर कलकत्ता के केन्द्रीय सरकारी पैनल के सब अधिवक्ता अपनी फीसों में १० प्रतिशत की कटौती करने के लिये सहमत हो गये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं विधि मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार ने जो देश में एक समाजवादी ढंग के समाज के ढांचे के सिद्धान्त को कबूल किया है तो क्या वे सिद्धान्त को वकीलों के फीस लेने देने सम्बन्धी क्षेत्र में कोई निरूपण करने जा रही है ।

†**श्री अ० कु० सेन :** हम वकीलों को सामान्यता कैसे कम फीस लेने के लिये मजबूर कर सकते हैं । अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो हमारा कार्य अवैधानिक कार्य कहा जायेगा । हम इस बात को तो वकीलों की सद्बुद्धि पर ही छोड़ सकते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या राज्यों के विधि मंत्री बार एसोसियेशनों से मिले हैं, यदि हां तो इसका क्या परिणाम रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** मेरी सूचना के अनुसार बार एसोसियेशनों को निर्धनों को वैधिक सहायता देने के लिये कहा गया था । जहां तक अन्य निजी मुवक्कलों के मुकद्दमों की फीस का प्रश्न है उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, और न ही ऐसा कहना शायद लाभदायक है ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** क्या न्यायपालिका के अधिकारियों से भी स्वेच्छा से ऐसी कमी करने के लिये कहा गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** अधिकतर न्यायिक अधिकारी राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं और उनके वेतन राज्यों की संचित निधियों पर आधारित हैं । राज्य सरकार ही उनसे यह बात कह सकती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों के बारे में क्या किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनसे जो कुछ भी बचेगा उससे फीसों में कमी नहीं होने की और न हीं वह राशि सरकार को मिलेगी ।

†**श्री विभूति मिश्र :** मैं जानना चाहता हूं कि कोई कम्पलशन तो नहीं है लेकिन क्या इस दिशा में कोई सक्रिय कदम सरकार उठा रही है कि जिस प्रकार जमीन की सीलिंग है, उसी प्रकार वकीलों के सम्बन्ध में कोई सीलिंग की जाय ?

†**श्री अ० कु० सेन :** माननीय सदस्य ने संसद् में यह अपील करने को कहा है । मैं इसे सूचना तथा प्रसारण मंत्री को दे दूंगा ताकि वह इसका प्रचार कर सकें।

सांस्कृतिक कार्य तथा शारीरिक शिक्षा

+

†*१०५६. { **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ में बचत के उपायों के कारण सांस्कृतिक कार्य तथा शारीरिक शिक्षा के लिये विधि में कमी की गई है; और

(ख) निधि में कमी करने के कारण यदि किन्हीं योजनाओं को रद्द किया जायेगा ; तो वे संभवत: कौन-कौन सी होंगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री सुबोध हासदा :** प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित योजनाओं को रद्द करने से कितनी धन-राशि बचाई गई ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ठीक-ठीक धनराशि तो मैं नहीं बता सकता, किन्तु यह लगभग २६ लाख रुपये होगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री बासप्पा :** क्या राष्ट्रीय अकादमी के लिये अपेक्षित भवन नहीं बनाये जायेंगे, और इसके काम के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** तीन राष्ट्रीय अकादमियों के लिये भवन बनाने के हेतु ६ लाख रुपये का प्रबन्ध था और यह योजना एक या दो साल के लिये स्थगित कर दी गई है।

†**श्री स० चं० सामन्त:** प्रश्न के भाग (ख) के बारे में माननीय मंत्री ने बताया कि १६५७-५८ के लिये सांस्कृतिक पक्ष की ओर तीन भवनों का निर्माण रोक दिया गया है। क्या इस काम को योजना काल तक के लिये रोका गया है और क्या उसको योजना के बाद प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने केवल इतना ही कहा था कि एक या दो साल के लिये काम रोक दिया गया है। हम अच्छे वक्तों की प्रतीक्षा में हैं।

†**श्री पट्टाभिरामन् :** क्या शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण योजनाओं के लिये नियत की गई राशि में कोई कटौती करने का प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** नहीं, श्रीमान्।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से यह स्पष्ट है कि सरकार दिल्ली में बुद्ध जयन्ती स्मारक बनाने के विचार को छोड़ना चाहती है। इस महत्वपूर्ण काम को छोड़ने का निर्णय करने के क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस विचार को पूर्णतः त्याग दिया गया है। विदेशी पूंजी की कुछ कठिनाइयों के कारण सरकार कुछ भवनों के निर्माण कार्य को स्थगित कर रही है। मैंने बताया कि हम अच्छे वक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इन भवनों के सम्बन्ध में यथा-समय विचार किया जायेगा।

†**श्री सूपकार :** पिछले साल अर्थात् १६५६-५७ में नियत की गई कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और क्या पिछले साल के लिये नियत की गई सारी धन-राशि का उपयोग कर लिया गया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पिछले साल के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

भिलाई में सहायक वर्कशाप और छात्रावास

†*१०५७. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई परियोजना में एक सहायक वर्कशाप और एक छात्रावास के निर्माण का ठेका बिना टेण्डर आमंत्रित किये एक गैर-सरकारी ठेकेदार को दे दिया गया; और

(ख) इस ठेके से किस अधिकारी का सम्बन्ध था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) परियोजना का सामान्य प्रबन्धक जो सरकार की स्वीकृति प्राप्त करता है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** भेजे गये टेण्डरों के होते हुये बातचीत के ज़रिये भिलाई इस्पात योजना में कितने ठेके दिये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे सूचना चाहिये । वहां कई टेन्डर हैं और कई कार्य दिये जाते हैं । मैं उन सब की और उन टेन्डरों की फेहरिस्त नहीं दे सकता । इसके अलावा यह एक ऐसा कार्य है जो हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** ऐसे मामले कितने हैं जिनमें इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा कई कार्यों के लिये ठेके सीधे दिये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** प्रश्न का आशय मेरी समझ में नहीं आया । टेन्डर आमंत्रित किये जाते हैं और ठेके हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा पूरे किये जाते हैं । मंत्रालय कोई ठेके नहीं देता ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** मेरा प्रश्न भिलाई परियोजना हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड को सौंपे जाने से पूर्व काल के बारे में है । जब यह बात इस मंत्रालय के अन्तर्गत थी ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** में सूचना चाहता हूं । माननीय सदस्य को उस विशिष्ट ठेके का उल्लेख करना चाहिये जिसके बारे में वे जानकारी चाहते हों ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में विस्तारभाषण

†*१०५८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली में विस्तार भाषण चालू करने की योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना किस प्रकार की है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २**]

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह विस्तार-भाषण योजना कितने केन्द्रों में चालू की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रस्थापना यह है कि सारा शहर १४ क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा और चालू शैक्षणिक सत्र में इन में से प्रत्येक क्षेत्र में एक पूरा शिक्षण-क्रम कार्यान्वित किया जायेगा । यह योजना अभी हाल ही में चालू की गई है और कुछ समय के बाद सभी केन्द्र इसके अन्तर्गत आ जायेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार सन्तुष्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापकों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध रहता है और क्या वहां के अध्यापक छात्रों की समस्याओं की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। यह योजना विस्तार भाषणों के शिक्षण-क्रम के सम्बन्ध में है और इन शिक्षण-क्रमों के लिये अपना नाम दर्ज कराने वाले गैर-सरकारी नागरिक भी होंगे । दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों और अध्यापकों के बीच घनिष्ट सम्पर्क के लिये पर्याप्त व्यवस्था है ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से यह स्पष्ट होता है कि विस्तार-भाषण दो प्रकार के होंगे । सामान्य शिक्षा पर भाषण तथा विशिष्ट भाषण । दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार है कि इन भाषणों को सुनने वालों को बाद में प्रमाण पत्र दिये जायें । क्या यह अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के परामर्श से किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, जहां तक मुझे विदित है यह दिल्ली विश्वविद्यालय की योजना है और उसका विचार है कि शिक्षण-क्रम पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दिये जायें ।

†**श्री बासप्पा** : वक्ताओं को किस आधार पर चुना जायेगा और क्या उन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी और यदि हां, तो कितनी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वक्ताओं को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा, केवल कुछ थोड़ा मार्ग-व्यय दिया जायेगा ।

हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स

***१०५९. श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स के की-बोर्ड के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) छपने पर, रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, चूंकि इस प्रश्न पर हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देर से देर कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जायेगा और कब तक उस पर अमल हो जाने की आशा की जाती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : रिपोर्ट तो अब हमारे सामने है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस पर निर्णय कर लिया जायेगा । इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी हाल में एक जापानी फर्म ने जो नये टाइप का टेलीप्रिंट बनाया है जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों तरह के अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, क्या इसमें उसका भी ध्यान रखा जा रहा है या कि यह एक स्वतंत्र वस्तु है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, हमारे यहां जो टेलीप्रिंटर हैं वे पांच यूनिट कोड के हैं और उनके टेलिप्रिन्टर छः यूनिट कोड के हैं। बात यह है कि हमारे यहां जो टेलीप्रिंटर हैं उनमें इंटरनेशनल फार्म्स आफ न्यूमरल्स होते हैं। बहरहाल अब गवर्नमेंट के पास वह सारी रिपोर्ट आ गई है, वह उसकी जांच करेगी और अन्तिम निर्णय तभी लिया जा सकेगा ।

उसमानिया विश्वविद्यालय

†*१०६०. **श्री झूलन सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमानिया यूनिवर्सिटी को अपने हाथ में लेने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : वहां की राज्य सरकार के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि राज्य सरकार का उस्मानिया विश्वविद्यालय को हस्तगत करने का विरोध उसको विश्वविद्यालय के रूप में रखे जाने के प्रति नहीं है वरन् उसको एक हिन्दी विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के प्रति है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि प्रस्ताव उस्मानिया विश्वविद्यालय को हस्तगत करके दक्षिण में एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का था । इसका भूतपूर्व हैदराबाद सरकार और वर्तमान आन्ध्र सरकार दोनों ने विरोध किया था और इस विरोध के कारण भारत सरकार ने समस्त प्रस्ताव को छोड़ देने का निश्चय किया है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या आन्ध्र सरकार ने यह वैकल्पिक सुझाव दिया था कि यदि भारत सरकार दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने की इच्छुक है तो उसे दक्षिण में एक नया हिन्दी विश्वविद्यालय खोलना चाहिये, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक सुविधाओं को छीना नहीं जाना चाहिये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार का इस समय दक्षिण में कोई हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार नहीं है ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : सरकार ने किन कारणों से विवश हो कर भाषा को विश्वविद्यालय का आधार बनाने के प्रश्न का विचार किया जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था । भाषा-विश्वविद्यालय की बात सोची ही क्यों गई ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि भाषा शिक्षा का सब से महत्वपूर्ण तत्व है और यह स्पष्ट है कि कालान्तर में विश्वविद्यालय स्तर पर हमारी अपनी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

+

†*१०६१. { **श्री वाजपेयी :**
श्री रामकृष्ण रेड्डी : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में नई दिल्ली में हुये अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) उसी समारोह पर १९५६ में कितना व्यय किया गया था ; और

(ग) इस वर्ष कार्यक्रम में क्या नई बातें सम्मिलित की गई थीं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) २.९८ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है परन्तु हिसाब अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) २.५४ लाख रुपये ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**]

श्री वाजपेयी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समारोह में देश के सभी विश्वविद्यालयों के युवक भाग लेते हैं, क्या सरकार इस समारोह को दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों में करने का विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इस पर विचार किया गया था लेकिन विचार करने के बाद यह निश्चित किया गया कि फिलहाल कुछ अर्से के लिए इसको दिल्ली में ही रखा जाये ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या किन्हीं अन्य विश्वविद्यालयों ने अगले वर्ष इस समारोह को अपने यहां आयोजित करने का प्रस्ताव किया था और यदि हां, तो सरकार ऐसे प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार क्यों नहीं कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उस प्रस्ताव पर विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक में विचार किया गया था परन्तु अच्छी तरह विचार किये जाने के पश्चात् यह निर्णय किया गया कि चूंकि यह समारोह एक नवीन प्रयोग है और उसने विद्यार्थियों और अध्यापकों में बहुत उत्साह उत्पन्न किया है, इसलिए उसे कुछ समय तक यहीं आयोजित किया जाना चाहिए और फिर हम उसको विभिन्न स्थानों में आयोजित करने का विचार करेंगे । इस समय सरकार उसे अन्य स्थानों में आयोजित नहीं करना चाहती है ।

†**श्री हजरनवीस** : क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है कि युवक समारोह की सुविधायें श्रमजीवी और मजदूर युवकों को भी प्रदान की जायें, विश्वविद्यालय के युवकों तक ही सीमित न रखी जायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह एक भिन्न प्रश्न है । मजदूर वर्गों को मनोरंजन की और अन्य सांस्कृतिक सुविधायें देने की सरकार की विभिन्न अन्य योजनायें हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में वेतन क्रम

†*१०६३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री २३ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका पुनरीक्षण किस प्रकार किया गया है; और

(ग) क्या पुनरीक्षण का प्रभाव सचिवालय कर्मचारियों के अतिरिक्त विभागों के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी, हां । मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत तीसरी श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के वेतनक्रम पुनरीक्षित किये गये हैं । संबंधित आदेशों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४**]

(ग) जी, हां । पुनरीक्षण में सचिवालय को सम्मिलित करते हुए समस्त विभागों के कर्मचारी आ जाते हैं ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या मनीपुर के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनक्रम अभी भी आसाम के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनक्रमों से कम हैं ?

†**श्री दातार** : हम ने आसाम के वेतनक्रमों के प्रतिमान का अनुसरण बराबर के पदों के लिए किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द माथुर** : क्या सरकार ने समस्त केन्द्रीय प्रशासित राज्य क्षेत्रों के लिए एकरूप वेतनक्रम रखे हैं ?

†**श्री दातार** : वे यथासंभव एकरूप हैं । परन्तु राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हम निकटवर्ती राज्य के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द माथुर** : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि वेतनक्रम एकरूप हों और स्थानीय परिस्थितियों के लिए स्थानीय भत्ते दिये जायें ?

†**श्री दातार** : सरकार जिस सिद्धान्त का अनुसरण कर रही है वह अधिक उपयोगी है ।

लन्दन के एक बैंक में भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का धन

†*१०६६. **श्री गजेंन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की जो दस लाख स्टलिंग से अधिक राशि लन्दन के वैस्ट मिन्स्टर बैंक लिमिटेड में पड़ी हुई है उसके संबंध में लार्ड-सभा के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि वह उस धन को नहीं देगी क्योंकि उससे पाकिस्तान के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों का भंग होगा, उसकी वसूली करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : वह मामला विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या इस मामले की चर्चा भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों के बीच होने वाली आगामी वार्ता में करने का कोई प्रस्ताव है?

†**श्री दातार** : सरकार इस मामले में कुछ लाइनों पर विचार कर रही है। उन लाइनों को इस अवस्था में बताना जनहित में नहीं होगा।

†**श्री कासलीवाल** : लार्ड-सभा के निर्णय से ऐसा मालूम होता है कि विभिन्न कारणों से उस धन को छोड़ना संभव नहीं होगा, परन्तु निर्णय में ऐसे संकेत हैं कि यदि ब्रिटिश संसद कोई अधिनियम पारित कर दे तो वह धन भारत को हस्तान्तरित किया जा सकता है। क्या सरकार ब्रिटिश संसद का अधिनियम पारित करवाने के इस प्रश्न का भी विचार कर रही है?

†**श्री दातार** : सरकार विभिन्न लाइनों का विचार कर रही है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, क्या सरकार उसे हेग न्यायालय को निर्दिष्ट करने का विचार कर रही है?

†**श्री दातार** : मैं इस अवस्था में सरकार को वचनबद्ध नहीं कर सकता।

आसाम में अशोधित तेल के परिवहन के लिये पाइप लाइन

†*१०६७. **श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहरकटिया और मोरान से तेल शोधन केन्द्र तक अशोधित तेल का परिवहन करने के लिए बिछाई जाने वाली पाइप लाइन के मार्गों के सर्वेक्षण में लगे हुए सार्थ का नाम क्या है; और

(ख) परामर्शदाता का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जाने की आशा की जाती है?

†**खान और तैल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका का इन्टरनेशनल पेट्रोलियम कन्सलटेंन्ट्स[1]।

(ख) मई, १६५८ के अन्त तक।

†**श्री हेम बरुआ** : शोधन-शाला स्थिति समिति[2] ने अपनी प्रस्थापना संख्या १ के अनुसार सिफारिश की थी कि १ करोड़ ५० लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता की एक शोधन-शाला स्थापित की जाय। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने दो शोधन-शालायें स्थापित करने का निर्णय कर लिया है, उन शोधन-शालाओं की क्षमता का किस अनुपात में विभाजन किया जायेगा?

श्री के० दे० मालवीय : सरकार इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकती है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शोधन शाला स्थिति समिति ने उत्पादन के दो नमूनों की सिफारिश की है, एक डीजल-तेल-लाल-कैरोसीन-मोटर-स्प्रिट[3] जैसा दूसरा उड्डयन स्प्रिट जैसा, मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित शोधन शालायें किस नमूने की होंगी?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस अनुपूरक प्रश्न का माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]International Petroleum Consultants.
[2]Refinery Location Committee.
[3]Diesel-oil-red Kerosene Motor-spirit bears.

अखिल भारतीय गजटियर

†*१०६९. { **श्री पद्म देव :**
श्री हेम राज :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय, राज्य और जिला गजटियरों के पुनरीक्षण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किन किन राज्यों ने राज्य और जिला गजटियरों के प्रकाशन के लिए योजनायें अंतिम रूप से तैयार कर ली हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५**]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि यह प्रश्न कई वर्षों से विचाराधीन रहा है, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को हिदायतें दे रही है कि इस बारे में शीघ्रता की जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात का अन्दाजा लगाया गया है कि सारे गजेटियारों का संशोधन करने में केन्द्रीय सरकार का कितना खर्चा होगा और राज्य सरकारें कितने खर्चे को वहन करेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, कुल व्यय का अनुमान लगभग ३५ लाख रुपए का किया जाता है । दूसरी योजना में ३५ लाख रुपए के उपबन्ध का संमोदन किया गया था परन्तु अब वह कम करके २५ लाख रुपए कर दिया गया है । मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता कि राज्य सरकारों का उसमें कितना व्यय होगा । वह किसी हद तक प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होगा ।

भारतीय इस्पात इंजीनियर[*]

१०७०. **श्री रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो पैंतालीस भारतीय इंजीनियर नवम्बर, १९५७ में इस्पात उद्योग में प्रशिक्षण के लिए रूस गए हैं, वे भारत सरकार के खर्चे पर गए हैं अथवा रूस सरकार द्वारा प्रविधिक प्रशिक्षण सहायता के अन्तर्गत ;

(ख) वे रूस में कितने समय तक रहेंगे और उनके प्रशिक्षण का सम्भावित व्यय कितना होगा; और

(ग) क्या वे वापस आने पर अपने वर्तमान वेतन से अधिक वेतन पाने के हकदार होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[*] Steel Engineers.

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) यह आशा की जाती है कि इन पैंतालीस इंजीनियरों के प्रशिक्षण का व्यय राष्ट्र संघीय प्रविधिक सहायता प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा ।

(ख) पहली बार में छै महीने । यदि आवश्यक हुआ तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है । प्रशिक्षण का व्यय प्रति अभियन्ता प्रतिमाह ९०० रूबल है ।

(ग) स्नातक शिक्षार्थियों को २५० रुपए प्रतिमाह वजीफा मिलता है और उन्हें अपने प्रशिक्षण काल में प्रदर्शित योग्यता के अनुसार ३००—५०० रुपए अथवा ३५०—८५० रुपए के वेतनक्रम में रखा जाता है । कनिष्ठ इंजीनियरों की नियुक्ति प्रारम्भ में भी ३५०—८५० रुपए पर की जाती है और वे उसी में रहे आते हैं ।

†श्री रामकृष्ण रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश से कितने इंजीनियर भेजे गये हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : किसी राज्य विशेष से चयन नहीं किया गया था । इसीलिए मैं यह नहीं कह सकता कि आन्ध्र के कितने इंजीनियर थे ।

†श्री रामकृष्ण रेड्डी : प्रवरण योग्यता के आधार पर किया जाता है अथवा वरिष्ठता के आधार पर ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मुख्य विचार उपयुक्तता का किया जाता है । योग्यता और वरिष्ठता का भी विचार किया जाता है ।

†श्री बासप्पा : क्या कोई इंजीनियर इस विचार से भेजा गया है कि जब वह लौट कर आए तो भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स का विकास करे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस दल में नहीं ।

†डा० गोहोकर : क्या इंजीनियरों ने भारत सरकार के साथ कोई समझौता किया है ? यदि हां तो कितने वर्षों के लिए ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : उनमें से सभी सरकार द्वारा नौकरी में रख लिए गए हैं । उन्हें इस अवधि में वजीफा मिल रहा है । समझौते की शर्त यह है कि प्रशिक्षण समाप्त करने पर वे सरकार की सेवा में, अपनी उपयुक्तता के अनुसार, बने रहेंगे । यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें बनाए रखा जाएगा, यदि नहीं, तो उनकी जगह अन्य लोग रख लिए जायेंगे ।

†श्री च० द० पांडे : क्या इंजीनियरों के ऐसे ही दल संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी भी भेजे गए हैं और क्या उनका व्यय भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वहन किया जाता है अथवा सम्बन्धित राज्यों द्वारा जहां वे भेजे गए हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जो इंजीनियर प्रशिक्षण हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका भेजे गये हैं उनका व्यय राष्ट्र संघीय प्रविधिक सहायता निधि द्वारा नहीं वरन् फोर्ड प्रतिष्ठान[5] द्वारा वहन किया जाता है, यदि मेरी स्मृति ठीक कार्य कर रही है । जो प्रशिक्षणार्थी ब्रिटेन गए हैं उनका व्यय कोलम्बो योजना के अन्तर्गत वहन किया जाता है । जो अभियन्ता पश्चिमी जर्मनी गए हैं उनकी वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं बिना जानकारी प्राप्त किए नहीं बता सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[5] Ford Foundation.

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या ये इंजीनियर प्रत्यक्षतः सरकार के कर्मचारी हैं अथवा उन्हें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा नौकर रखा गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उन्हें हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा नौकर रखा गया है।

†**श्री रंगा** : क्या उनमें से उन कर्मचारियों को, जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा नौकरी में लिए जाने के पूर्व ही सरकारी सेवा में थे अपनी पहली सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त होगा अथवा उन्हें नए सिरे से सेवा प्रारम्भ करनी होगी चाहे वह सरकार की सेवा में कुछ भी वरिष्ठता प्राप्त कर चुके हों ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जो लाग सरकारी नौकरी में थे उन्होंने पद के लिए प्रार्थना पत्र देते समय वैसा देखभाल कर ही लिया था और सोचा था कि मूल स्थान से यहां उन्नति की अधिक सम्भावनायें हैं । उन्हें विशेष पदों और विशेष वेतनक्रमों में विशेष स्तरों पर नियुक्त करते समय उनकी पहली सेवा और अनुभव का विचार किया जाएगा । मैं कोई पक्का नियम तो प्रतिपादित नहीं कर सकता जो ऐसे मामलों में लागू होता है । वह प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर रहेगा ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें सरकारी व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों को गैर-सरकारी उद्यम द्वारा लिया जा रहा है जबकि सरकार अपनी ओर से योजना का अवलोकन कर रही है ? यदि हां, तो क्या इन शर्तों को और कठोर बनाने की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है ताकि हमारे व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त प्रविधिज्ञ आसानी से गैर-सरकारी उद्यम में न जायें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: वास्तव में, इन प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में अपनाया गया नमूना इस प्रकार रखा गया है कि माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की आकस्मिकता का संकेत किया है उसकी पूर्ति उसमें हो जाती है । वे ऐसे प्रशिक्षणार्थी नहीं हैं जो प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं और लौटकर आने पर अपने लिए उपयुक्त नौकरी ढूंढ़ेंगे । इन प्रशिक्षणार्थियों के सम्बन्ध में यह तरीका नहीं अपनाया गया है । उन्हें नौकरी में ले लिया गया है और नौकरी में ही उन्हें अपनी प्रविधिक योग्यतायें बढ़ाने के लिए बाहर भेजा गया है । वे नौकरी में ही हैं । जब वह वापस आते हैं । तो उन्हें निर्दिष्ट पदों पर रखा जाता है ।

स्थायी पौंड पावना पर ब्याज[६]

†*१०७१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी पौंड पावना पर भारत को देय ब्याज की दर कितनी है ;

(ख) यह दर किन परिस्थितियों के अन्तर्गत निश्चित की गई थी ; और

(ग) क्या इंगलैण्ड में बैंक दर में क्रमिक वृद्धि को देखते हुए इसके पुनरीक्षण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) भारत के रक्षित बैंक के पौंड पावना का एक भाग ब्रिटिश सरकार की मध्यम काल प्रतिभूतियों[७] में विनियोजित है और शेष ब्रिटेन के राजहुंडियों[८] में । माध्यम काल प्रतिभूतियों पर २ प्रतिशत से लेकर ४।। प्रतिशत तक और राजहुंडियों पर $६^{१}/_{२}$ प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है ।

(ख) और (ग). दिनांकित प्रतिभूतियों[९] पर ब्याज की दरों का प्रशासन उनके निर्गमन की शर्तों द्वारा होता है जबकि राजहुंडियों पर ब्याज की दरें ब्रिटेन की बाजारी स्थिति के अनुसार समय

---

†मूल अंग्रेजी में

[६]Interest on Standing Sterling Balances.

[७] Medium dated Securities.

[८]Treasury Bills.

[९] Dated Securities.

समय पर बदलती रहती हैं। ब्रिटेन में बैंक दर में वृद्धि होने से राजहुंडियों पर ब्याज की दर चढ़ जाती है। इसलिए बैंक दर में वृद्धि होने के कारण पोंड पावना पर ब्याज का पुनरीक्षण कराने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : ब्याज की दरों का विनियमन किस प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जैसा मैंने बताया दिनांकित प्रतिभूतियों पर ब्याज की दरें २ प्रतिशत से ४।। प्रतिशत तक बदलती रहती हैं और ट्रेजरी बिलों पर बाजार की स्थिति के परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए उनको बदलने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इन २ प्रतिशत और ४।। प्रतिशत की दरों के निश्चय करने का मानदण्ड क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वे ब्रिटिश सरकार की प्रतिभूतियों हैं और जब वे जारी की जाती हैं उन पर ब्याज की दर निश्चित रहती है। जब रक्षित बैंक उन्हें खरीदता है तो वह यह पसन्द करता है कि किसे खरीदा जाय। कुछ प्रतिभूतियों में २ प्रतिशत ब्याज रहता है, कुछ में ३ प्रतिशत और कुछ में ४।। प्रतिशत भी। इसलिए दरें उस समय निश्चित की जाती हैं जबकि वे जारी की जाती हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : लन्दन में जो पौंड पावना है उसमें से कितनी राशि पेन्शनों आदि के भुगतान के लिए, जो स्वर्गीय श्री आर० के० शनमुखम् चेट्टी ने निश्चित की थी जो कि १९४८ में वित्त मंत्री थे, संचित की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सब प्रतिवेदन वही हैं। यह पुरानी कहानी है।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†*१०७२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें सरकार द्वारा अभी तक अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपनी पांचवीं और छठवीं बैठक में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही दी गई हो ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]।

†**श्री बासप्पा** : क्या परिषद् की शिफारिशों की क्रियान्विति के मामले में राज्य-सरकारें केन्द्र के साथ पूरा सहयोग कर रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कहना तो कठिन है कि वह "पूरी तरह" सहयोग कर रही हैं। लेकिन हमें राज्य-सरकारों का बड़ा सहयोग प्राप्त हो रहा है।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि संस्थापन, उपकरणों और अन्य कामों पर होने वाले भारी व्यय के कारण अधिकांश राज्य-सरकारों और विश्वविद्यालयों ने भारत सरकार को इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपनी असमर्थता की सूचना दे दी है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं। यह कहना ठीक नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों ने इस योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : अब तक इसे कितने प्रतिशत क्रियान्वित किया जा चुका है ? सिद्धान्त रूप में इसे भले ही स्वीकार किया जा चुका हो, लेकिन व्यय का प्रश्न भी तो है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वह प्रश्न के क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं क्योंकि यह प्रश्न अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पांचवीं और छठी बैठकों के बारे में ही था । मैं इसका जवाब देने के लिये तैयार तो हूं, लेकिन यह इस प्रश्न विशेष से प्रासंगिक नहीं है ।

†**श्री रंगा** : वह कहते हैं कि उन्होंने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । मैंने विश्वविद्यालयों और स्थानीय शासन की व्यय सम्बन्धी कठिनाइयों का प्रश्न उठाया था । इसीलिये मैंने पूछा था कि उन्होंने इस योजना को कितने प्रतिशत तक क्रियान्वित कर लिया है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा मैंने बताया, इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है जिसे देशमुख समिति कहा जाता है । हमने राज्य सरकारों से यह पूछा है कि वह इस योजना के सम्बन्ध में अपने अंश की व्यवस्था कर लेंगी या नहीं। इस सारे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । अधिकांश विश्वविद्यालायों सिद्धान्त रूप में इस योजना से सहमत हैं अब तो केवल उसकी क्रियान्वित के लिये अर्थोपाय करने का प्रश्न शेष है।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को यह लिखा है कि हायर सैकंडरी कक्षा-ग्यारहवीं कक्षा-खोलने के लिये कई करोड़ रुपयों की उत्तर प्रदेश सरकार को ज़रूरत होगी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है और क्या कोई आश्वासन दिया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उत्तर प्रदेश की सरकार से इस सम्बन्ध में मशविरा हो रहा है और जांच हो रही है कि किस तरह से वहां स्कीम लागू की जाय ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की खबर है कि सैकंडरी टीचर्ज़ के सम्बन्ध में यहां पर निश्चित की गई वेतन की सीमा को भिन्न राज्य सरकारों ने किस हद तक इम्प्लीमेंट किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मूल प्रश्न बहुत सीमित है । लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हूं । कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से अपने यहां के अध्यापकों की तनखाहें बढ़ा दी हैं, लेकिन उन्हें जो आंकड़े और तथ्य चाहिये वह मैं नहीं बता सकता ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना अतिरिक्त व्यय होगा और यह अतिरिक्त व्यय भार उठाने के लिये राज्य-सरकारों और विश्वविद्यालयों के पास क्या साधन हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य किस योजना का जिक्र कर रहे हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : पूर्व-विश्वविद्यालय योजना का ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: मैं यह कह दूं कि यह प्रश्न बहुत ही सीमित है । यह अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपनी पांचवीं और छठवीं बैठकों में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में है । इन बातों में से एक भी इन सिफारिशों से सम्बन्धित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगरा के केन्द्रीय आर्डनेंस डिपों मे चोरी

+

†*१०७३. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा के केन्द्रीय आर्डनेंस डिपो में "रीड्स कान्टेक्ट ब्री" की चोरी के बारे में जो विभागीय जांच शुरू की गई थी क्या वह समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच अदालत की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** :(क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या आर्डनेंस डिपोओं में चोरियां बढ़ रही हैं और यदि हां, तो सुरक्षा की कार्यवाही को दृढ़तर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राघुरामैया** : जैसा पिछली बार मैंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था, चोरियां बढ़ी नहीं हैं । वास्तव में सुरक्षा की कार्यवाही बढ़ा देने के कारण चोरियां बढ़ी हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या आगरा की इसी आर्डनेंस डिपो में कुछ चीजों की कमी है और यदि हां, तो इन चीजों को बिन कार्ड से मिला कर देखने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**श्री राघुरामैया** : यह प्रश्न कुछ चीजों के चोरी के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि तब से इन चीजों का पता चल गया है और यह वापस मिल भी गई हैं ।

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा दल का प्रतिवेदन

†*१०७४. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा सम्बन्धी दल का प्रतिवेदन सम्बन्धित अधिकारियों को किस समय दिया गया था ;

(ख) उसे जनता की राय मालूम करने के लिये किस समय जारी किया गया था ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और उनकी प्रतिक्रिया मालूम हो गई है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों ने अपने निष्कर्ष निकाल लिये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा सम्बन्धी दल ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं दिया है । उसके अन्तिम प्रतिवेदन पर २४ नवम्बर, १९५७ को हस्ताक्षर किये गये थे और २५ नवम्बर, १९५७ को उसे योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के सभापति के सामने रखा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनता की राय जानने के लिये इस प्रतिवेदन को निकाला नहीं गया है । लेकिन 'डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन' नामक अध्याय में दी गई उसकी प्रारूप सिफारिशों को जनता की राय जानने के लिये २० अक्तूबर, १९५७ को समाचार पत्रों को दे दिया गया था ।

(ग) दल ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले अपनी सिफारिशें राज्य सरकारों में परिचालित कर उन पर उनकी प्रतिक्रिया मालूम कर ली थी ।

(घ) अभी नहीं ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : ऐसा प्रतीत होता है कि इस दल ने जो अन्तरिम प्रतिवेदन निकाला था उसे लोक-मत जानने के लिये नहीं दिया गया था । हमने देखा है कि इस प्रतिवेदन के अंश समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे और उन पर सम्पादकीय लेख तक लिखे जा चुके हैं । इस सभा के सदस्यों को यह प्रतिवेदन वास्तव में ३ दिसम्बर को दिया गया था । सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेजने के तुरन्त बाद ही इसे सदस्यों को क्यों नहीं दिया गया ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैंने आरम्भ में ही बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया था कि सामुदायिक परियोजना सम्बन्धी दल ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया ही नहीं था और इसलिये उसके कुछ अंशों के प्रकाशित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । उन्होंने केवल लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बारे में केवल एक अध्याय ही प्रकाशित किया था और उसे लोक-सभा पटल पर भी रख दिया गया था । इसलिये मैं तो नहीं समझता कि सभा को इस सम्बन्ध में किसी जानकारी से वंचित रखने का प्रयास किया गया है ।

श्री पाणिग्रही : यह प्रतिवेदन आ जाने के बाद क्या भारत सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन से सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों को कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : प्रतिवेदन पर इस समय विचार किया जा रहा है और सामुदायिक विकास मंत्रालय एक लेख तैयार कर रहा है जिसे सामुदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति और सामुदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की संयुक्त बैठक में भी उस पर विचार किया जायेगा । तब वह राष्ट्रीय विकास परिषद् को अपनी सिफारिशें भेजेगी जो प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से स्वीकार करेगी । प्रतिवेदन स्वीकृत होने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : प्रतिवेदन की भूमिका में, पृष्ठ २ पर यह कहा गया है कि :

> "इन चर्चाओं और संकलित सामग्री के अध्ययन के आधार पर हम कुछ अस्थायी निष्कर्षों पर पहुंचे हैं और हमने अस्थायी सिफारिशें की हैं । इन्हें राज्य सरकारों को भेजा गया था और बाद में हमने उन से बातचीत भी की थी ।"

क्या राज्य सरकारों को भेजी गई सिफारिशों की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के पास भी भेजी गई थी और क्या इसी प्रतिवेदन को अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं माना जा सकता ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे नहीं मालूम । हो सकता है कि समिति ने अपने कार्य के दौरान में राज्य-सरकारों को कुछ सिफारिशें अथवा कुछ बातें भेजी हों, और मेरा ख्याल है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात उनके निर्देश-पदों में शामिल थी। जब तक समिति ऐसा न कहे तब तक मैं तो नहीं समझता कि इसे अन्तरिम प्रतिवेदन माना जा सकता है।

†**श्री रघुवीर सहाय** : १८ नवम्बर, १९५७ को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इस समय संबंधित अधिकारियों से सिफारिशों के बारे में चर्चा की जा रही है और प्रतिवेदन के अन्तिम रूप में आते ही उसकी प्रतियां लोक सभा पटल पर रख दी जायेंगी और सदस्यों को भी दे दी जायेंगी। क्या अब भी संबंधित अधिकारियों से इस मामले में परामर्श करना आवश्यक है?

†**श्री ब० रा० भगत** : पता नहीं वह किस प्रतिवेदन का जिक्र कर रहे हैं। मुझे इस प्रश्न की जांच करनी पड़ेगी।

पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापक

+

†*१०७५. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन-क्रम बढ़ाने के लिये कोई अनुदान मंजूर किया है;

(ख) क्या पंजाब विश्वविद्यालय ने वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक इस संबंध में आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकार और/अथवा विश्वविद्यालय अभी विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन के पुनरीक्षण से पड़ने वाले व्यय का २० प्रतिशत भार उठाने को राजी नहीं हुए हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पंजाब विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संबंध में कितनी राशि मांगी थी?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पंजाब सरकार ने कहा था कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने से जो व्यय बढ़ेगा उसका २० प्रतिशत भाग देने के लिये वह तैयार है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह व्यय उठाने में असमर्थ हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निश्चय किया कि वह अपना अंश तब तक नहीं देगा जब तक विश्वविद्यालय अथवा राज्य-सरकार भी उतनी ही राशि न निकाले।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या पंजाब सरकार अथवा पश्चिमी पाकिस्तान से स्थानांतरित होने वाले कुछ स्कूल कालेजों ने यह विशेष अनुरोध किया है कि उनकी वित्तीय कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए यह शर्त उठा दी जाय?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पुनर्वास मंत्रालय इस बात पर विचार कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेसिक और प्राइमरी शिक्षा

+

†*१०७६. { **श्री सुबोध हासदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रति छात्र व्यय प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(ग) क्या व्यय को कम करने के लिये कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां, आमतौर पर अधिक है।

(ख) अलग अलग जगहों पर अलग अलग है ।

(ग) व्यय अभी भी कम है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हासदा** : बेसिक स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रति छात्र पर होने वाले व्यय में अन्तर होने के क्या कारण हैं;

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है । आसाम में ५.२ का अनुपात है; केरल में १७ प्रतिशत, मैसूर में ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत, राजस्थान में २४ प्रतिशत, उड़ीसा में ७७.७ प्रतिशत, दिल्ली प्रशासन में २० प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में ५० प्रतिशत है मनीपुर में तिगुना अधिक है, और त्रिपुरा में ६.६ प्रतिशत अधिक है । अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि बेसिक स्कूल से पास करने वाले छात्र जब माध्यमिक स्कूलों में जाते हैं तब वहां माध्यमिक स्कूलों में चलने वाले पाठ्यक्रम में नहीं चल पाते और अभिभावकों को वहां भी अधिक व्यय उठाना पड़ता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न समय समय पर उठता रहता है । हम ने माध्यमिक स्कूलों को यह परामर्श दिया है कि वह माध्यमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम भी बेसिक स्कूलों जैसा ही बना लें और जहां तक हमें मालूम है अधिकांश राज्यों में इस संबंध में कुछ भी दिक्कत नहीं है । एक या दो राज्यों में कठिनाई है और राज्य-सरकारों से उनके संबंध में बातचीत चला भी रहे हैं ।

†**श्री नंजप्प** : मद्रास का अनुपात क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मद्रास में व्यय अधिक तो है लेकिन अनुपात की प्रतिशत का पता नहीं लग सका । राज्य-सरकार से हमें कुछ भी आंकड़े नहीं मिले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास

+

†*१०७७. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास तैयार कराने के लिये अंतिम रूप से कोई निश्चत अवधि निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास की अधिकृत प्रति कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). कोई निश्चित अवधि तो निर्धारित नहीं की गयी है लेकिन अब यह अनुमान लगाया गया है कि इस इतिहास को लिखने और प्रकाशित करने में लगभग चार वर्ष लगेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिए सरकार को कौन कौन सा मैटीरियल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस की वजह से इस के लिखने में देरी हो रही है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मैटीरियल तो काफी इकट्ठा हो गया है । जो बोर्ड नियुक्त हुआ था उस ने भी काफी मैटीरियल इकट्ठा किया है, लेकिन फिर भी इतिहास अब तक नहीं लिखा जा सका । अब गवर्नमेंट ने यह काम डा० तारा चन्द को सौंपा है और आशा की जाती है कि तीन या चार वर्षों में यह इतिहास लिखा जायेगा ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि जो काम डा० तारा चन्द को सौंपा गया है, वह केवल उन्हीं को सौंपा गया है या उन के साथ कोई और भी संगठन या आदमी दिये गये हैं जो कि इस काम में लगेंगे । दूसरे मैं क्या यह भी जान सकता हूं कि जो रिपोर्टें अब तक आप के पास आ चुकी हैं उन में तमाम स्टे ्स शामिल हैं या कोई स्टेट्स ऐसी भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : करीब करीब सभी स्टेट्स से आ गई हैं और जैसा मैं ने अभी बताया, काफी मसाला इकट्ठा हो गया है । अब तो डा० तारा चन्द पर, जो कि इतिहास लिखने वाले हैं, निर्भर करेगा कि उन को कौन मसाला और एकत्र करना है । डा० तारा चन्द ने जो सहायता मांगी है उन में दो सीनियर स्कालर और दो जूनियर स्कालर तथा कुछ क्लेरिकल स्टाफ हैं । फाइनेन्स मिनिस्ट्री से इन की मंजूरी ली जा रही है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इस कार्य में अब तक कितने वर्ष लग चुके हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स बोर्ड की स्थापना का निर्णय १९५२ में किया गया था । बोर्ड की अवधि १९५५ में समाप्त हो गयी थी । बाद में कुछ कार्य राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया था और अब यह कार्य डा० तारा चन्द के सुपुर्द किया गया है । माननीय सदस्य यह बात समझते होंगे कि यह कार्य काफी कठिन प्रकार का है । हम वास्तव में आला दर्जे का इतिहास

---

†मूल अंग्रेजी में

लिखाना चाहते थे और हमें आशा है कि डा० तारा चन्द की सहायता से हम इसमें सफल भी हो जायेंगे ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या यह इतिहास "स्वातंत्र्य संघर्ष के सौ वर्ष" नामक फिल्म के आधार पर लिखा जायेगा या उससे कुछ भिन्न होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ब्यौरे की इन सभी बातों के संबंध में अभी निश्चय किया जाना है । जहां तक अवधि का श्न है, और डा० तारा चन्द ारा काम हाथ में लिये जाते ही मैं सभा को ब्यौरे की आम बातें बता सकूंगा ।

†**डा० सुशीला नायर** : हालांकि काफी बहुमूल्य सामग्री एकत्र की जा चुकी है फिर भी अभी बहुत सी बहुमूल्य सामग्री ऐसी है जो इधर उधर बिखरी हुई है और कुछ स्थानों पर तो लोग इसे देना भी चाहते हैं । ऐसी सामग्री को एकत्र करने के लिए, जो इतिहासकारों के लिए काफी कीमती सिद्ध हो सकती है, सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? एक प्रश्न तो यह है और यदि मझे दूसरा प्रश्न पूछने ' अनमति दी जाये तो........

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, एक बार में एक ही प्रश्न पूछि । माननीय सदस्य ो स्वयं अध्यक्ष रह चुकी हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५२ में जिस सम्पादक मण्डल की स्थापना की गई थी उसने, जैसा मैं बता चुका हूं, सभी उपलब्ध सामग्री एकत्र कर ली थी । यह सम्भव है कि कुछ सामग्री अब भी कहीं छिपी पड़ी हो और मुझे आशा है कि उस सामग्री को इतिहासकारों को देकर लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे मालूम है । प्रत्येक माननीय सदस्य को केवल एक ही प्रश्न पूछना होता है । श्री भक्त दर्शन ।

गढ़वाल का भूतत्वीय सर्वेक्षण

***१०७८. श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में रूपगंगा नदी की घाटी में गन्धक के भण्डारों की जांच-पड़ताल के संबंध में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने इस बीच क्या कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि अभी तक कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह जांच-पड़ताल संभवतः कब तक पूरी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) से (घ). भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने गढ़वाल जिले में रूपगंगा की घाटी में सुतोल गांव के समीप गंधक के भूभंडारों की शुरूआत की जांच पड़ताल कर ली है। गंधक गांव से लगभग दो मील उत्तर पूर्व में जलमार्ग[10] में मिट्टी के साथ मिली हुई पीले सबलीमेट[11] के रूप में प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में गंधक युक्त हाइड्रोजन निकलती है जिससे गंधक छोटी छोटी मात्रा में इकट्ठी होती जा रही है। गैस शायद कुछ गन्धक के चश्मों से बाहर निकल रही है जिनका स्थान मालूम नहीं है। यह भूभंडार आर्थिक रूप से लाभप्रद दिखाई नहीं देता है लेकिन देश में स्वदेशी गंधक की कमी को ध्यान में रखते हुये भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का १९५७–५८ के क्षेत्र में कार्य करने के समय में विस्तृत जांच पड़ताल करने का प्रस्ताव है। यदि आवश्यक हुआ तो यह कार्य अगले क्षेत्र में काम करने के समय में भी जारी रखा जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग अगले वर्ष और अधिक जांच पड़ताल करने जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, क्या मैं यह जान सकता हूं कि चूंकि अक्सर केवल जांच पड़ताल ही होती रहती है, कुछ वास्तविक कार्य नहीं होता, इस लिए क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

श्री के० दे० मालवीय : जांच पड़ताल करने के बाद जैसे ही यह मालूम हो जाता है कि इस जांच पड़ताल के बाद अमली कदम उठाये जाने चाहिएं, फौरन ही हम इस का फैसला ले लेते हैं। जहां तक गन्धक का सम्बन्ध है, हमारे विभाग को बहुत चिन्ता है कि जहां भी कोई जगह मालूम हो, हम उस की छानबीन करें। यह जगह दिलचस्पी की मालूम पड़ती है, इसीलिए हमने इस को अपने कार्यक्रम में रखा है। जैसे ही कोई और महत्वपूर्ण बात मालूम होगी, हम माननीय सदस्य को इस की सूचना देंगे।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि गन्धक एक बहुत ही मूल्यवान सम्पत्ति है, इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वयम् इस मामले को अपने हाथ में लेगी या राज्य सरकार से इस बारे में परामर्श करेगी ?

श्री के० दे० मालवीय : जैसे ही हमें कुछ मालूमात हो जाएंगी, हम इस पर फैसला कर लेंगे। मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं कि गन्धक की छानबीन बहुत तत्परता से की जानी चाहिए।

दुगदा और पाथरडीही के कोयला धोने के कारखाने

†*१०७९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दुगदा और पाथरडीही में कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : दुगदा के कोयला धोने के कारखाने के लिये टेण्डर मांगे गये हैं। टेण्डर लेने की आखिरी तारीख ११ जनवरी, १९५८ है। इस बीच वहां भूमि प्राप्त करने, जल सम्भरण की योजना बनाने, रेलवे सम्पर्क की योजना और बस्ती सम्बन्धी योजना बनाने आदि का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है। कारखाने का ठेका देने का काम पूरा होते ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Gully.

[11]Sublimate.

पाथरडीही में जिन कोयलों को धोया जाने वाला है उनको किस सीमा तक धोया जा सकता है इसके बारे में ईंधन गवेषणा संस्था परीक्षण कर रही है। आशा है कि इसके परिणाम दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक मालूम हो जायेंगे। इन परिणामों के आधार पर और दुगदा के कोयला धोने के कारखानों के लिये जिस तरह टेण्डर आये हैं उनके आधार पर यह आशा की जाती है कि दुगदा के कोयला धोने के कारखाने के लिए जिन अभिकरणों ने टेण्डर भेजे हैं उनमें से ही एक या कुछ अभिकरणों से पाथरडीही के कोयला धोने के कारखाने के निर्माण के लिये प्रबन्ध किया जा सकेगा।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन कोयला धोने के कारखानों के निर्माण-व्यय का अनुमान लगा लिया गया है और यदि हां तो इनकी लागत कितनी होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस समय करगली में कोयला धोने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है और वहां जापानी संभरणकर्ता इसकी स्थापना का कार्य कर रहे हैं। उसकी लागत लगभग २·५ करोड़ रुपये है और कोयला धोने के अन्य दोनों कारखानों की लागत भी लगभग इतनी ही होने की सम्भावना है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कोयला धोने के इन कारखानों की स्थापना क्या इस्पात मंत्रालय द्वारा की जायेगी या किसी अन्य मंत्रालय, जैसे रेलवे मंत्रालय, भी इस का व्यय-भार वहन करेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं, यह इस्पात मंत्रालय के अधीन ही होगा क्योंकि धुला हुआ कोयला अधिकतर इस्पात के कारखानों के लिए ही दिया जायेगा।

कुतुब मीनार

†*१०८०. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री रा० च० माझी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वाजपेयी :
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १२ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कुतुब मीनार में बिजली लगाने का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). कुतुब मीनार में बिजली लगाने का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने २९ नवम्बर, १९५७ से शुरू किया है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) १५ जनवरी, १९५८ तक ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इसकी प्राक्कलित लागत कितनी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लगभग २० हजार रुपये ।

†**श्री सुब्बया अम्बलन्** : क्या सरकार कुतुब मीनार में बिजली की एक लिफ्ट लगाने की वांछनीयता पर भी विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, लिफ्ट लगाना तो बहुत कठिन काम है । यदि लिफ्ट लग जाये तो आसानी तो जरूर होगी लेकिन उसकी पूरी बनावट ऐसी है कि मैं इंजीनियर तो नहीं हूं लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि यह बहुत ही कठिन काम होगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कुतुब मीनार के अंधेरे में कभी न कभी तो उजाला आयेगा ही, अब यह आशा हो गई है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि कई युवकों ने उस पर से कूद कर आत्म हत्या कर ली है, इस के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है । जहां तक मुझ को मालूम है, वहां जाने के लिए कोई न कोई दो आदमी साथ होने चाहिए । अकेले आदमी को नहीं जाने दिया जाता है । इस के अलावा और क्या किया जा सकता है ? बिल्कुल लोगों को जाने की मुमानियत कर दी जाए, यह सही नहीं होगा ।

श्री राधा रमण: मैं यह जानना चाहता हूं, चूंकि अभी मंत्री जी ने कहा कि एलेक्ट्रिफिकेशन का काम कुतुब मीनार पर शुरू हो गया है और कीमत भी बताई कि इतना खर्च होगा, कि यह काम कितने दिन का प्रोग्राम है और यह एलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितने दिनों के अन्दर पूरा हो जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने निवेदन किया कि यह शुरू हुआ था २९ नवम्बर को और खत्म हो जायेगा १५ जनवरी को ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय साहित्य की "परिचयावली"[12]

†*१०५४. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ४ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय साहित्य की "परिचयावली" के संकलन और प्रकाशन में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: अब तक लेखकों ने लगभग ५ हजार फार्म भर दिये हैं और इनमें से २ हजार ५ सौ का सम्पादन किया जा चुका है। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक साहित्य अकादमी सम्पादन कार्य पूरा कर लेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[12]"Who's Who".

आंध्र प्रदेश के लिये दी गई विदेशी मुद्रायें

†*१०६२. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की राज्य योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में और विशेष रूप से १९५७–५८ में कुल कितनी विदेशी मुद्रायें आवंटित की गई हैं ;

(ख) यह आवंटन किन-किन परियोजनाओं के लिये किये गये हैं ; और

(ग) विदेशी मुद्राओं की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या इन आवंटनों को पूरा किया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) योजनायें बनाते समय, जिनमें राज्यों की योजनायें भी शामिल हैं, अलग-अलग राज्यों के लिये या उनमें सम्मिलित विशेष परियोजनाओं के लिये अलग-अलग विदेशी मुद्रायें आवंटित नहीं की गई थीं। लेकिन सरकारों द्वारा विदेशी मुद्राओं के लिये जो अनुरोध किये जाते हैं उन पर विदेशी मुद्राओं के उपलब्ध साधनों और परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली नीति के अनुसार विदेली मुद्रायें दी जाती हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड

†*१०६४. **श्री कुमारन** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जिस वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की है क्या उसने हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रविधिक और वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करने के काम का एकीकरण करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय वह योजना किस स्थिति में है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष योजना तो नहीं है लेकिन यह बोर्ड वैज्ञानिक और प्रविधिक शब्दों के लिये हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में एक प्रतिमान एवं समान शब्दावली निकालने के लिये यथासम्भव पूरा प्रयास कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी का प्रयोग

†*१०६५. **श्रीमती शकुन्तला देवी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक १९५५ के संविधान (सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश का कितना पालन हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** १९५५ के संविधान (सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी भाषा) आदेश का निम्नलिखित दिशाओं में पालन हुआ है :—

१. जनता से प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का यथासम्भव हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है।

२. प्रशासनिक तथा संसदीय रिपोर्टें प्रायः अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। इसी प्रकार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित अनेक पत्रिकाएं भी हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में भी निकाली जाती हैं।

३. महत्वपूर्ण केन्द्रीय विधेयकों तथा अधिनियमों का प्रायः हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है।

४. जिन राज्यों ने हिन्दी को राज्य भाषा स्वीकार कर लिया है उनसे हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का नियमानुसार हिन्दी में ही उत्तर दिया जाता है।

५. विदेशों के साथ होने वाली संधियों तथा करारों को उस देश की भाषा तथा हिन्दी में तैयार किया जाता है ।

६. राजनयिक परामर्शदाता अधिकारियों को भेजे जाने वाले सभी औपचारिक पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त

१०६८. **श्री बालकृष्ण वासनिक:** क्या गृह-कार्य मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्तों की नियुक्ति के लिये इंटरव्यू के लिये इन जातियों के कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया था ; और

(ख) अनुसूचित जातियों के शेष उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिये क्यों नहीं बुलाया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) अठारह ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग ने केवल इतने ही लोगों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जाने के उपयुक्त समझा ।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग

†१५४५. **श्री मधुसूदन राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५७ तक के सालों में प्रत्येक वर्ष के लिये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने सुरक्षित स्थान रखे गये थे ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में इन जातियों के कितने उम्मीदवारों ने इन पदों के लिये प्रार्थना पत्र दिये ; और

(ग) इनमें से वास्तव में कितने पद इन जातियों के उम्मीदवारों को दिये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क)

वर्ष	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९४७	५३	कुछ नहीं
१९४८	१०२	१२
१९४९	१२४	१३
१९५०	२७८	९५
१९५१	२११	९७
१९५२	२०५	७४
१९५३	१६४	६९
१९५४	२४८	९१
१९५५	३४३	१०६
१९५६	६९३	४१९
१९५७ (३०–१०–५७ तक)	१९८	१५८

(ख) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में १९५५ से १ली और २री श्रेणी की सभी सीधी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की गई हैं। इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जितने सुरक्षित स्थान थे उनके लिये इन जातियों के कितने उम्मीदवार आये इसके बारे में आंकड़े नहीं मालूम हो सके हैं। अघोषित (नान गजेटिड) पदों के लिये कामदिलाऊ दफ्तरों (एम्पलायमेंट एक्सचेंजों) द्वारा सीधी भर्ती की जाती है। कामदिलाऊ दफ्तरों (एम्पलायमेंट एक्सचेंजों) द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों के लिये इन जातियों के कितने उम्मीदवार भेजे गये हैं यद्यपि इस सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े नहीं मालूम हुए हैं तथापि विभिन्न कलेक्टर कार्यालयों द्वारा भिन्न भिन्न स्रोतों से इन पदों के लिये इन जातियों के उम्मीदवारों के जितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी कुल वार्षिक संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९४७	१४	कुछ नहीं
१९४८	२९	कुछ नहीं
१९४९	२८	कुछ नहीं
१९५०	१३५	१३
१९५१	२४२	८१
१९५२	३११	८४
१९५३	४५०	५८
१९५४	३७३	९०
१९५५	८०३	१४४
१९५६	२१७४	२६५
१९५७	१०९८	१४७

†मूल अंग्रेजी में

(ग)

वर्ष	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१९४७	३४	कुछ नहीं
१९४८	३०	कुछ नहीं
१९४९	४८	कुछ नहीं
१९५० . .	७०	८
१९५१ . .	१२८	२१
१९५२ . .	११०	३९
१९५३	१६५	२१
१९५४ . .	१८८	३९
१९५५ .	२३२	४९
१९५६ . .	७३९	८२
१९५७	२२४	३७

पिछड़े वर्गों का कल्याण

१५४६. श्री भं० दी० मिश्र : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये काम करने वाली ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है ; और

(ख) इन्हें दी गई वित्तीय सहायता का सदोपयोग कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) नीचे दी गई आठ संस्थाओं को केन्द्र द्वारा सहायता दी जाती है :—

१. सरवेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी

२. भारतीय दलित वर्ग संघ

३. हरिजन सेवक संघ

४. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

५. ईश्वर शरण आश्रम, अलाहबाद

६. इंडियन रेड क्रास सोसाइटी

७. अखिल भारतीय पिछडा वर्ग संघ

८. भारतीय दलित वर्ग सोसाइटी

इनके अतिरिक्त कुछ संस्थाओं को राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ; उन संस्थाओं की संख्या और विवरण उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) की गई कार्यवाही नीचे दी गई है :--

(१) किसी भी संस्था या संघ को रकम तब तक नहीं दी जाती जब तक वह रजिस्टर न हो जाए ।

(२) सम्बन्धित संस्था का लेखा-विवरण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट होना आवश्यक है ।

(३) संस्था की प्रबन्धक समिति में सरकार का एक नामजद व्यक्ति होता है ।

(४) सरकार के अधिकारी, संस्थाओं द्वारा चालू की गई योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा उनमें आवश्यक सुधार के लिये सुझाव देने को कभी कभी वहां जा सकते हैं ।

(५) सम्बन्धित संस्था से निर्धारित समय का प्रगति-विवरण प्राप्त किया जाता है ।

केन्द्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के लिये इस साल से एक और शर्त लगा दी गई है कि महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक अपनी मर्जी से लेखे के किसी भी मद की जांच कर सकता है ।

पी० टी० ओ० रियायत

१५४७. श्री भ० दी० मिश्र : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० टी० ओ० रियायत से लाभ उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों ने अपने निवास नगरों के बारे में सूचनायें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कोई उदाहरण मिले हैं जहां झूठी सूचनायें दी गई हों ;

(ग) क्या ऐसी झूठी सूचनाओं के सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) केवल उन्हीं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अपने निवास नगरों की सूचना देने को कहा गया था जो पाकिस्तान के विस्थापित हैं या जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है या जिन्होंने अभी तक किसी अन्य प्रयोजन के लिये अपने निवास नगर की सूचना नहीं दी थी । सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि ऐसे सब सरकारी कर्मचारियों ने यह सूचना दे दी है या नहीं किन्तु अनुमान है कि उन्होंने ऐसा कर दिया होगा ।

(ख) इस मंत्रालय की जानकारी में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

जेलों के इंस्पेक्टर जनरलों का सम्मेलन

१५४८. श्री श्रीनारायण दास : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेलों के इंस्पेक्टर जनरलों के आठवें सम्मेलन की किन किन सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के क्या मत हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

(ग) उक्त विवरण में दिये गये निर्णय करते समय भारत सरकार ने राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखा था ।

केंद्रीय सचिवालय में विदेशी

१५४९. { श्री रामजी वर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में लगे विदेशी अधिकारियों की संख्या के बारे में जानकारी अब उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और वे किस-किस राष्ट्र के हैं ; और

(ग) क्या उनके द्वारा किये जाने वाले कामों को संभालने के लिये भारतीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). निर्देशित प्रश्न के सम्बन्ध में अभी तक एकत्र की गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) गैर-भारतीयों की नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जाती है और वह भी केवल कम से कम आवश्यक नियत अवधि के लिये। इन पदों पर अधिक से अधिक संभव संख्या में भारतीयों को लगाने के लिये प्रशासनिक मंत्रालय साथ साथ ही भारतीयों को प्रशिक्षण देने की कार्यवाही करते हैं ।

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट

१५५०. श्री रामजी वर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) वर्ष १९५६-५७ की रिपोर्ट में इतनी अशुद्धियां होने का क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) गृह-मंत्रालय की हिन्दी की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी की रिपोर्ट का अनुवाद है। यह काम इस मंत्रालय के हिन्दी एसिस्टेन्टों द्वारा किया

जाता है और अनुवाद के बाद रिपोर्ट छपने के लिये कंट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी को भेज दी जाती है ।

(ख) रिपोर्ट में टाइप की कुछ अशुद्धियां प्रेस की दोषपूर्ण छपाई के कारण ही हैं ।

अण्डमान में बस्तियां बसाना

१५५१. श्री रामजी वर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अण्दमान और निकोबार में कृषि योग्य बनाई हुई १७५० एकड़ भूमि पर ३५० परिवारों को बसाने के कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ये परिवार वहां किन-किन स्थानों से भेजे जा रहे हैं ; और

(ग) उनमें विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) १९५६ में अण्डमान द्वीप समूह में २५२३ **एकड़** भूमि साफ की गई और वहां ३९९ परिवार बसाये गये ।

१९५७ में १५४० एकड़ जंगली भूमि साफ की गई और अब तक २३३ परिवार बसाये गये हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल, केरल, मद्रास और माही ।

(ग) १९५६ में ३५७ परिवार (१३५७ व्यक्ति) ।

१९५७ में २२१ परिवार (८९६ व्यक्ति) ।

"स्टैंडर्ड वेट्स एण्ड मेजर्स ब्यूरो आफ इंडिया"

१५५२. श्री झूलन सिंह : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इंटरनेशनल ब्यूरो आफ स्टैन्डर्ड वेट्स एण्ड मेजर्स सेवरेज (फ्रांस) का सदस्य बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत को इस के लिये कितना सदस्यता-शुल्क देना पड़ेगा ; और

(ग) सदस्यता-शुल्क के अतिरिक्त भारत को और क्या-क्या खर्च करना पड़ेगा !

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) ४५,००० गोल्ड फ्रेंक्स, (लगभग ७०,३१३ रुपये के बारबर)

(ग) जनवरी १९५७ में ब्यूरो में शामिल होने के लिये ९७,५०० गोल्ड फ्रेंक्स (लगभग १,५२,३४४ रुपये के बराबर) प्रवेश शुल्क दिया गया ।

केंद्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड

१५५३. श्री चांडक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड ने अनुसूचित जातियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उनके कल्याण के लिये बोर्ड ने कौन-कौन सी योजनायें बनाई हैं अथवा स्वीकार की है ;

(ग) इस प्रकार की योजनायें कहां तक क्रियान्वित की गई हैं ; और

(घ) अब तक बोर्ड की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड की २८-११-१९५६ और १२-१०-१९५७ की बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां प्रश्न संख्या ३४८ और ३४५ में उत्तर में क्रमशः २४-५-१९५७ और १८-११-१९५७ को सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं ।

(ख) तथा (ग). बोर्ड द्वारा बनाई या स्वीकृत की गई योजनायें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

(घ) दो ।

जम्मू व कश्मीर के लिये शिक्षा अनुदान

†**१५५४. श्री याज्ञिक :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ की अवधि के बीच जम्मू व कश्मीर की सरकार को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितना शिक्षा अनुदान दिया गया है :

(१) वैज्ञानिक गवेषणा तथा उच्च शैक्षणिक प्रशिक्षण, और

(२) विश्वविद्यालय ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रीलय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (१) कुछ नहीं ।

(२) *१,४०,५२० रुपये ।

*इसमें राज्य सरकार तथा जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालय दोनों को दिये गये अनुदान सम्मिलित हैं ।

जम्मू व कश्मीर को सहायता

†**१५५५. श्री याज्ञिक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ तक जम्मू व कश्मीर राज्य को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितनी राशि दी गई है तथा इसमें से कितनी राशि वास्तव में व्यय हुई है :

(१) सेन्टर रिजर्व पुलिस ,

(२) शान्ति सेना (पीस ब्रिगेड्स), और

(३) होम गार्ड्स

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : भारत सरकार ने सेन्टर रिजर्व पुलिस अथवा शान्ति सेना (पीस ब्रिगेडों) के लिये जम्मू व कश्मीर सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया है। निम्नलिखित वर्षों में जम्मू व कश्मीर की होम गार्ड पर इतना रुपया व्यय हुआ है:

१९५१–५२	१०·६० लाख रुपये
१९५२–५३	१४·०२ लाख रुपये

१९५२–५३ के पश्चात् जम्मू व कश्मीर होम गार्ड पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

जम्मू व कश्मीर को वित्तीय सहायता

†१५५६. श्री याज्ञिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९४७ से ३१ मार्च, १९५७ की अवधि में जम्मू व कश्मीर सरकार को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितना रुपया दिया गया है :

(१) स्वास्थ्य,
(२) सीमा-शुल्क अनुदान ; और
(३) विकास कार्य ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]

छोटा नागपुर में बहुप्रयोजनीय योजनाएं

†१५५७. श्री श० च० गोडसोरा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटा नागपुर (बिहार) में पिछड़े इलाकों के विकास के लिए कितनी बहुप्रयोजनीय योजनाएं चलाई गई हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कितनी सहायता दी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) चार।

(ख) अभी तक गृह-कार्य मंत्रालय ने इस कार्य के लिये १०·८० लाख रुपये के अनुदान दिये हैं। इसमें इन परियोजनाओं के लिये सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदान सम्मिलित नहीं हैं।

युद्ध-सामग्री कारखानों में पदोन्नति

†१५५८. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ और १९५६-५७ म युद्ध-सामग्री कारखानों में निम्नलिखित श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है :

(१) इंडस्ट्रियल से नान इंडस्ट्रीयल सुपरवाइजरी वर्गों में
(२) नान इंडस्ट्रियल से नान गजेटिड पदों में,
(३) नॉन गजेटिड से गजेटिड पदों में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :**

	१९५५–५६	१९५६–५७
(१)	३५	२२
(२)	८८	५८
(३)	२	१६

युद्ध-सामग्री कारखानों में 'ओवरटाइम' कार्य

†**१५५९. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अब तक विभिन्न आर्डनेंस डिपोओं में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा कुल कितने घंटे का 'ओवरटाइम' कार्य किया गया है; और

(ख) इनको 'ओवर टाइम' भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तथा (ख). जानकारी संकलित की जा रही है और उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

युद्ध-सामग्री कारखानों में असैनिक कार्य

†**१५६०. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के दौरान में प्रत्येक युद्ध–सामग्री कारखानों ने कितने मूल्य का असैनिक काम किया है ;

(ख) क्या १९५५–५६ की अपेक्षा इस कार्य की मात्रा बढ़ गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रत्येक युद्ध–सामग्री कारखानों द्वारा इस अवधि में जितना असैनिक काम किया गया है उसका मूल्य दिखाने वाला एक विवरण लोक–सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ख) १९५५–५६ के दौरान में किये गये असैनिक काम का कुल मूल्य ४.४६ करोड़ रुपये है। १९५६–५७ में जो असैनिक काम किया गया है उसका तब तक ठीक ठीक मूल्य बताना कठिन है जब तक कि उसका परीक्षित लेखा नहीं उपलब्ध हो जाता है। किन्तु आशा है कि यह ३.५ करोड़ रुपये के लगभग होगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्र

†**१५६१. श्री सत्यनारायण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिये १९५७–५८ में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस वर्ष में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये १९५७–५८ में केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत २०.२६ लाख रुपये और राज्य योजना के अन्तर्गत ३९.८६ लाख रुपये नियत किये गये हैं ।

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा

†१५६२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा के विकास तथा उन्नति के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : अन्दमान और निकोबार द्वीपों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने तथा साथ ही उसके सुधार व पुनर्गठन के लिये योजनाओं की सिफारिश करने के लिये १९५५ में इन द्वीपों के लिये एक शिक्षा समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने ७७ सिफारिशें की जिनमें से अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। अन्दमान और निकोबार द्वीप समह के उच्चायुक्त द्वारा क्रियान्वित सिफारिशों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]

सांची के स्तूप

†१५६३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) सांची के स्तूपों की देखभाल पर कितना खर्चा किया गया ; और

(ख) १९५८–५९ में कितना खर्चा करने का विचार है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १–४–५७ से ३१–१०–५७ तक ४६८५ रुपये खर्च हुए ।

(ख) १९५८–५९ के लिये अभी तक कोई अन्दाज नहीं लगाया गया है ?

कोयला उत्पादन की वृद्धि का कार्यक्रम

†१५६४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी कोयला खानों में कोयले के उत्पादन की वृद्धि के बारे में क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में १ करोड़ २० लाख टन की वृद्धि का अनुमान है । इस अनुमित वृद्धि में से २० लाख ७० हजार टन की वृद्धि द्वितीय योजना के प्रारम्भ में सरकारी कोयला खानों में तथा १० लाख १५ हजार टन की वृद्धि सिंगरैनी कोयला खानों से जो इस समय मुख्यतः आंध्र प्रदेश सरकार की हैं, होगी ।

शेष उत्पादन कोयले के निम्न नये क्षेत्रों से बढ़ाने का विचार है :—

	(लाख टनों में)
१. कोरबा	२६
२ कथारा	१०
३. करनपुरा	
(एक) गिदी क्षेत्र	१५
(दो) बचरा/सौंदा	६
४. कोरिआ	१०
५. बिसरामपुर	१०
	७७ लाख

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले की उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रम की कार्यान्विति के बारे में निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) छिद्रण : कथारा, कोरबा के पूर्वी भाग, गिदी और सौंदा (करनपुरा) क्षेत्रों में छिद्रण और खोजकार्य प्रायः समाप्त हो गया है । यह कार्य अभी बिसरामपुर, कोरिआ और कोरबा के पश्चिमी भागों में जारी है ।

(२) संयंत्र और मशीनरी : लगभग १.५ करोड़ रुपये की यंत्रसामग्री प्राप्त की गई है । अन्य सामग्री और मशीनरी, जिसका मूल्य लगभग ५ करोड़ रुपये है, के लिये आर्डर दे दिया गया है ।

(३) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ : यह अधिनियम मई, १९५७ में बनाया गया और जून, १९५७ में लागू किया गया । यह अधिनियम सरकार को कोयले वाले उन नये क्षेत्रों के, जो निजी पट्टों अथवा प्रास्पेक्टिंग लाइसेन्स के अन्तर्गत हों और जो गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादन से अधिक हों और जो सरकार के लिये प्रास्पेक्टिंग और कोयले की नई खानों की स्थापना के हेतु आवश्यक हों, अर्जन की शक्ति प्रदान करता है ।

इस अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत कथारा क्षेत्र में कुछ जमीनों के अर्जन के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है और अन्य क्षेत्रों के अर्जन के लिये ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी करने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

(४) परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन : कई पुरानी और नई कोयला खानों सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। शेष खानों के बारे में प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(५) कोयला खानों का खोला जाना : कोरबा क्षेत्र में एक अग्रिम खनन क्षेत्र खोला जा चुका है और उसके दो तरफ काफी कार्य किया गया है। मार्च १९५८ तक कई अन्य कोयला क्षेत्र उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे ऐसी आशा है।

(६) कोयला साफ करने का संयंत्र : बोकारो—कारगली कोयला खानों के समस्त उत्पादन को अशुद्धियों से साफ करने के लिये वहां कोयले साफ करने का संयंत्र लगाने के लिये निर्माण कार्य जारी है और वह संभवत: मार्च १९५८ तक कार्य शुरू कर देगा।

(७) प्रशिक्षण केन्द्र : मौजूदा ४ कोयला खानों में कनिष्ठ प्रविधिक कर्यचारियों के प्रशिक्षण के लिये ४ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं।

(८) परिवहन : नई कोयला खानों के विकास के लिये आवश्यक मुख्य रेलवे परि-योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और प्रारम्भिक कार्य जारी है।

लौह अयस्क के निक्षेप

†**१५६५. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में लौह-अयस्क के निक्षेपों का कितना अनुमानित परिमाण है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारत में लौह-अयस्क निक्षेपों का अनुमान २१०० करोड़ टन है।

माध्यमिक शिक्षा में गवेषणा

†*१५६६. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हांसदा :
श्री श्रीनारायण दास : }

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १५ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा में गवेषणा करने के लिये १९५५–५६ से अब तक किन–किन विश्वविद्यालयों को और प्रत्येक को अागे कितना केन्द्रीय अनुदान दिया गया है; और

(ख) माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी किन किन विषयों पर विश्वविद्यालयों में अभी गवेषणा की जा रही है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

योग्यता-छात्रवृत्तियां

†१५६७. { **श्री राम सुभग सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ में कितने छात्रों ने भारत में मैट्रिक्यूलेशन से आगे पढ़ने के लिये योग्यता-छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने के हेतु आवेदन पत्र दिये थे ;

(ख) उनमें से कितने छात्रों को योग्यता-छात्रवृत्तियां दी गयी हैं; और

(ग) प्रत्येक छात्रवृत्ति कितने मूल्य की है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:(क) और (ख). चूंकि उपर्युक्त उम्मीदवारों के सभी आवेदन पत्र राज्य सरकारों से १५-१२-१९५७ तक प्राप्त होने हैं, अतः इस दशा में आंकड़े देना सम्भव नहीं है। जानकारी यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य "साधन-परीक्षा" के आधार पर जिसे चुने हुये उम्मीदवारों को पूरा करना होता है, निर्धारित की जाती है। अतः छात्रवृत्तियां दिये जाने के बाद ही जानकारी दी जा सकती है। उस अनुसूची को, जिसमें "साधन परीक्षा" दी हुई है, एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती

१५६८. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में अफजलगढ़ स्थित भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती में इस बीच क्या सुधार किये गये हैं ;

(ख) इस बस्ती को पूर्णतः विकसित करने के लिये और कौन-कौन से कार्य अभी तक करना शेष है ;

(ग) इन शेष कार्यों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यह कब तक पूरे हो जायेंगे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अक्तूबर, १९५६ से सितम्बर, १९५७ तक अफजलगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के उपनिवेश में यह यह सुधार किये गये हैं :—

४७२ एकड़ भूमि को उपजाऊ बना कर कृषि कार्य में लाया गया है। ८० बसने वालों के लिये मकान और ६ पंचायत-घर बनाये गये हैं। ८ पीने के पानी के कुएं और राम गंगा नदी से १५ मील लम्बी नहर खोदी गई है। अफजलगढ़ कालागढ़ सड़क का दो मील का टुकड़ा मैकडेमाइज़ किया गया है। उपनिवेश के ग्रामों को मिलाने वाली एक और ४ मील लम्बी सड़क बन रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक सबपोस्ट आफिस, २ प्रायमरी स्कूल और दो बच्चों के खेल के मैदान खोले गये हैं। उपनिवेश के ग्रामों में जनता के लिये ५ बाग उगाये गये हैं।

अधिक ६० भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया है और उन्हें खेती बाड़ी के लिये ६० जोड़े बैल दिय गये हैं।

(ख) लगभग ३००० एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया जाना है और २७२ बसने वालों के लिये मकान, ३ पंचायत-घर, एक जूनियर हाई स्कूल, एक जच्चा और बच्चा खाना, एक पशु चिकित्सालय, एक लोहार तथा खाती के काम का कारखाना खोला जाना है। दो मील सड़क का टुकड़ा मैकडेमाइज किया जाना है और ४ मील का टुकड़ा पक्का बनाना है। ३ सब पोस्ट आफिस, ५ प्राइमरी स्कूल और ८ बच्चों के पार्क खोले जाने हैं। ग्राम-उद्योग भी चालू करने हैं।

(ग) शेष कार्य के कुछ मदों के बारे में मौखिक पग उठाये जा चुके हैं और कार्य के शेष मदों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के यत्न किये जा रहे हैं।

(घ) वर्तमान लक्षणों के अनुसार उपनिवेश के विकास के १९५९ के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

अन्तर्समवाय विनियोजन

†१५६९. { **श्री मुरारका :**
　　　　{ **श्री नथवानी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ के समवाय **अधि**नियम के लागू होने के बाद से अन्तर्समवाय विनियोजन के लिये कितने मामलों में सरकार की **अनुमो**दनार्थ अनुमति मांगी गई ;

(ख) कितने लोगों को अनुमति दी गई तथा कितने लोगों को इन्कार किया गया ; और

(ग) किस आधार पर अनुमति नहीं दी गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) १५९।

(ख) ९० मामलों में अनुमति दी गई तथा ६५ मामलों में नहीं दी गई, ४ मामले अभी विचाराधीन हैं।

(ग) जिन मामलों में अनुमति नहीं दी गई उनमें से कुछ आवेदन पत्र बहुत देर से आये तथा कुछ केवल सामान्य अनुमति के लिये थे अर्थात् उनका सम्बन्ध किसी विशेष लेन देन के व्यापार से नहीं था। कुछ १९३८ के जीवन बीमा अथवा १९१३ के कम्पनीज एक्ट के अधिनियमों के उपबन्धों के विरुद्ध थे। कई मामलों में उन ऋणों तथा विनियोजनों को, जिनके बारे में आवेदन पत्र दिये गये थे, अच्छी कम्पनियों द्वारा विनियोजन सम्बन्धी प्रथाओं के विरुद्ध पाया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[12]Inter-Company Investments

प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति

†१५७०. { श्री मुरारका :
श्री नवशानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवायों के प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) समवाय अधिनियम, १९५६ के लागू होने के बाद नई नियुक्तियों और उस प्रबन्ध-अभिकर्ता सार्थों के लिये सरकार की रचना में कुछ परिवर्तनों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) कितने आवेदन पत्रों का और किस प्रकार से निबटारा किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) यदि धारा ३२४ अथवा ३२५ में उल्लिखित प्रतिबन्ध लागू न होते हों और सरकार को इस बात का सन्तोष हो कि प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करना लोकहित के खिलाफ नहीं है और जिस व्यक्ति का नाम सुझाया गया है वह योग्य व्यक्ति है तो प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने अथवा पुनर्नियुक्त करने की अनुमति इस शर्त पर दे दी जाती है कि नियुक्ति की शर्तें उचित और अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल हों ।

(ख) १-४-५६ से ३१-१०-५७ तक नई नियुक्तियों के लिये १०० आवेदन पत्र और प्रबन्ध-अभिकरण समवायों तथा सार्थों की रचना में परिवर्तनों के लिये ५६२ आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ग) नये प्रबन्ध-अभिकर्ता नियुक्त करने के १०० आवेदन पत्रों में ८४ अनुमोदित कर दिये गये और ८ अस्वीकृत हुए । शेष ८ आवेदन पत्रों का ३१-१०-५७ को निबटारा किया जाना था क्योंकि सम्बन्धित समवायों से और जानकारी मांगी गई थी । प्रबन्ध-अभिकरणों की रचना में परिवर्तनों सम्बन्धी ५६२ आवेदन पत्रों में से ५३२ आवेदन पत्र स्वीकृत हुए ; शेष ३० का ३१-१०-५७ को निबटारा किया जाना था क्योंकि समवायों से और जानकारी मांगी गई थी ।

अफीम का तस्कर व्यापार

†१५७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास में भारत की सीमा पर अफीम के तस्कर व्यापार में कितने मामले पकड़े गये ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : जुलाई से सितम्बर, १९५७ की अवधि में भारत पाकिस्तान सीमा पर अफीम के तस्कर व्यापार के २० मामले पकड़े गये थे ?

अनुसूचित जातियों के लिये गृह-निर्माण

†१५७२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों आदि के कल्याण सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये गृह-निर्माण के प्रयोजनार्थ सरकार ने राजसहायता अथवा ऋण के रूप में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई थी; और

(ख) इस राजसहायता के फलस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]

(ख) सब राज्य सरकारों से मांगी गई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । उपलब्ध होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

दीवानी और फौजदारी मुकदमे

†१५७३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उच्च-न्यायालयों में कितने दीवानी और फौजदारी मुकदमे दस वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]

गबन के आरोप पर पदच्युति

†१५७४. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५७ (अब तक) के बीच के वर्षों में प्रतिरक्षा सेवाओं में से कितने पदाधिकारियों को विभिन्न निधियों में से गबन करने के आधार पर पदच्युत किया गया ;

(ख) क्या उन में से कोई न्यायालय में गये; और

(ग) न्यायालयों ने ऐसे कितने व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय किया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) बारह ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान में तामिल स्कूल

†१५७५ { **श्री नारायणस्वामी** :
इलियापेरुमाल :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपों में तामिल बोलने वाले लड़कों के लिये कोई स्कूल हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां एक ऐसा स्कूल खोलने का है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं । परन्तु एक प्रारम्भिक स्कूल में तामिल भाषा भी पढ़ाई जाती है ।

(ख) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रविधिक सहायता कार्यक्रम

†१५७६. **श्री वोडयार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रविधिक सहायता कार्यक्रम में १९५८ के लिये अपना अंशदान बढ़ा दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वर्तमान अंशदान कितना है और बढ़ा कर कितना हो जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) १६५७ के लिये ५००,००० डालर के समान रुपये ।

१६५८ के लिये ५२५,००० डालर के समान रुपये ।

खनिज पदार्थों की खोज

†**१५७७. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७ में अब तक मनीपुर में खनिज पदार्थों और कीमती पत्थरों की खोज करने के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे ;

(ख) इन लाइसेंसों के लिये कितनी फीस लगाई गई है ; और

(ग) मनीपुर के भीतर और बाहर के कितने प्रार्थियों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) खोज करने सम्बन्धी लाइसेंस के लिये केवल दो व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं ;

(ख) अभी कोई फीस नहीं लगाई गई है क्योंकि आवेदन पत्र अभी स्वीकार नहीं किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इम्फाल में बुनियादी प्रशिक्षण संस्था

†**१५७८. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५–५६ और १६५६–५७ में कितने प्रशिक्षणार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, इम्फाल में प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ख) क्या सुविधायें उपलब्ध हैं और उन के प्रशिक्षण के लिये क्या उपकरण उपलब्ध किया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१६५५–५६	४१
१६५६–५७	८४

(ख) इस संस्था में प्रारम्भिक स्कूल अध्यापकों को एक वर्ष तक बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिये आवश्यक सामान और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में एक-अध्यापक-संस्थायें[13]

†१५७९. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के गांवों में अब तक कितनी एक-अध्यापक-संस्थायें खोली गयी हैं;

(ख) उन में से कितनी अब भी चल रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उन्हें एक अध्यापक नहीं सभाल सकता और उन के संरक्षक अतिरिक्त अध्यापकों के बिना उन का प्रबन्ध नहीं कर सकते; और

(घ) इन संस्थाओं में और अध्यापक नियुक्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९५।

(ख) सब ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चोरी छिप ले जाये गये नोट

†१५८०. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गत चार वर्ष में भारत से कितने रुपये के नोट चोरी छिपे ले जा कर बैंक आफ इंगलैंड में भुनाये गये; और

(ख) सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने उसी अवधि में कितना सोना पकड़ा ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यह निर्धारण करना सम्भव नहीं कि भारत से कितने रुपये के नोट चोरी छिपे ले जा कर बैंक आफ इंगलैंड में भुनाये गये । १ जनवरी, १९५४ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने ३८,४४,११८ रुपये के भारतीय मुद्रा के नोट पकड़े थे जब कि उन्हें चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा था ।

(ख) उसी अवधि में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने चोरी छिपे लाया गया ४,६५,११५ तोले सोना पकड़ा था ।

गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस

†१५८१. श्री जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रैस के मुद्रणालय विभाग पर कितना खर्च किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[13]Single Teacher Institutions in Manipur.

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : १९५६-५७ में राजस्व व्यय लगभग ३१० लाख रुपये हो गया ।

गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, नासिक

†१५८२. **श्री जाधव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस और सरकारी मुद्रणालय नासिक में श्रमिकों को कितने घंटे काम करना पड़ता है ; और

(ख) उन के काम करने के समय में यदि अन्तर है तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) अधिसमय के अतिरिक्त, इंडिया सिक्योरिटी प्रैस नासिक में ४८ घंटे और भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक में ४४ घंटे काम करना पड़ता है ।

(ख) 'कंट्रोलर आफ प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी' के अधीन भारत सरकार के मुद्रणालयों में काम करने का समय १९४६ के एक तदर्थ उपाय के तौर पर कम कर दिया गया था । उसे इंडिया सीक्योरिटी प्रेस पर भी लागू करने का कोई कारण नहीं था जहां अन्य प्रकार का काम किया जाता था और वेतन की दर भी अलग थी ।

गोआ और दमन सीमा पर पुलिस

†१५८३. **श्री आसर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ और दमन सीमा पर 'सिक्योरिटी स्क्वैड' के पदाधिकारियों और पुलिस के स्थानान्तरण के लिये कितनी अवधि निश्चित की गई है ; और

(ख) 'सिक्योरिटी स्क्वैड' में वर्तमान पुलिस और पदाधिकारी कितने समय से इन सीमाओं पर नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई निश्चित नियम नहीं है । स्थानान्तरण तो प्रशासनिक सुविधा पर निर्भर करते हैं ।

(ख) अवधियां अलग-अलग हैं ।

अनुसूचित जातियां

१५८४. **श्री क० भे० मालवीय**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व मध्य भारत के किन किन गांवों और नगरों में ११३५ कुएं और ५६० मन्दिर अनुसूचित जातियों के लिये खोल दिये गये हैं, जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वर्ष १९५५ की रिपोर्ट के पृष्ठ ७७ पर लिखा हुआ है ; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लोग अब भी बिना किसी रोक टोक के उक्त कुओं और मन्दिरों से लाभ उठा रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख): सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । वह एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य भविष्य निधि

१५८५. श्री क० भे० मालवीय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कितने अस्थायी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में अंशदान नहीं करते; और

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों के लाभ के लिये सरकार के पास कोई और योजना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत सरकार के कितने अस्थायी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में अंशदान नहीं देते। देश भर के सभी कार्यालयों से यह सूचना इकट्ठी करने में जितना परिश्रम करना पड़ेगा और जितना समय लगेगा उतना उस से लाभ नहीं होगा। लेकिन सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरवतर सेवा के बाद इस निधि में अंशदान देने के अधिकारी बन सकते हैं।

(ख) अस्थायी कर्मचारियों को जो सुविधायें मिलने लगी हैं उन में एक यह है कि तीन वर्ष से अधिक की निरन्तर सेवा के बाद उन्हें प्रायः स्थायी (क्वेसी-पर्मनेंट) दर्जा दे दिया जाता है। यदि बाद में उन्हें स्थायी बना दिया जाय तो उन की पेंशन का हिसाब लागाने के लिये वह सारा समय शामिल किया जाता है जिस में वे प्रायः स्थायी रहते हैं। यदि अस्थायी कर्मचारी निवृत्ति, मृत्यु या छटनी (स्थिति के अनुसार) से पहले स्थायी बना दिया जाय तो उस की निरन्तर अस्थायी सेवा का आधार समय पेंशन के लिये शामिल कर लिया जाता है।

वेतन आयोग भी, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा विषयक शर्तों पर विचार करने के लिये नियुक्त किया गया है, अस्थायी कर्मचारियों को और भी सुविधायें देने के सम्बन्ध में निस्सन्देह ऐसी सिफारिश करेगा जिन्हें वह उचित समझेगा।

जीवन बीमा पालिसियां

†१५८६. श्री प्र० गं० देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हों ने जोवन बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के समय अपनी पालिसियों का भुगतान करा दिया था ; और

(ख) जीवन बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के बाद देश में कुल कितनी पालिसियों का भुगतान कराया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) बीमा समवायों में बीमा की पालिसयां लेने वालों के पेशे के आधार पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं अतः जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) १ सितम्बर, १९५६ से ३१ सितम्बर, १९५७ तक की अवधि का जीवन बीमा निगम का प्रतिवेदन जब तैयार हो जायेगा तो जानकारी उपलब्ध हो जायेगी।

हिन्दी शीघ्र लिपिक

१५८७. श्री सरजू पांडे : क्या गृह कार्य मंत्री १३ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी शीघ्र लिपिकों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : हिन्दी स्टोनेग्राफरों की उस तारीख तक की संख्या निर्देशित प्रश्न के उत्तर में दे दी गई थी। हिन्दी स्टीनोटाइपिस्टों की संख्या की सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय में वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें

†१५८८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं के कार्य संचालन की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई है उस में कितने सदस्य हैं और उन के नाम क्या हैं ; और

(ख) उस के निर्देश पद क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१.	श्रीमती सुचेता कृपालानी, संसद-सदस्य . .	अध्यक्ष
२.	श्री एस० नटराजन, दिल्ली की अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की 'एडवाइज़री फील्ड सरविसेज़' के डायरेक्टर .	सदस्य
३.	श्री के० सी० नाग, सेण्ट स्टीफेन्स कालेज, दिल्ली	"
४.	डा० ए० एन० बनर्जी, डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, दिल्ली .	"
५.	श्री वेद प्रकाश, असिस्टैण्ट एजुकेशनल एडवाइजर टु दि गवर्नमेंट आफ इण्डिया, शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय, दिल्ली	"

(ख) समिति के निर्देशद ये हैं कि वह इन बातों की जांच करे :—

(क) गैर-सरकारी प्रबन्ध के स्कूलों के संसाधन ।

(ख) अध्यापकों के वेतनों का भुगतान ।

(ग) उन के कार्यकाल की सुरक्षा ।

(घ) (१) आय तथा व्यय के अनुमोदित और अननुमोदित मद

(२) रक्षित निधि ; और

इन स्कूलों की सभी प्रकार की उन्नति, विशेषतया उन के संगठन की दृष्टि से, के लिये उपायों तथा साधनों का सुझाव देना ।

दिल्ली में हायर सेकेन्डरी स्कूल

†१५८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी प्रन्यासों तथा संस्थाओं द्वारा दिल्ली में कुल कितने हायर सेकेन्ड्री स्कूल चलाये जा रहे हैं उन के क्या नाम हैं ;

(ख) इन स्कूलों में कितने प्रिंसिपल पूर्ण योग्यता प्राप्त हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसे कितने प्रिंसिपल हैं जिन को, यद्यपि वे योग्यता प्राप्त नहीं है, (१) हायर सेकेन्ड्री योजना के आरम्भ होते समय और (२) उस के बाद, काम करने के लिये छूट दे दी गई थी ; और

(घ) ऐसे प्रिंसिपलों में से अभी कितने उन स्कूलों में है (१) जिन्हें छूट नहीं दी गई थी, (२) जो उस पद के लिये अयोग्य समझे गये थे, (३) और जिन के मामले अभी भी छूट के लिये विचाराधीन हैं ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) ५३

(ग) (१) ४.

(२) ५.

(घ) (१) १ (निर्धारित संशोधित न्यूनतम अर्हताओं के अधीन वह अर्हं हो गया है) ।

(२) ६.

(३) ४.

पंजाब में चांदमारी के मैदान

†**१५६०. सरदार इकबाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ और १९५७ में पंजाब में सेना के चांदमारी क्षेत्रों के लिये कितने गांव अर्जित किये गये ;

(ख) ग्राम वासियों को अब तक कितना प्रतिकर दिया गया है ; और

(ग) अभी कितना प्रतिकर दिया जाना बाकी हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चूने के निक्षेप

†**१५६१. सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चूने के निक्षेपों में चूने की मात्रा का कितना अनुमान है ; और

(ख) प्रति वर्ष कितना कितना उत्पादन होता है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) सीमेंट के उत्पादन के लिये उपयुक्त चूने के केवल प्रमुख निक्षेपों की मात्रा का अनुमान लगाया गया है । वह ७५,५१३ लाख टन है । देश के सभी भागों में चूना मिलता है इसलिये सभी ग्रेडों के चूने की मात्रा का अनुमान लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ख) सीमेंट के उत्पादन और अन्य प्रयोजनों के लिये १९५५ और १९५६ में क्रमवार ७,३६६,३०९ टन और ८,१९३,५५४ टन चूने का उत्पादन हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जन शक्ति निदेशालय

†*१५९२. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन शक्ति निदेशालय ने इस बारे में कोई जानकारी एकत्र की है कि कितने भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख), यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) स काम के लिये कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जन शक्ति निदेशालय ने अगस्त, १९५७ में विदेशों में अपने मिशनों से प्रार्थना की कि वे विदेशों में काम कर रहे अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों और टैक्नीकली अर्ह व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में सहायता करें। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को इस 'नैशनल रजिस्टर' के एक अंग के रूप में रखा जायेगा और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद में वैज्ञानिक तथा टैक्नीकल कर्मचारियों के लिये रखा जाता है : अभी तक विदेशों में ६०० से कुछ अधिक अर्हता प्राप्त भारतीयों के बारे में जानकारी मिली है ।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद इस जानकारी का वर्गीकरण कर रहा है । ये वर्गीकृत सूचियां (१) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सरकारों, राज्य लोक सेवा आयोगों (२) सभी राज्य उद्योग उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, गवेषणा परिषदों ; आदि और (३) गैर-सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां करने वाले सभी प्राधिकारियों को भेजी जायेंगी ।

हिमाचल प्रदेश में अति वयस्कता प्राप्त कर्मचारी

†१५९३. श्री य० सि० परमार : क्या गृह-कार्य मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में अतिवयस्कता प्राप्त कर्मचारियों की अवधि बढ़ाने के बारे में सामान्य सिद्धान्त दिये गये हों और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में १९५६ और १९५७ में इस दिशा में कोई अपवाद किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा और ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): भारत सरकार की नीति यह है कि लोक-हित की स्थिति के अतिरिक्त अतिवयस्कता प्राप्त व्यक्तियों की सेवा अवधि सामान्यतया न बढ़ाई जाये। वैज्ञानिक एवं टैक्नीकल अधिकारियों की देश में कमी है अतः उन की सेवा अवधि में उदारता-पूर्वक वृद्धि कर दी जाती है । यह भी निर्णय किया गया है कि सरकारी स्कूलों में सेवा नियोजित विस्थापित व्यक्तियों को दयावश हर वर्ष सेवा अवधि बढ़ा कर प्रत्येक मामले के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए ६० वर्ष की आयु तक रखा जाये ।

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारती संस्था (इंस्टीट्यूट आफ इंडोलौजी)

†१५९४. **श्री बलराम कृष्णप्पा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित भारती संस्था (इंस्टीट्यूट आफ़ इंडोलौजी) नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने भारती संस्था (इंस्टीट्यूट आफ़ इंडोलौजी) को नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी वैकल्पिक स्थान पर स्थापित करने का निर्णय किया है ताकि नई दिल्ली में सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभागों की भीड़भाड़ में कमी की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त संस्था की स्थापना के लिये दिल्ली को ही उपयुक्त स्थान समझने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग) भारती संस्था (इंस्टींट्यूट आफ़ इंडोलौजी) की स्थापना के प्रश्न पर भारती समिति (इंडोलौजी कमिटी) ने विचार किया था और समिति ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि इस संस्था को दिल्ली में स्थापित करना श्रेयस्कर होगा । प्रस्तावित संस्था कहां स्थापित की जाये इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय करना शेष है । किन्तु यह स्पष्ट है कि उस संस्था का कार्य वास्तु-कला विभाग से निकट रूप से सम्बद्ध है और यह विभाग अभी नई दिल्ली में अवस्थित है । आजकल दिल्ली राष्ट्र-व्यापी बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यों का केन्द्र बन रहा है, अतः इस संस्था को दिल्ली में स्थापित करना युक्तिसंगत एवं उपयोगी होगा । फिर भी, सरकार इस तथ्य से पूर्णतः अवगत है कि नये कार्यालय और विभाग नई दिल्ली में स्थापित नहीं किये जायें क्योंकि यहां पहले ही अधिक कार्यालय आदि हैं ।

गोलाबारूद कारखाना, किरकी[14]

†१५९५. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरकी के गोलाबारूद कारखाने में साइकिल के पुर्जे बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार उपरोक्त कारखाने में साइकिलों का निर्माण आरम्भ करने का विचार रखती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

†१५९६. { **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये १९५७–५८ में कुल कितनी रकम स्वीकृत की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[14]Ammunition Factory, Kirkee.

(ख) उत्तर प्रदेश के लिये कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां देने के लिये पृथक् अनुदान नहीं है किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने के लिये १९५७-५८ में सरकार ने २ करोड़ रुपये की एक मुश्त रकम मंजूर की है। अनुसूचित जातियों के सब उम्मीदवार जिन में मैट्रिक के बाद अध्ययन करने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं, तथा जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है और छात्रवृत्तियों के लिये यथासमय आवेदन दिये हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ।

राजस्थान को सहायता

१५९७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५६ और १९५७ में अब तक (अलग-अलग) राजस्थान सरकार को अनुदानों और ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है;

(ख) ऋण की राशि में से राजस्थान में निर्माण कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) कितनी राशि नियत अवधि में खर्च नहीं की गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, विधिसम्मत अनुदानों के अतिरिक्त, अनुदानों और ऋणों के रूप में निम्नलिखत रकमों के लिये मंजूरी दी गयी :--

(लाख रुपयों में)

	१९५६–५७	१९५७–५८ (अब तक)
अनुदान	५१.५९	—
ऋण	३५५.५२	३२५.००

(ख) और (ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

राजस्थान में बहु प्रयोजनीय स्कूल

†**१५९८. श्री दामानी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में आज कल बहु प्रयोजनीय स्कूलों की क्या संख्या है; और

(ख) बहु प्रयोजनीय स्कूलों के लिये राजस्थान राज्य को १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक कितना अंशदान दिया गया है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३५ ।

(ख)	१९५६–५७	८,८३,८८० रुपये
	१९५७–५८ (६ दिसम्बर '५७ तक)	१८,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

भोपाल में प्राप्त वस्तुएं

१५९९. श्री विश्वनाथ राय : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही में भोपाल के निकट कुछ पूर्व-इतिहास काल की वस्तुयें प्राप्त हुई हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी हां ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग

†**१६००. श्री जीनचन्द्रन्** : क्या वित्त मंत्री १२ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में नियोजित युद्ध सेवी उम्मीदवारों की वरिष्ठता के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) क्या दिसम्बर, १९५६ में जारी किये गये आदेश की मद्रास के कलक्टर कार्यालय द्वारा क्रियान्विति की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) युद्ध सेवी उम्मीदवारों के वरिष्ठता सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया गया है और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलक्टर से १७ सितम्बर, १९५७ को दिसम्बर, १९५६ में जारी किये गये आदेश, क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् का कर्मचारी संघ

†**१६०१. श्री स० म० बनर्जी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या नई दिल्ली की वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के कर्मचारी संघ ने मान्यता प्राप्ति के लिये आवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहो की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, ह । श्रीमान् ।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् ने संघ को मान्यता प्रदान नहीं की है ।

मनीपुर में मकान किराया भत्ता

†**१६०२. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मकान सम्बन्धी कठिनाइयां देखते हुए मकान किराया भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास-व्यवस्था का उपबन्ध करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जैसा एक पूर्व प्रश्न में बताया गया था सब राज्य-सरकारों के लिये सरकारी आवास का उपबन्ध करना कठिन है।

फिर भी मनीपुर शासन के कर्मचारियों के लिये उपलब्ध सीमा तक आवास की व्यवस्था की जाती है।

जम्मू और काश्मीर में तोड़ फोड़ की कार्यवाही[1]

†**१६०४. श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में २१ नवम्बर, १९५७ को प्रकाशित "भारतीय वाहन को जला देने के आदेश" खबर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस खबर के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जी, हां। राज्य सरकार की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस समय इस का ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं है

मनीपुर में नागा विद्रोही

१६०५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के तमेंगलांग सब-डिवीजन की आन्तरिक पहाड़ियों में नागा गावों में नियुक्त एक पुलिस सब-इंस्पैक्टर और मनीपुर पुलिस के खुफिया विभाग के एक कांस्टेबल का नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गुमशुदा पुलिस अधिकारियों को ढूंढने के लिये क्या कार्यवाही अपनाई जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय खुफिया पुलिस विभाग के एक असिस्टेंट आफिसर और सहायक खुफिया ब्रांच का एक कांस्टेबिल, जो तमेंगलांग से थिलोन और जानते के संक्षिप्त दौरे पर गये थे, पिछले तीन सप्ताह से अपने हैडक्वार्टर पर नहीं लौटे हैं तथा गायब हैं।

(ख) तलाश करने के लिये अनेक दल भेजे गये हैं और विभिन्न संसाधनों के आश्रय से उन की पूछताछ की गई है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ में संशोधन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं, खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३, अगस्त १९५५ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७४३ की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूं। **पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४३६/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sabotage in Jammu and Kashmir.

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा उत्पादन) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६१३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ४३७/५७**]

संसदीय समितियां—कार्य का संक्षेप

†**सचिव** : मैं दूसरी लोक-सभा के दूसरे सत्र के सम्बन्ध में "पार्लियामेंटरी कमेटीज—ए समरी-आफ वर्क" (संसदीय समितियां—कार्य का संक्षेप) की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ४३८/५७**]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है ।

(१) कि राज्य-सभा ने ९ दिसम्बर, १९५७ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९५७ को पारित किये गये अफीम विधि (संशोधन) विधेयक, १९५७ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि राज्य-सभा ने १० दिसम्बर, १९५७ को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९५७ को पारित किये गये पूंजी निगम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९५७ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(३) कि राज्य-सभा ने ११ दिसम्बर, १९५७ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९५७ को पारित किये गये कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५७ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(४) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९५७ को पारित किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५७ के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

म्योर मिल्स कानपुर के कामगारों की भीतर रहो हड़ताल

†**श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर)** : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य देंगे :—

"म्योर मिल्स कानपुर के मजदूरों की भीतर रहो हड़ताल से उत्पन्न स्थिति"

---

†मल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : म्योर मिल्स कानपुर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के नियंत्रण और प्रबन्ध में है। कर्मचारियों ने बिना किसी सूचना के ही २ दिसम्बर को वहां हड़ताल कर दी और सितम्बर १९५७ के दूसरे पंद्रहवाड़े के वेतनों की मांग की। और २४ सितम्बर से प्रथम नवम्बर १९५७.तक का काम बन्दी का मुआवजा भी मांगा। इस में लगभग ५,५४० कर्मचारी थे। यह अदायगी न होने का कारण कुछ आर्थिक कठिनाइयां और प्रबन्ध में परिवर्तन था। ६ नवम्बर को प्रबन्धकों ने एक सूचना लगा कर कर्मचारियों को काम पर आने का आह्वान किया। यह भी आश्वासन दे दिया गया कि हड़ताल करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। और उन का बकाया उन्हें किश्तों में दे दिया जायेगा। कर्मचारियों ने इस की कोई परवाह न की, तो प्रबन्धकों ने दूसरा नोटिस लगाया और ८ दिसम्बर से मिल बन्द करने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने प्रबन्ध समिति के सदस्यों को यह नोटिस दिया कि वह यह बताये कि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत उन के विरुद्ध क्यों कार्यवाही न की जाये। जहां तक काम बन्दी के मुआवजे का सम्बन्ध है उस के लिये श्रमिकों को राज्य सरकार को आवेदन पत्र देना होता है और राज्य सरकार भूराजस्व के तौर पर इस को वसूल कर सकती है।

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट

†शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मैं मौलाना आजाद की तरफ से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० की धारा ३८ के साथ पठित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि ८ के खण्ड (१) के उपखण्ड (१८) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उपरोक्त विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिये स्वर्गीय श्री सैफ एफ० बी० तैयब जी के स्थान पर अपने में से एक सदस्य चुनें।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक, १९२० की धारा ३८ के साथ पठित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि ८ के खण्ड (१) के उपखण्ड (१८) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उपरोक्त विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिये स्वर्गीय श्री सैफ एफ० बी० तैयब जी के स्थान पर अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नागरिकता (संशोधन) विधेयक*

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकता अधिनियम १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक १२-१२-५७ में प्रकाशित।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस विधेयक पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया गया था ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं था, मैं कोई विरोधी पक्ष के सदस्यों के लिये कोई असुविधा पैदा करना नहीं चाहता, विधेयक को, जब भी मंत्रणा समिति ठीक समझे, लिया जा सकता है । केवल पुरःस्थापित करने पर तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति का यह मत था कि उस ने जिन विधेयकों पर विचार किया है उन्हें ही लिया जाये । उन के लिये ही हमें दो शनिवार बैठक रखनी पड़ी है और अन्य प्रति दिन एक घंटा बैठना पड़ेगा ।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि आज सभा की बैठक ५ बजे तक होगी और ६ बजे तक नहीं रहेगी । आज के बाद बैठक ६ बजे तक ही रहा करेगी ।

दिल्ली विकास विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित, दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ पर आगे चर्चा करेगी ।

श्री राधा रमण अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में जो दिल्ली डेवलपमेंट आथारिटी बिल पेश किया गया है उस की चर्चा करते हुए यह कहा था कि बरसों से दिल्ली में जो बिखरी हुई संस्थायें विकास का कार्य कर रही थीं और जिन के कारण यहां के रहने वालों को नाना प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ीं, उन का एक उत्तर यह दिल्ली डेवलपमेंट आथारिटी हमारे सामने आया है ।

कल दो वक्ताओं ने बहुत काफी हमारे दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में और दिल्ली डेवलपमेंट प्रावीजनल आथारिटी (दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार) के बारे में चर्चा की थी और कुछ ऐसी बातें भी बताई थीं कि जिन से सदन के सदस्यों को यह महसूस हुआ होगा कि दिल्ली के अन्दर आज विकास के कार्य में कितनी कठिनाइयां पेश आ रही हैं । मैं इस सम्बन्ध में एक विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि उस के रख बगर वह तस्वीर हमारे सामने नहीं आती कि जिस तस्वीर का इलाज हम करने जा रहे हैं ।

दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (दिल्ली सुधार न्यास) को शुरूआत सन् १९३८ में हुई थी और जिस समय उस को बनाया गया था उस समय उस का वह मकसद नहीं था कि जो आज की सरकार का है । इसलिये बहुत सी बातें जो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में कही जाती हैं शायद वे बेवक्ती हैं क्योंकि उस जमाने की सरकार दिल्ली वालों के साथ कोई मुहब्बत नहीं रखती थी, जनता के साथ

---

†मूल अंग्रेजी में

उस का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। उस के सामने तो केवल एक ही सवाल था कि बढ़ती हुई दिल्ली को हम एक नक्शे में रख सकें और वहां के लोगों की तकलीफ अगर कम हो सके तो कम हो, लेकिन साथ साथ हाउसिंग और बिल्डिंग का एक प्रोग्राम दिल्ली में चल सके। जिन भाइयों ने दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में काम किया मैं उन की सीमाओं को अच्छी तरह जानता हूं। जहां हम उस से होने वाले असंतोष के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, वहां हमें उस वक्त की सरकार के बारे में भी यह कहना है कि उसे बनाते वक्त उस सरकार ने उस मकसद को सामने नहीं रखा था जो हमारे लिये जरूरी था। हम अधिकारियों को बहुत बुरा भला कह सकते हैं लेकिन हम यह नहीं देखते कि अधिकारी वर्ग को जो अधिकार मिले थे उन से वह कुछ कर सकता था या नहीं और इसलिये उन को दोष देने की हमारी बात बहुत मुनासिब नहीं है।

दिल्ली डेवेलपमेंट प्रावीज़नल आथारिटी के बारे में भी कुछ चर्चा की गई है और हमारे माननीय भाई नवल प्रभाकर जी ने उस बारे में खास कहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह और करना चाहता हूं। जहां तक इस आथारिटी का ताल्लुक है उस को बनाने में हमारी सरकार सिर्फ इतना चाहती थी कि जो इस वक्त आसपास बिखरी हुई इमारतें बनती हैं उन को रोका जाये। उस का मकसद इतना ही भर था और इस से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं यह देखता हूं कि दिल्ली डेवेलपमेंट आथारिटी ने अपना काम किया। लेकिन चूंकि उस के साधन बहुत सीमित थे और उस के सामने बहुत पेचीदा और बहुत बड़ा सवाल था, इसलिये कितने ही मामलों में वह नतीजा नहीं निकला जोकि हम और आप चाहते थे : इसलिये हम अधिकारियों को दोष देते हैं। इस में कोई शक नहीं कि अधिकारियों ने वे नतीजे नहीं निकाले जो निकालने चाहियें थे। अभी चन्द दिन हुए कि मुझे पहाड़गंज जाने का मौका हुआ। मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी ने सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उस कब्जे से वह किराया कई वर्षों से वसूल करता चला आ रहा है। सरकार को यह रुपया नहीं मिलता। वह जमीन बेकार पड़ी है, लोग परेशान हैं, तरह तरह की तकलीफें उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली डेवेलपमेंट प्रावीज़नल आथारिटी को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि उस आदमी को उस जमीन पर से निकाल सके, उसमें बसने वालों को किसी दूसरी जगह बसा दे और उस जमीन को डेवेलप कर के लोगों की जरूरत को पूरा कर सके।

इस सदन के सामने मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं और मैं तो कहूंगा कि पिछले ६ सालों में कोई मौका ऐसा नहीं आया होगा जब मैं ने सदन के सामने यह बात नहीं रखी कि अगर दिल्ली की हाउसिंग समस्या को सुलझाने के लिये आप आथारिटी पर आथारिटी बनाते चले जायेंगे तो कामयाबी नहीं होगी बल्कि वही नतीजा निकलेगा जैसाकि हमारे भाई नवल प्रभाकर जी ने कहा है। सन् ३८ और ३९ से हम इस के बारे में सुनते आ रहे हैं लेकिन आज तक वह चीज नहीं हो पाई है। दिल्ली की हाउसिंग समस्या वैसी ही बनी हुई है और स्लम बनते चले जाते हैं। मास्टर प्लान की बात कही गई और अन्तरिम प्लान की बात भी कई बार कही गई। अभी तक मास्टर प्लान नहीं बना है और दिल्ली की आबादी बढ़ती जाती है जिसको कि मकानों की ज़रूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि जिन को मकानों की जरूरत है उनको सरकार मकान बना कर रहने के लिये दे। यहां पर एक भाई ने एक सवाल किया था कि दिल्ली में कितने सौ ऐसे आदमी हैं जो रात दिन सड़कों पर गुजारा करते हैं और जिन के रहने का कोई इन्तिजाम नहीं है। आज हमारी सरकार है इसलिये हमारे दिल में यह पीड़ा है। आज हम देखते हैं कि एक आथारिटी बनने चली है। लेकिन अगर इस का काम सिर्फ इतना ही है कि चन्द जमीनों को जिन को आप कहेंगे, या जिन को कारपोरेशन कहेगा डेवेलप कर के किसी के हवाले कर दे, तो इस से काम नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि इस तरह की आथारिटी बनाने से बीमारी का इलाज नहीं हो सकेगा। या तो आप नई आबादी को यहां बढ़ने से रोकें। मैं तो चाहता हूं कि न रोका जाये। अगर आप और लोगों को आने देना चाहते हैं तो सब से

[श्री राधा रमण]

ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप देखें कि सरकार कितने हजार मकान बनाये और सबसीडाइज्ड तौर पर वह लोगों को बसने के लिये दिये जायें, उन को जोकि आज सड़कों पर पड़े हैं या जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं जहां से आप के अधिकारी उन को रातदिन हटाते रहते हैं और जिन के बारे में हम आप के सामने शिकायत करते हैं। मैं गृह मंत्री जी से निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि वह चाहते हैं कि दिल्ली के गरीब लोगों की इस समस्या का इलाज हो जाये और वे आराम से जिन्दगी बसर कर सकें। लेकिन उस का मैं समझता हूं एक ही तरीका हो सकता है और वह यह कि जो यह डेवेलपमेंट आथारिटी बने उस को आप अधिकार दें कि शहर के आस-पास दो तीन मील के अन्दर जो भी जमीनें पड़ी हैं उन में मकान बनाये जायें, उन जगहों से आने जाने के रास्तों का इन्तिजाम किया जाये और वहां पर उन लोगों को बसाया जाये जो आज सड़कों पर पड़े हैं या झोंपड़ियों और खोखों में पड़े हैं।

दूसरा काम इस प्रावीजनल आथारिटी ने यह किया कि उसने यह घोषणा की कि जो नये मकान बनते जा रहे थे उनको नये स्टेंडर्ड के मुताबिक बनाया जाये। नतीजा यह हुआ कि जहां साल में एक हजार मकान बनते थे वहां सौ मकान बनना मुश्किल हो गये। यह ठीक है कि नक्शे जल्दी से जल्दी पास करने की कोशिश की जाती है लेकिन जहां जरूरत है हजार नक्शे रोजाना पास करने की वहां अगर सौ नक्शे पास किये जायेंगे तो क्या नतीजा होगा। यह तो सप्लाई और डिमांड का सवाल है। जब तक आप बढ़ती हुई पापुलेशन का इलाज नहीं सोचेंगे हमारी दिक्कतें बढ़ती जायेंगी।

मैं चाहता हूं कि यह जो आथारिटी बन रही है यह एक हजारों एकड़ जमीन को ले कर विकसित करे और वहां पर लोगों को बसाने का प्रयत्न करे। लेकिन अगर दिल्ली में पांच हजार, या पांच लाख मकानों की जरूरत है, तो जब तक उन के लिये एक प्लान नहीं बनाया जायेगा, तब तक हम को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है।

मास्टर प्लान में एक प्रोपोजल यह थी कि चांदनी चौक की सड़क को चौड़ा करने के लिये वहां के दायें बायें के मकानों को ढहा दिया जाय और वहां पर एक नहर चलाई जाय। इस विषय में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर एक ऐसे नगर के लिये, जहां कि दस लाख की आबादी होनी चाहिये और बीस लाख लोग बसते हैं, इस तरह के प्लान बनने लगें, तो वे कहां तक कारगर होंगे। इसलिये इस बात की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दी जानी चाहिये कि यहां के उन लोगों के लिये मकान बनाये जायें, जिन को आज सिर छिपाने के लिये जगह नहीं है, जो कि झोंपड़ों और खोखों में रह रहे हैं।

यह ठीक है कि अब दिल्ली के विकास और निर्माण से सम्बन्ध रखने वाली भिन्न भिन्न संस्थाओं को इकट्ठा किया गया है, लेकिन अगर इस आथारिटी को कार्पोरेशन का एक हिस्सा बना कर उस के मातहत यह काम कराया जाता, तो मेरे विचार से यह काम ज्यादा अच्छी तरह से होता और उस का एकीकरण हो जाता। लेकिन चूंकि आप नहीं चाहते कि कार्पोरेशन को शुरू में ही बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व से लाद दिया जाये, इसलिये आप ने इस को अलग रखा है। हम इस का भी स्वागत करते हैं। लेकिन सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि डेवेलपमेंट आथारिटी को एक निश्चित प्रोग्राम दिया जाये, जिस के अनुसार वह हर साल दिल्ली के चारों तरफ मकानों का निर्माण करे, जिन में उन लोगों को जगह दी जाय, जो कि आज झौंपड़ों और खोखों में रह रहे हैं, जिन के लिये पेशाब करने की जगह और पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं है, जिन को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर वहां रहने वालों को वहां से हटाया भी जायेगा, तो शुरू में तो शायद वे थोड़ी सी शिकायत भी करें, लेकिन बाद में वे दुआ देंगे कि यह हमारे लिये बड़ा अच्छा काम किया गया है।

मैं दो तीन बातों की तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि डेवेलपमेंट आथारिटी को कामयाब बनाने के लिये बहुत जरूरी हैं। मैं देखता हूं कि हमारे यहां जितना भी विकास का कार्य है, डेवेलपमेंट आथारिटी के बनने के बावजूद वह बिखरा हुआ है। हाउसिंग मिनिस्ट्री का भी उस से सम्बन्ध है, हैल्थ मिनिस्ट्री भी उससे सम्बन्धित है और गृह-मंत्रालय भी इससे सम्बन्ध रखता है। गृह मंत्री जी दिल्ली के तमाम विकास के जिम्मेदार हैं, लेकिन डेवेलपमेंट आथारिटी हैल्थ मिनिस्ट्री के नीचे है और जितना यह काम है, वह सब हाउसिंग मिनिस्ट्री से कराना है। इन सब संस्थाओं और मिनिस्ट्रीज का काम को-आर्डिनेटिड नहीं होता है और जिस का परिणाम यह होता है कि हर एक काम में महीनों लग जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप आथारिटी के काम को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि इस सब काम को एक ही मिनिस्ट्री के नीचे रखा जाये, फिर वह चाहे हैल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे हाउसिंग मिनिस्ट्री हो और चाहे होम मिनिस्ट्री हो। इस सब काम का उत्तरदायित्व एक ही मिनिस्ट्री पर रहना चाहिये।

आज एक बड़ा मजाक बना हुआ है, जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से बीस वर्ष पहले दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने करोल बाग बेचा और वहां के रहने वालों को वहां पर मकान बनाने की इजाजत दी। वहां पर मकान भी बने और दुकानें भी बनीं—मकानों में लोग रहते हैं और दुकानों में व्यापार करते हैं। परन्तु जगह की तंगी के कारण वहां ऐसे भी अनेक मकान हैं जो रहने के लिये बनाये गये परन्तु अब उनमें रहना और व्यापार दोनों होता है। आज एक नया कानून बनाया गया है, जिस के मातहत उन लोगों से कहा गया है कि ये मकान तो रहने के लिये बनाये गये थे, लेकिन आप ने कारोबार करने के लिये वहां पर दुकानें खोल दी हैं, इसलिये उनसे कई कई हजार रुपये मांगे जाते हैं नहीं तो मकान छीनने की धमकी दी जाती है। मैं निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता कि आज हमारे यहां लोगों को मकानों के बारे में बहुत तकलीफें हैं। जिन मकानों में रहना चाहिये था, वहां वे आज व्यापार करते हैं अपनी रोजी कमाने के लिये और अपना पेट भरने के लिये। इस सम्बन्ध म जो कुछ भी हम करें, जो भी कानून बनायें, जो भी रास्ता निकालें, वह ऐसा होना चाहिये जो कि समझ में आ सके, जिससे लोगों के साथ ज्यादती न हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह नियम नई दिल्ली के लिये था, लेकिन इस को दूसरे इलाकों पर भी लागू किया जा रहा है। यह गैरमुनासिब होगा कि जो लोग आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, नई हिदायतें निकाल कर उन से वह आराम छीन लिया जाये।

दातार साहब की अमेंडमेंट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये कि कम्पेन्सेशन सही ढंग से दे सकें। मैं मानता हूं कि सरकार हजारों लाखों रुपये खर्च कर के विकास कर रही है और इस शहर को बढ़ा रही है, इसलिये अगर बीस वर्ष पहले खरीदी गई जमीन की कीमत चौगुनी या आठ गुनी हो गई है, तो उसका सारा फायदा एक इंडिविजुअल आदमी को दे दिया जाये, यह ठीक नहीं है। श्री दातार की अमेंडमेंट से जाहिर होता है कि १९५५ के मारकेट रेट के हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा और बिला लिहाज इस बात के दिया जायेगा कि कोई आदमी उस जमीन पर डिपेंडेंट है और इस तरह के आदमी और उस आदमी में कोई फर्क नहीं होगा, जिस के पास बहुत जमीन है, जो बहुत आसूदा है और जिस के पास बहुत ज्यादा रुपया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बारे में आप को बहुत मोहतात होना पड़ेगा कि इससे कितने आदमियों को तकलीफ होती है। मेरी राय में अगर आप यह समझते हैं कि बैटरमेंट का कोई पोरशन उस आदमी से लेना है, जिस ने दस बीस वर्ष पहले जमीन ली थी, तो इसके लिये आप एक असेसर्ज बोर्ड या एक कमेटी बना दीजिये, जो सब बातों को देख कर—यह देख कर कि मारकेट रेट कितना था, किस के पास थोड़ी जमीन है, या कोई उसी पर डिपेंड करता है, कौन गरीब है, उससे जमीन ली जाये या

[श्री राधा रमण]

नहीं किस कीमत पर ली जाये, वगैरह ध्यान में रख कर हर पांच वर्ष के बाद कम्पेन्सेशन का फैसला करे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक ही लाठी से सब को हांकना मुनासिब नहीं है। अंगरेज के जमाने में यह बात जरूर लागू होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं होना चाहिये। यह ठीक है कि आज हम आजाद हैं, लेकिन मुझे दुख है कि हम ने अपने तरीकों को उसी तरह से रखा हुआ है और हमारे बहुत से अफसर उसी तरह से सोचते हैं।

इस सिलसिले में मुझे याद है कि एक बार जब यह सुझाव दिया गया कि दिल्ली में जितने कटरे हैं, जितने झोंपड़े वगैरह हैं, उन की जगह पर पांच-मंजिले मकान बना कर, उन्हीं में कटरों और झोंपड़ों में रहने वाले लोगों को बसाया जाये, तो इस का जवाब दिया गया कि इससे तो स्टेंडर्ड गिर जायेगा, दुनिया के किसी बड़े नगर के लिये यह मुनासिब नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कटरे की तमाम आबादी की शकल एक है, स्टेंडर्ड एक है, रहने का तरीका एक है और अगर उन मकानों में उन लोगों को बसा दिया जाये, तो वह शकल बदलता नहीं है, बल्कि इससे वहां रहने वाले बेचारे गरीबों को राहत मिल जाती है। लेकिन इस बात को माना नहीं जाता है। बल्कि नये नये टाउन-प्लैनर, नई नई कमेटियां, नये नये ख्याल हमारे सामने आते हैं। वे दिल्ली को बहिश्त बनाना चाहते हैं। वे इस को बहिश्त बनायें, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, उससे यहां जो नरक है, उस से भी बड़ा नरक न बन जाये।

मैं निहायत अदब के साथ बड़े जोर से यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हर किस्म के विकास के लिये सबसे जरूरी बात यह है कि तमाम तरफ से रुपया निकाल कर, लाखों मकान ऐसे बनाये जायें, जिन में उन गरीबों को जगह दी जाये, जो कि स्लम्ज में पड़े हुए हैं। स्लम-क्लीयरेंस की आम तौर पर चर्चा की जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितने स्लम्ज हम क्लीयर करते हैं, उतने ही हम बनाने के जिम्मेदार हो जाते हैं। दिल्ली में लगभग एक लाख आदमी हर साल बाहर से आकर बसते हैं, उन के लिये दस हजार मकानों की जरुरत हो और एक हजार आप बनाते हों, तो ऐसी सूरत में किस तरह आप स्लम्ज को रोक सकते हैं, जब तक कि आप इस आमदोरफ्त को न रोक दें। आप सोचिये कि वह हो सकता है या नहीं। अगर आप उसको नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आथारिटी के पास ऐसे साधन और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिये कि वह अपने काममें कामयाब हो सके, वर्ना नतीजा यह होगा कि जिस तरह से डी० आई० टी० की आलोचना की जाती है, जिस तरह से प्राविजनल आथारिटी के आफिसर्ज की निन्दा की जाती है, उससे कहीं ज्यादा निन्दा उन आफिसर्ज की होगी, जो कि डेवेलपमेंट आथारिटी में काम करेंगे। अगर हम को इससे बचना है और उस मर्ज का इलाज करना है, जिस में हम इस वक्त मुबतिला हैं, तो उस का वाहिद इलाज यह है कि विकास के काम को इस बात पर केन्द्रीभूत किया जाये कि दिल्ली में झोंपड़ों और खोखों में रहने वाले गरीब लोगों के लिये मकान बनाये जायें। मेरा यह अनुभव और दावा है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जमीन ऐसी पड़ी हुई है, जो या तो बेकार है या दूसरे लोग उस पर काबिज हो कर हजारों, लाखों रुपया किराया उससे सूल कर रहे हैं। अगर उन जमीनों को हासिल कर के—हालांकि वे तो पहले से ही हासिल है—उन पर मकान बना लें और उन को गरीब आदमियों को दें, तो दिल्ली की तमाम जनता आराम पायेगी और इस काम के लिये हम को और आप को मुबारकबाद देगी। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि जो बातें डी० आई० टी० और प्राविजनल आथारिटी के लिये कही जाती हैं वही बातें इस अधिकरण पर भी लागू होंगी और जो तक्लीफें हम आज देख रहे हैं वही तकलीफें फिर नजर आयेंगी

ऐक्वीजीशन के बारे में भी मुझे एक लफ्ज यह कहना है कि भले ही सरकार को जमीन को ऐक्वार करने की जरूरत महसूस हो और वह लैंड ऐक्वार करे लेकिन मुझे यह बात बिलकुल समझ में नहीं आती कि किसी एक बेचारे आदमी की बाप दादे की जमीन १०० या १५० गज पड़ी है उसको आपने ले लिया और उसको बदले में थोड़ा सा पैसा दे दिया। वह तो बेचारा उसके बाद बेकार हो गया और बेरोजगार हो गया और आपने उस जमीन को ले कर डेवेलप कर दिया और डेवेलप करने के बाद आपने उसे किसी काम में ले लिया चाहे गवर्नमेंट के काम में हो और चाहे किसी प्राइवेट संस्था को वह लैंड मुनाफा कमा कर बेच दी जाये। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के दिल में उन बेचारे गरीब किसानों का जो कि थोड़ी थोड़ी जमीनें रखते हैं उनका कंसिडरेशन अपरमोस्ट होना चाहिये। यह ठीक है कि कानून की रू से आपको गवर्नमेंट परपज के लिये जमीन ऐक्वायर करने का हक हासिल है लेकिन मेरा कहना है कि उस हक के होते हुए भी आपके दिल में उसके लिये ख्याल होना चाहिये और आपका यह फर्ज है कि आप उन गरीबों की जो वे छत, वे मकान और वे पानी और सरो सामान के अपनी जिन्दगी को काट रहे हैं, मुसीबत की जिन्दगी बिता रहे हैं उनकी मुसीबत को किसी तरीके से कम करने की कोशिश करें और उनकी मुसीबत को हल कर के आप उनको थोड़ा सा आराम और राहत पहुंचायें।

आपने जो यह दिल्ली डेवेलपमेंट बिल रक्खा है, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं और इसमें यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आप लैंड डेवेलपमेंट आथारिटी और डी० आई० टी० का एकीकरण कर के एक जगह ले आये हैं लेकिन उसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि यह जो अलग अलग मिनिस्ट्रियों का दखल रहता है वह वैसा न हो कर एक ही मिनिस्ट्री के मातहत वह सब काम हो। इस अधिकरण के मातहत अपना ही पी० डबलू० डी० डिपार्टमेंट हो और जितना भी काम हो यह आथारिटी खुद करे। आपको इस आथारिटी को काफी रुपया देना चाहिये ताकि यह जमीनों को डेवेलप करे मकानात बना सके और हाउसिंग के मामले को हल कर सके और अगर आप ने यह नहीं किया तो जितनी बातें हम और आप कह रहे हैं वे बातें हमारी बेसूद रहेंगी, और जिस तरह से डी० आई० टी० और प्राविजनल डेवेलपमेंट आथारिटी को लोग बुरा भला कहते हैं और उनकी निन्दा करते हैं, उसी तरह से लोग उन सारे अधिकारियों की निन्दा करेंगे जो डेवेलपमेंट आथारिटी के मातहत काम करेंगे। आज हमारी मांग यह है कि इस डेवलपमेंट आथारिटी को यह अधिकार दिये जायें और इसका एकीकरण किया जाये जिससे इसके पास रुपया काफी रहे और वह मकान बना कर गरीबों को दे सके। उसको यह देखना चाहिये कि गरीबों को उनकी पुरानी जगहों से उठाते समय उनके लिये आलटरनेट जगह बनी है अथवा नहीं। ऐसा न हो कि हम उनको उठाते तो चले जायें और उनको दूसरी जगहों पर बसाने का कोई इंतजाम न हो। आज आपके पास ताकत है आप हर वक्त उनको उठा सकते हैं लेकिन अगर उठाने से पहले बसाने का माकूल इंतजाम न करें तो वह मुनासिब बात नहीं होगी। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री के हृदय में उनके लिये बहुत दर्द है और वे जरूर उसका इलाज सोच रहे होंगे और मैं आशा रखता हूं कि वे उसको करेंगे भी। डेवलपमेंट आथारिटी के प्राविजन्स से मुझे पूरी तरह संतोष नहीं होता और मैं यह देख रहा हूं कि अगर इसी तरीके से डेवेलपमेंट आथारिटी का काम चला तो यह जो प्राविजनल आथारिटी बनाने से नतीजा निकला है उससे बेहतर नहीं होगा। आप जमीन का डेवेलपमेंट करेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि वह डेवेलपमेंट नाकाफी होगा और उससे लोगों के लिये अच्छे मकान बनाने की जो ख्वाहिश है वह पूरी नहीं होगी और न ही आप इस बढ़ती हुई आबादी की समस्या को सफलतापूर्वक हल कर पायेंगे। आप इस बढ़ती हुई आबादी को रोक नहीं सकेंगे और अगर आप किसी किस्म का प्रतिबन्ध लगा भी दें तो वह चलने वाला नहीं है। इसलिये उस प्रतिबन्ध को बगैर लगाये पहले से आप यह सोच कर इस बात का इलाज करने लग जायें तो वह ज्यादा मुनासिब होगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय गृह मंत्री का इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह विश्वास करता हूं कि वे इन पर विचार बिल में करेंगे।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, यह जो डेवेलपमेंट बिल हमारे सामने आया है उस पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने कल यह दरख्वास्त की थी कि हम लोग यह चाहते हैं और दूसरे लोग भी यह चाहते हैं और उन्होंने बार बार अपनी यह राय दी कि इसको कारपोरेशन का एक हिस्सा बना दिया जाये। आज मैं उन चीजों को और उन आर्गुमेंट्स को दुहराना नहीं चाहती हूं जो कि उसके हक में दिये गये हैं। जहां हम डेमोक्रेसी की कमजोरियों से वाकिफ हैं वहां हम ब्यूरोक्रेसी की ताकतों से भी बहुत वाकिफ हैं। अगर कोई ऐसा सम्मिश्रण किया जाता जिसमें हम दोनों की बुराइयों को दूर कर सकते और एक अच्छी अथारिटी बना सकते तो वह बहुत अच्छा होता। जब तक किसी जिम्मेदारी को न लिया जाये तब तक हम देखते हैं कि काम ठीक नहीं होता और अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाये और उन्हीं के हाथ में सब कुछ दे दिया जाये तो उसका भी कोई अच्छा नतीजा नहीं होता। इसका कोई अफसर अच्छे होने या बुरे होने से ताल्लुक नहीं है बल्कि वह ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम ही कुछ ऐसा है।

नई दिल्ली को जिस तौर पर कारपोरेशन के कार्य क्षेत्र से बाहर रख दिया गया है वह भी हमारे लिये काफी दुःख का विषय है। सरकारी कर्मचारियों को एलेक्शंस में हिस्सा न लेने दिया जाये यह तो समझ में आता है लेकिन जिस तरीके से वे पार्लियामेंट के लिये वोट दे सकते हैं उसी तरह से उनको सिविक एफेयर्स में भी वोट देने का हक होना चाहिये और इससे उनको महरूम रख कर कोई बहुत लाभ नहीं होता है। आज हम यह देखते हैं कि पुराने अफसरान चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों और अपने वक्त में ठीक इम्तिहान दिये हों और अच्छे तरीके से कम्पटीशन के जरिये आये हों, जब वे अफसर बन जाते हैं और जनता के नुमायन्दों की उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है तो न मालूम किस तरीके से वे बिहेव करने लगते हैं और इसके उदाहरण दे कर मैं आपका और हाउस का समय नष्ट नहीं करना चाहती हूं मगर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की पालिसी एक होती है, गवर्नमेंट की पालिसी एक होती है, जो कांग्रेस पार्टी हुकूमत में समझी जाती है उसकी पालिसी तो एक होती है मगर अधिकारीगण जिन पर कि उन पालिसियों को अमल में लाने की जिम्मेदारी होती है, वे अगर चाहें तो उन तमाम पालिसियों के खिलाफ चल कर जितना चाहें मामला अटका सकते हैं और हमारे देखने में आता है कि वे अटका दिया करते हैं। इसलिये मैं कहूंगी कि अगर इस आथारिटी को कारपोरेशन के अंडर कर दिया जाये और यदि अब भी गृह मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में इस प्रकार का निर्णय करें तो मुझे उम्मीद है कि उनके इस फैसले का सारे दिल्ली शहर भर में स्वागत होगा।

दूसरी चीज जो मैं इस बिल के बारे में अर्ज करना चाहती हूं वह यह है कि जहां तक डेवेलपमेंट का सवाल है, कोई एरिया जब डेवेलप्ड समझा जाये तो उससे सिर्फ यही न समझा जाये कि वहां पर सड़कें हैं, पानी है या नालियां हैं, वहां पर और भी चीजों का ध्यान रक्खा जाये कि वे भी वहां पर मौजूद हैं कि नहीं। कई एरियाज़ जो आज डेवेलप समझे जाते हैं और जहां पर सरकारी तौर पर मकान बना दिये गये हैं उनके मकान बना देने के बाद वहां पर छोटी छोटी चीजों के लिये लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि वे परेशान हो जाते हैं। उनके वहां पर चले जाने के बाद कोई उनकी तरफ तवज्जह नहीं देता। वहां पर बिजली नहीं होती जिससे अन्धकार छाया रहता है और आये दिन चोरियां हो जाती हैं। वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं होती है और कोई शिकायत करने नहीं जा सकता है। वहां पर टेलीफोन नहीं हैं और अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो आप ही बतलाइये कि वे कैसे खबर दें। इसलिये डेवेलपमेंट आथारिटी को देखना चाहिये कि जो एरिया वह डेवेलप करे और लोगों को बसाने के पहले उन तमाम सुविधाओं की वहां पर व्यवस्था कर देनी चाहिये ताकि लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना न करना पड़े।

जैसे कल हमारे एक आनरेबुल मेम्बर ने आपके सामने अर्ज किया कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में जो डेफीनीशन है, वह डेफीनीशन हमने इसमें नहीं दी है। या तो इस बिल में कोई ऐसी डेफीनीशन

होनी चाहिये और कोई क्लाज ऐसा होना चाहिये कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में जो डेफीनीशन दी हुई है वह इसमें लागू होगी नहीं तो मुझे कोई शुबहा नहीं कि वह बड़ी दिक्कत पैदा करने वाली चीज होगी।

कम्पेनसेशन के बारे में जो अमेंडमेंट आया है वह मैं चाहता हूं कि हाउस उस पर अच्छी तरह से विचार करे। हमारे यहां पर जमीनों के बारे में एक अजीब सिलसिला चलता है। एक मिक्सेड एकोनामी हमारी चलती है, कुछ वे जमीनें हैं जिनको कि प्राइवेट तौर पर लोग खरीदते हैं और बेचने का व्यापार करते हैं और कुछ वह जमीनें होती हैं जिनको कि सरकार ऐक्वायर कर लेती है और सरकार बनिस्बत प्राइवेट पार्टीज के जमीन के कम दाम देती है। प्राइवेट लोग उनको जमीन के ज्यादा पैसे दे देते हैं। अब चाहे खेती की जमीन हो किसानों की जमीन हो या किन्हीं दूसरे लोगों की जमीन हो, जाहिर है कि जो जमीन बेचने वाला है उसके इंटरेस्ट में यह है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन की कीमत ले। इसका लाजिमी नतीजा यह होता है कि हर जमीन वाला अपनी जमीन को सरकार की कुदृष्टि से बचाने की चेष्टा करता है और जैसे तैसे प्राइवेट लोगों के हाथ में ज्यादा दाम में बेच देता है और मुनाफा कमा लेता है अलबत्ता जिसकी जमीन पर सरकार की नजर पड़ जाती है वह नुकसान में रहता है और लोग बराबर इस कोशिश में रहते हैं कि हमारी जमीन पर सरकार की शनि दृष्टि न पड़े और किसी तरह से उनकी नजर से वह बच जाये और अगर कुदृष्टि पड़ जाये तो हम किसी तरीके से शोर मचा कर के और गोल माल कर के किसी भी तरह से अपनी जमीन को सरकार के हाथ में जाने से बचा लें और हमारे बदले किसी और दूसरे भाई की जमीन गवर्नमेंट ऐक्वायर कर ले। यह मिक्सेड एकोनामी चलती है। अब प्राइवेट लोग जो जमीन को डेवेलप करते हैं तो उसमें कम खर्चा आता है और जो सरकार डेवेलप कराती है उसमें ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि वैसे कहने को तो नेशनलाइजेशन हो गया है मगर वह नेशनलाइज्ड होने के बाद भी सी० पी० डबलू० डी० जो काम करवाती है या डेवेलपमेंट आथारिटी करवाती है वह प्राइवेट ठेकेदारों से काम करवाती है। एक तो अपने महकमे पर खर्च करते हैं फिर उस के बाद प्राइवेट ठेकेदारों को काम देते हैं। इस में खर्च बहुत बढ़ जाता है। पहले तो सस्ता लेते हैं, खर्च उस पर ज्यादा करते है, फिर उस के बाद लोगों को सस्ता देना पड़ता है। तो यह जो प्राइवेट एंटरप्राइज और सरकारी काम का सम्मिश्रण किया है, यह इतना बेकायदा और गलत मालूम होता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस का क्या फायदा है। इस के बाद जो सरकारी जमीन होती है वह गवर्नमेंट को सस्ती देनी पड़ती है, जो प्राइवेट लोग जमीन को डेवेलप करते हैं वह जमीन की ज्यादा कीमत देते हैं। डेवेलप करने पर कम खर्च करते हैं और जब बेचते हैं तो बेहिसाब किताब बेचते हैं। इन प्लाट्स की कोई कीमत मुकर्रर नहीं होती, जिस कीमत पर चाहते हैं बेचते हैं। एक तरफ सरकार की कालोनी बनती है, उस के बीच में जिस की प्राइवेट जमीन है, उस की कीमत बढ़ जाती है। उस पर वह जितना चाहे खर्च करता है और जितना चाहे कमाता है। फिर जब आप के यहां खरीदना जायज, बेचना जायज, मुनाफा कमाना जायज उस में लोगों की कोशिश है कि वह सरकार से अपनी जमीन बचा कर दूसरी जगह बेचने की कोशिश करें, तो उन के लिए यह कोई गलत काम नहीं है।

मैं आपसे अर्ज करूंगी कि दिल्ली जैसी छोटी जगह में एक एक इंच और एक एक चप्पा जमीन के लिये मुश्किल पड़ती है। जब स्लम्स क्लिअरेंस करना होता है या गरीब आदमी के मकान बनाये जाते हैं तो इस की वजह से उस की कीमत बहुत हो जाती है इस का सरकार को कोई उपाय निकालना चाहिये, सरकार इस काम में मदद करे। चाहे प्राइवेट आदमियों को मकान दे दे या कीमतों पर कंट्रोल लगाये ताकि गरीब से गरीब लोग आबाद हो सकें। आज प्राइवेट आदमी जमीन बेचते हैं और खरीदते हैं, डेवेलप करते हैं और मकान बनाते हैं और मकानों की समस्या

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस से ऐसा नहीं होता कि दिल्ली का मसला हल हो। दिल्ली के राजधानी होने की वजह से दूर दूर से लोग आते हैं, यहां पर जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, और बिना किसी कंट्रोल के जितने किराये पर चाहते हैं अपना मकान देते हैं। उन से कम से कम गरीब आदमियों के लिये मकानों का मसला हल नहीं होता। इस लिये जो डेवेलपमेंट आथारिटी बने, उसका अपना महकमा होना चाहिय, जो खुद डेवेलप करे, उस का अपना महकमा होना चाहिये जो खुद वहां पर बिल्डिंग का काम करे, और सस्ता बनाये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लोगों का यह मसला हल नहीं होगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से दर्ख्वास्त करूंगी कि जब तक उन का मसला हल नहीं होता तब तक वह जमीनों का बेचना और खरीदना रोक दें और जितनी जमीन सरकार को चाहिये वह उस को ले, उस को लेने के बाद, प्लैन बनाने के बाद जब चाहे अपनी जमीन को बेचे।

इस के साथ ही साथ में यह भी अर्ज करूंगी कि जहां तक मकानों के गिराने का ताल्लुक है, कल से यह कहा जा रहा है कि बावजूद इस आथारिटी के होने के अनगिनत मकान बन रहे हैं। इस में कोई शुबहा नहीं है कि आथारिटी के पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि बनते वक्त मकानों को गिरा सके। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब बनने का सवाल होता है तो छोटे छोटे कर्मचारी पैसे ले कर लोगों को बढ़ावा देते हैं और मकान बनवा कर देते हैं। जब वह बन जाते हैं और सरकार गिराने लगती है तो हमारे जैसे सयासी कार्यकर्त्ता जा कर कहते हैं कि उन मकानों को नहीं गिराना चाहिये। यह एक विशेष सर्किल सा बन गया है। लोगों की राय यह है कि मकान जब पूरा हो जाता है तो जनता की और हमारी हमदर्दी मकान बनवाने वाले के साथ हो जाती है। अगर बनते वक्त बीच में ही उस को रोक दिया जाये तो उस वक्त लोगों की हमदर्दी सरकार के साथ होती है। आज मोहल्ले मोहल्ले में लोग कहते हैं कि मकान नाजाएज तौर से बन रहे हैं, उन को क्यों नहीं रोका जाता ? इस डेवेलपमेंट बिल में यह क्लाज रक्खा गया है कि बनते हुये ही आथारिटी को रोकने का अधिकार होगा, इस से हमें बड़ा सन्तोष हुआ, और हो सकता है कि इस से ज्यादा फायदा हो सके।

अभी दो हफ्ते पहले की बात है, कुछ लोगों ने एक मकान बना लिया। वहां पर दस पंद्रह मकान थे। वह मकान दूसरे मकानों के दरवाजे तक पहुंचता था। जिन लोगों ने वहां जमीन खरीदी उस मकान को बनाने के लिये वह बिना इजाजत थी बिना इजाजत के उन लोगों ने मकानों के दरवाजे पर दीवार बना ली। जो वहां के मकानों में रहने वाले थे, उन के लिये कोई रास्ता नहीं रह गया सिवा इसके कि वह दीवार पर से चढ़ कर एक तरफ से दूसरी तरफ को जायें। जब उन लोगों ने डेवेलपमेंट आथारिटी को ऐप्रोच किया तो उसने कहा कि हमारे पास कोई कानून नहीं है जिस से हम उस मकान वालों को रोक सकें। अब लोग उसे नोटिस देंगे। नोटिस का जवाब जब तक आयेगा तब तक चाहे वह जमीन के अन्दर से जायें, चाहे छत गिरा कर हवा में आयें जाय, हम उन को आने जाने का कोई रास्ता नहीं दिलवा सकते। उस का चाहे जो हो, भले ही वह दीवार गिरा दी जाये, पर यह रोज का किस्सा है और लोगों को बेहद दिक्कत पैदा होती है।

इस के साथ ही पुलिस का भी कोआर्डिनेशन नहीं है। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, अभी तो वह नाजायज मकान बनवाने में मदद करती है। जिस दीवार का मैं जिक्र कर रही हूं, मुझे मालूम हुआ कि थानेदार साहब ने खुद वहां जा कर नाजायज तौर पर उस मकान की दीवार को बनवाया। मैं यह भी अर्ज करना चाहती हूं कि जो नये कानून पास होते हैं उन कानूनों के बारे में पुलिस को शिक्षा देने का भी कुछ इन्तजाम होना चाहिये और डेवेलपमेंट आथारिटी से उन का कुछ कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

हम मकानों का बनाना मना कर दें या जो बने हुए मकान हैं उन को गिरा दें, लेकिन इस से मकानों का मसला हल नहीं होता । जब तक हम हाउसिंग की प्राब्लेम पर ठीक से गौर न करें, इन सब चीजों का कोई नतीजा नहीं होगा । ऐसा भी होता है कि तमाम लोग आज मकान बनाते हैं दूसरी तरफ ऐसा भी है कि आज कल हजारों लोग दिल्ली के अन्दर मकानों से एविक्ट होते हैं । नये मकानों पर कोई कंट्रोल नहीं लगाया गया है, सिर्फ पुराने मकानों पर ही रेंट कंट्रोल लागू किया गया है । पुराने मकानों से उन को निकाल दिया जाता है, सरकार उन को कहीं और मकान नहीं दे सकती है, तो आखिर वे लोग हवा में तो उड़ नहीं सकेंगे । आखिर वह किस पर आश्रित होने की कोशिश करे । हम पिछले दो वर्षों से कोशिश कर रहे हैं कि जिनको मकानों से निकाला जाता है, उनके लिये रहने का कुछ प्रबन्ध किया जाये । बहुत कोशिशों के बाद एक कानून पास हुआ, पर वह भी ऐसे लोगों को मदद दे सके, ऐसी आशा नहीं है । जब तक सब मकानों के किरायों को कंट्रोल न करें तब तक गरीब लोगों का काम नहीं चल सकता है । आप ने पुराने मकानों के किरायों को तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन नये मकानों का किराया कंट्रोल नहीं किया, वह जितना चाहें किराया ले सकते हैं । जो लोग आज मकानों से निकाले जाते हैं आखिर वह कहां जायें ? इसलिये जब तक आप पूरी तरह से किरायों का कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । इसलिये एक ऐसे कानून पर भी गौर करना चाहिये और इसके साथ ही साथ जब हम मकान बनने के बाद गिरा भी देते हैं तो जो आदमी एजेक्ट किये जाते हैं उन के लिये नया मकान पा सकने के लिये किरायों पर कंट्रोल करना चाहिये ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

इस बिल के सेक्शन २७ में यह कहा गया है कि डेवेलपमेंट अथारिटी अपने एम्प्लायीज के लिये रूल्स भी बनायेगी । मुझे होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना है कि १७ पेज पर सेक्शन २७ जो यह लिखा है कि आँथारिटी कानून बनायेगी उस के बजाय अगर वह यह कर दें :

"Pension, gratuity and provident fund as per rules applicable to Government servants."

तो वह ज्यादा मुनासिब होगा । हमारे यहां कई पुरानी आँथारिटीज़ ऐसी बनी हैं । डी० टी० एस० है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी है, जिन के जरिये अपने एम्प्लायीज के लिये अपने रूल्स बनाये गये थे । बरसों के झगड़े के बाद आज गवर्नमेंट इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि जो रूल्स गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हैं, वही उन पर ऐप्लाई होंगे । इसी तरह से इन लोगों पर भी गवर्नमेंट एम्प्लायीज के रूल्स लागू होने चाहिये । अगर डेवेलपमेंट अथारिटी अपने रूल्स अलग बनायेगी और उन लोगों की स्ट्रगल के बाद अगर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के रूल्स उन पर ऐप्लाई किये जायेंगे तो बिना वजह के काम्प्लिकेशन्स पैदा होंगे । इस लिये मैं कहती हूं कि उन पर भी वही रूल्स लागू किये जायें जो कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर लागू होते चले आये हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगी कि तमाम दिक्कतों को दूर करते हुए इस बात की कोशिश वे करें कि इस कार्पोरेशन और डेवेलपमेंट अथारिटी को यहां के लोग अधिक से अधिक स्वीकार कर सकें । अगर आप ऐसा कर सकें तो हम लोग इसका ज्यादा अच्छी तरह स्वागत कर सकेंगे ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है । वास्तव में जो कुछ इसके सम्बन्ध में कहा गया है वह विधेयक के उपबन्धों से प्रकरण संगत नहीं । परन्तु पूर्व वक्ताओं द्वारा जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है । दिल्ली में आवास

†मूल अंग्रेजी में

[पं० गो० ब० पन्त]

की समस्या बहुत गम्भीर है। और मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं कि हम अभी तक इसे सन्तोषजनक ढंग से हल नहीं कर पाये। हालात ऐसे हैं सामान्यतः राजधानी की बढ़ रही आवश्यकताओं को सामान्य ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार ने विशेष कार्यवाही कर के बहुत क्षेत्रों का विकास किया है। सरकार ने २५०० एकड़ भूमि का विकास किया है। ११०० एकड़ का विकास अभी हो रहा है। परन्तु दिल्ली में अभी और भी मकानों की आवश्यकता है। जो लोग दिल्ली में हैं इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आज की संख्या से दुगने मकान और चाहियें। संभवतः वे भी पूरे नहीं क्यों कि दिल्ली में लोग निरंतर आ आ कर बस रहे हैं।

इन हालात में, हमें अपनी कठिनाइयों का अन्दाजा लगाना है, और यह ऐसा प्रश्न नहीं जिस पर दलगत भावना से विचार किया जाये। इस बात से किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मकान और सामान्य जीवन की सभी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें। और यह बात भी सभी को स्वीकार है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिये। मेरे विचार में इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न करती रही है।

अस्थायी दिल्ली विकास प्राधिकार मंडल के कार्य के सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी रही है। इसका निर्माण इस उद्देश्य से ही किया गया था कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने पाये और विकास अनियमित रूप से न हो। साथ ही जिन क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है उसे रोका जाय। मेरे विचार में यही उसका मुख्य उद्देश्य था : इसे आवास समस्या तो हल करनी नहीं थी। इस लिये इस पर यह आरोप लगाना गलत है कि यह अपने काम में असफल रही है। यह सब कुछ तो नहीं कर सकती थी। इसके नाम अर्थात् अस्थायी प्राधिकार, से ही यह बात स्पष्ट है, कि इसके कार्य का क्षेत्र सीमित है। आवास की समस्या और उससे सम्बन्धित कठिनाइयों को हल करने के लिये अन्य प्राधिकार की स्थापना बाद में होनी थी। इसलिये हमें इसके प्रति अनावश्यक रोष प्रकट नहीं करना चाहिये।

इस विकास प्राधिकार का जहां तक सम्बन्ध है, यह आवास समस्या के सभी अंगों के लिये नहीं है, इसे तो मुख्यतः 'मास्टर प्लान' तैयार करनी थी, दिल्ली की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर स्थिति का सर्वेक्षण करना था, और आगे के लिये पथ-प्रदर्शन करना था। योजना बनाने का काम किया जा रहा है। और इसके लिये बहुत ही योग्य और विशेषज्ञों की व्यवस्था की जा रही है : और जो भी योजना होगी वह स्वीकर करने से पूर्व लोगों की राय के लिये प्रकाशित और प्रसारित की जायेगी। प्राधिकार को इसे स्वीकार करने का कोई अधिकार नही। इसे केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत किया जायेगा, और केन्द्रीय सरकार दिल्ली के विकास, प्रगति, और उन्नति के लिये ही प्रयत्न करेगी। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिये। एक योजना बनी भी है, परन्तु इसका भी विशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षण होगा। इसलिये इस समस्या के सभी अंगों का परीक्षण करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गयी है।

प्राधिकार के अन्तर्गत केवल वही इलाके विकास के लिये दिये जायेंगे जो कि केन्द्रीय सरकार निगम के परामर्श से इसके लिये नियत करेगी। निगम को सारी दिल्ली और इसके किसी भी अंग का विकास करने का अधिकार होगा। उस पर कोई रोक नहीं, जो कुछ वह कर सकता है, उसके लिये काफी क्षेत्र हैं। इस लिये इस दिल्ली विकास प्राधिकार का अस्तित्व दिल्ली निगम के विकास

कार्यक्रमों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेगा। निगम तो उच्चाधिकार निकाय होगा। इसमें ८० सदस्य और उन द्वारा निर्वाचित ६ एल्डरमैन होंगे। उनके पास १० करोड़ का बजट भी होगा। इसलिये मुख्य कार्य तो निगम के ही सुपुर्द होगा। परन्तु विकास के लिये जो इलाका इस प्राधिकार को दिया जायेगा वह उसे विकसित करेगा। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कठिनाई और आपत्ति के लिये कोई गुंजाइश नहीं देखता। यह रुकावट पैदा नहीं करती, यह तो निगम के परामर्श से ही किसी क्षेत्र को हाथ में लेगी।

इस विधेयक का कारण केवल यह है कि विकास योजनाओं के कार्य के विविध अंग हैं। और दिल्ली तथा निगम के हित में ही इस प्रकार का कोई प्राधिकार होना चाहिये जो कि अपनी जिम्मेदारी पर क्षेत्रों का विकास करे, और दिल्ली नगर का सुधार और सुन्दरता को बनाये रखे।

इसलिये मैं इस प्राधिकार के निर्माण के सम्बन्ध में आपत्ति को समझ नहीं सका। यदि मैं निगम का सदस्य होता तो मैं तो स्वयं ही इस प्रकार की प्रस्थापना प्रस्तुत करता। निगम तो हर काम करने में स्वतन्त्र है, परन्तु प्राधिकार को तो विकास के लिये केवल वही क्षेत्र दिये जायेंगे जिनको निगम के परामर्श से केन्द्रीय सरकार नियत करेगी। और उसके लिये किसी अन्य निकाय से आवश्यक धन की भी व्यवस्था करानी होगी। संयुक्त समिति में केवल एक विरोधी पक्ष के सदस्य को छोड़ कर किसी ने भी उस पर आपत्ति नहीं की। वही विधेयक संयुक्त समिति द्वारा सदन में भेजा गया है।

मुआवजे सम्बन्धी खंड अथवा संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था। उस सम्बन्ध में भी हमें स्पष्ट होना चाहिये। कहा गया है कि दिल्ली की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लगभग ५०० से १००० व्यक्ति प्रति सप्ताह दिल्ली में स्थायी रूप में रहने के लिये आता है। इसलिये हम जो यहां रहते हैं और जो यहां आ रहे हैं, दोनों के लिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। आगमन तो चलता ही जा रहा है।

यह भी सुझाव है कि हम दिल्ली में आगमन बन्द कर दें। इस युग में जब कि हम सब एक ही संघ के अन्तर्गत रह रहे हैं, किसी व्यक्ति को दिल्ली में रहने से रोकना बर्बरता होगी। मुझे बताया गया कि मेरे लिये यह लज्जा की बात है कि दिल्ली की पटरियों पर सैकड़ों लोग सोते हैं, और उनके आवास की समस्या का कोई हल नहीं। दुर्भाग्य से कलकत्ता और बम्बई में भी पटरियों पर सोने वाले हजारों हैं, और उनकी ऐसी ही स्थिति है। यह विदेशी राज की बरकत हैं, और लोग ग्रामों से नगरों में आ रहे हैं। दिल्ली तो देश के सभी भागों से लोग आकर्षित कर रही है। कई लोग दिल्ली देखने आये और फिर यहीं के हो लिये।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह शिकायत कि जिन जमीनों पर लोगों का कब्जा है, वहां से उन्हें निकाला जा रहा है, इस शिकायत से समाप्त हो जाती है कि लोगों को नहीं निकाला जा रहा। आप अन्दाजा कीजिये कि मामला कितना नाजुक है। मदारी वाला मामला है, निकालें तो भी बुरा है, और न निकालें तो भी बुरा है। दोनों को सन्तुष्ट कैसे करें। कम से कम यह तथाकथित नौकरशाही लोग तो इन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकते। और मुझे हैरानगी होगी यदि दूसरे भी इन्हें सन्तुष्ट कर लें। पता नहीं मैं किस श्रेणी में आता हूं। परन्तु मैं दोनों ही नहीं कर सकता। और यह सब से बड़ी कठिनाई है।

यह ठीक है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और उस पर उनका कोई अधिकार नहीं। परन्तु किया क्या जाये? हमें बताया गया, किसी को सरकारी जमीन पर कब्जा न करने दो, परन्तु जो अवैध रूप से काबिज है उन्हें मत हटाओ। अब यदि उन्हें

[पं० गो० ब० पंत]

हटाया न गया तो यह भूमि विकास के लिये किस प्रकार उपलब्ध होगी । यह वे सब कठिनाइयां हैं जो कि इस समस्या को हल करने में हमारे सामने आती है । इन पर विचार करके हमसे जो कुछ हो सके, करना है । जब हम कोई सीधा रास्ता अपनाते हैं तो कहा जाता है कि किसी समय किसी मंत्री ने कहा था कि आश्वासन दे दिया गया है, और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं । इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि विकास का काम करते हुए अधिक से अधिक लोगों को स्थान दिया जाये । परन्तु इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि इस स्थिति के कारण रास्ते की कठिनाइयां भी क्या हैं ।

और, प्रतिकर के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई हैं । गत दस वर्षों में दिल्ली में भूमि का मूल्य शायद एक हज़ार प्रतिशत बढ़ गया है । आज दिल्ली में भूमि का मूल्य १९३७ के मुक़ाबले दस और बीस गुना बढ़ गया है : मुझे इसका एक उदाहरण मालूम है कि एक गांव में एक भूमि चार आना प्रति वर्ग गज़ के हिसाब से खरीदी गई थी, लेकिन आज उस भूमि को पांच रुपया प्रति वर्ग गज़ के मूल्य पर आसानी से बेचा जा रहा है । या बेचा जा सकता है; अर्थात् भूमि को अधि-मूल्यन २,००० प्रतिशत हो गया है ।

एक ओर तो कुछ ऐसे सटोरिये हैं जो इसी उम्मीद पर भूमि खरीदते हैं कि जब सरकार उसे खरीदने लगेगी तो वे उसका काफ़ी अधिक मूल्य वसूल करेंगे और ठीक उसी समय वे अत्यधिक मूल्य पर कोई अन्य भूमि खरीदकर सरकार को उसके विक्रय-विलेख दिखा कर कहेंगे कि वही भूमि का बाजार भाव है । वे इस प्रकार मूल्य का मनचाहा स्तर बना लेते हैं । यह एक विचारणीय बात है कि ऐसे सटोरियों के साथ क्या किया जाये ।

और दूसरी समस्या तब खड़ी होती है जब आप सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये, उस जनता के लाभ के लिये भूमि खरीदते हैं जिसको अभी वे सुविधायें सुलभ नहीं हैं जो अन्य लोगों को दी गई हैं । और, यदि, आप ऐसे अत्यधिक मूल्य पर भूमि खरीद भी लें और निर्माण की इतनी अधिक लागत पर इमारत बना भी दें तो उसकी समूची लागत बहुत अधिक बढ़ जायगी । तब उसमें रहेगा कौन ? तब आप निर्धन जनता के लिये किस प्रकार व्यवस्था करेंगे ? यदि आप बहुत ऊंचे मूल्य पर भूमि खरीदेंगे तो उस पर बनायी जाने वाली इमारत के मूल्य में यह अत्यधिक मूल्य भी सम्मिलित हो जायेगा और कुल मूल्य बहुत अधिक बढ़ जायेगा । और उस पर जनता का धन व्यय होगा । क्या जनता का रुपया ऐसे कार्यों पर बहाया जाना चाहिये जिनसे उसे कोई लाभ ही न मिल सके । उसे कोई लाभ न हो सकने का कारण यही होता है कि कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिये ही भूमि खरीदते हैं । क्या ऐसी मुनाफ़ेखोरी को पनपने देना चाहिये ?

एक और भी चीज़ है । वह यह कि यदि आप सामान्य व्यक्तियों की ही बात करें, तो उनको भी १९५५ के आधार पर जो मूल्य मिलेगा वह भी उस मूल्य से कहीं अधिक होगा जो दिल्ली में उसे किसी और समय मिल सकता था । यह बात समझ में नहीं आती कि १९५५ के मूल्यों का स्तर इतना अधिक ऊंचा कैसे होगा । लेकिन हम से कहा यही जाता है कि यह मूल्य-स्तर निर्धारित मत कीजिये, इसलिये कि पांच वर्ष बाद यही स्तर ५० गुना बढ़ चुकेगा । तब उसे खरीदने के लिये धन कहां से आयेगा ? और यदि आप किसी प्रकार धन जुटा भी लें तो उस पर बनने वाले मकानों में रहने वालों से किराया कितना वसूल करेंगे ? क्या आप उनसे एक छोटे से कमरे के लिये पचास रुपया किराया लेंगे ? यदि आप ५,००० रुपया प्रति दस वर्ग गज़ भूमि खरीदेंगे तो इतना किराया तो पड़ ही जायेगा ।

इसलिये, हमें इस पर तर्क-संगत और उचित रूप में विचार करना चाहिये ।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : मूल्य में अधिक वृद्धि इसी लिये होती है कि उसकी मांग अधिक है। हमें पता लगा है कि सरकार ने जिस भूमि का विकास किया है उसका मूल्य निजी बस्तियां विकसित करने वालों की भूमि से लगभग दूना है। सरकार विकसित भूमि का कुछ कम मूल्य नहीं ले रही है। तब अविकसित भूमि का मूल्य भी एक या दो रुपये अधिक क्यों न रहे?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उनका तर्क नहीं समझ पाया हूं। लेकिन यह उस पर बहस करने की जरूरत भी नहीं है, हम बाद में आपस में उसकी चर्चा कर सकते हैं। यहां तो हमारा कहना यही है कि यदि हमारे तर्क में कोई त्रुटि हो, तो हम उसमें सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं अभी उसको आपको वे मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं जिनको ध्यान में रख कर हमने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अन्य स्थानों पर हमने यह भी व्यवस्था की है कि भूमि की ख़रीद १९५५ के नहीं, बल्कि १९४७ के मूल्य पर की जायेगी। एक बार, पहले भूमि की इस ख़रीद, इस अर्जन के लिये एक ऐसा भी प्रस्ताव रखा गया था कि हमें १९४७ के मूल्य-स्तर को ही स्वीकार कर लेना चाहिये। लेकिन, हमने उसे ठीक नहीं समझा। अस्थायी विकास प्राधिकार की स्थापना अक्तूबर, १९५५ में की गई थी। इसलिये, हमने १९५५ को ही आधार मान लिया है, क्योंकि वह हमारे उस अधिनियम से सम्बन्धित है।

इसके अतिरिक्त, आपको उसके मूल्य में २५ प्रतिशत अधिमूल्यन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो उसमें किसी विकास के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों अर्थात् दिल्ली में बाहर से अधिक लोगों के आ कर बसने के कारण बढ़ता है। बिना मेहनत किये किसी को भी कोई वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। तब उस आदमी को कोई अधिक मूल्य क्यों दिया जाये जिसने उसमें कोई मेहनत न की हो, कोई अंशदान न किया हो। भूमि ज्यों की त्यों पड़ी है, लेकिन उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। क्यों? इसलिये नहीं कि उस पर कोई नया विकास आदि किया गया है बल्कि सिर्फ इसलिये कि दिल्ली की जन संख्या में वृद्धि हो गई है। इसलिये, यदि हम ऐसी नीति न अपनायें, तो फिर दिल्ली की अपेक्षाकृत ग़रीब जनता के लिये हम कभी भी कोई व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। इसलिये, हमने बहुत ही उचित व्यवस्था की है।

†**श्री च० कृ० नायर** : दस एकड़ से कम भूमि रखने वालों को इस व्यवस्था से विमुक्ति दे दी जाये और उनको बाज़ार के मूल्य पर ही अदा कीजिये।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इसमें फिर यही सवाल उठता है कि क्या दस एकड़ से कम भूमि रखने वालों को भी केवल इसीलिये अधिक मूल्य दिया जाये कि दिल्ली में निवास-स्थानाभाव जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ बढ़ गया है? उसने उस भूमि के विकास में कोई योग नहीं दिया हो, तो भी उसे अधिक मूल्य दिया जाये? वह तो बिना मेहनत की कमाई होगी। इसलिये, साम्य भाव का तकाजा यही है कि यह सारी राशि जनता को मिलनी चाहिये, उसी के कार्यों पर व्यय की जानी चाहिये, क्योंकि मूल्यों की वृद्धि का कारण सामाजिक ही है, किसी भी एक व्यक्ति के कार्य के परिणाम नहीं है। लेकिन, फिर भी हम उसके लिये ७५ प्रतिशत रख रहे हैं। आशा है कि इससे ऐसी आशंकायें दूर हो जायेंगी।

†**श्री च० कृ० नायर** : यह २५ प्रतिशत मूल मूल्य का नहीं, बल्कि वृद्धि का होगा।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी, हां। समूचे मूल मूल्य के साथ, उसकी वृद्धि का २५ प्रतिशत।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० कृ० नायर : यदि किसी ने १०० रुपये में कोई भूमि खरीदी थी, और अब उसके मूल्य में २०० रुपये तक वृद्धि हो गई हो, तो सरकार उसे १२५ रुपये में ही ले लेगी ।

†पंडित गो० ब० पन्त : उसे अपना भाग्य समझना चाहिये कि समाज की कीमत पर २५ रुपये मिल रहे हैं ।

†श्री च० कृ० नायर : लेकिन वह उसे मुनाफ़ा लेकर ३०० रुपये में बेच सकता है ।

†पंडित गो० ब० पन्त : यदि कोई अन्य व्यक्ति उस भूमि को ३०० रुपये में खरीदेगा भी, तो सरकार उससे १२५ रुपये में ही खरीद सकेगी । इससे मूल्यों में वृद्धि नहीं हो सकेगी । खरीदने वाले डरेंगे कि उनसे अनुचित लाभ की राशि लौटा ली जायेगी और केवल इतना ही प्रतिकर मिल सकेगा जितना कि विधि द्वारा विहित होगा । इससे मूल्य स्थायी भी रहेंगे ।

†श्री च० कृ० नायर : हम कुछ समय के लिये भूमि के निजी सौदों पर प्रतिबन्ध क्यों न लगा दें ?

†पंडित गो० ब० पन्त : यह एक दूसरा प्रश्न है । इस पर हम अलग से विचार कर सकते हैं ।

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : सरकार इसे जनता पर भी ही क्यों नहीं छोड़ देती ?

†पंडित गो० ब० पन्त : यह तो उसके बिलकुल ही विपरीत सुझाव है । उनका सुझाव तो यह है कि निजी व्यक्तियों को सौदे ही न करने दिये जायें ।

यह तो बड़ी दुविधा की चीज़ है । एक ओर खाई है और दूसरी ओर भी कुछ ऐसा ही ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि योजना के अनुसार दिल्ली के विकास तथा उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ -- (परिभाषायें)

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ पर, पंक्ति ४१ के पश्चात्, यह जोड़ दिया जाये :—

I of 1894. '(1) the expression "land" and the expression "person interested" shall have the meanings assigned to them in section 3 of the Land Acquisition Act, 1894.'

१८९४ का १ ['(१) "भूमि" और "रुचि रखने वाला व्यक्ति" शब्दों का अर्थ क्रमशः वही समझा जायेगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ३ में उनका अर्थ है ।"]

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तिमय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं ।

†सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†श्री दातार : हमने अपने संशोधन संख्या २७ में इस संशोधन को लगभग स्वीकार ही कर लिया है ।

†श्री तिमय्या : तो मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या १८, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २ पर, पंक्ति ४१ के पश्चात, यह जोड़ दिया जाये :—

'(1) the expression "land" and the expression 1 of "person interested" shall have the meanings 1894. assigned to them in section 3 of the land Acquisition Act, 1894.'

['(१) "भूमि" और "रुचि रखने वाला व्यक्ति" शब्दों का अर्थ क्रमश: १८९४ वही समझा जायेगा, जो भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ को धारा का १ ३ में उनका अर्थ है ।']

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(दिल्ली विकास प्राधिकार)

†श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री कोडियान (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या ४५ और ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री घोषाल (उलुबेरिया) : मैं अपना संशोधन संख्या ५२ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री कोडियान : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री तिमय्या : मैं अपना संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

†सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये ।

श्री ब्रजराज सिंह : सभापति महोदय, क्लाज (खण्ड) ३ में मैं जो संशोधन पेश करना चाहता हूं, उसका उद्देश्य प्रत्यक्ष है । मैं चाहता हूं कि यह बिल (विधेयक) इस तरह का हो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

जिसमें दिल्ली के नागरिकों को दिल्ली के विकास में अपना पूरा अधिकार मिल सके। इस क्लाज ३ के सबक्लाज ३ में यह लिखा गया है कि जो अथारिटी (प्राधिकार) बनेगी उसमें कौन-कौन लोग रहेंगे। मैं चाहता हूं कि जहां पर यह लिखा है कि यूनियन टेरिटरी (संघक्षेत्र) आफ दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) जो होगा वही विकास अथारिटी का चेअरमैन होगा। मेरी मंशा यह है कि इसके बजाय जो दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन (नगरपालिका निगम) का मेयर हो वही इस दिल्ली विकास अथारिटी का चेअरमैन हो।

इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जो प्रतिनिधि हों, उनमें विकास अथारिटी के अन्दर २ के बजाय ७ प्रतिनिधि हों। इसमें मेरी मंशा सिर्फ यही है कि विकास अथारिटी जो बने उसमें ऐसे ज्यादा लोग हों जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन से चुन कर आयें। अभी तक विकास अथारिटी में जो ११ व्यक्ति रखने का सुझाव है, उसमें चुने हुये व्यक्ति सिर्फ २ होंगे जो कि म्यूनिसिपल से कारपोरेशन से आयेंगे। मैं चाहता हूं कि चुने हुये लोग ७ हों और पूरी विकास अथारिटी में १३ आदमी हों। इस तरह से दिल्ली के नागरिकों को यह अधिकार मिल जायेगा कि दिल्ली के अन्दर जो विकास हो रहा है उसमें उनका भी हाथ हो जायेगा।

इस अमेंडमेंट (संशोधन) से एक और उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसा कि गृह-कार्य मंत्री महोदय ने यूनियन टेरिटरी के सम्बन्ध में यह फरमाया था कि उनकी मंशा कुछ थोपना नहीं है, वह सिर्फ़ यह चाहते हैं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन चूंकि जल्दी बनेगा और उस पर कोई जबर्दस्त जिम्मेदारी नहीं डाल देनी चाहिये, इसलिये अगर यह मान लिया जाये तो विकास अथारिटी पर बोझ अधिक नहीं पड़ेगा। फिर भी इसमें यह ख्याल रखा जाना चाहिये क्योंकि यह अथारिटी हमेशा म्यूनिसिपल कारपोरेशन से सलाह मशविरा लेगी। हो सकता है कि इसके अमल में यह बात आये कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और दिल्ली विकास अथारिटी में आपस में मन मुटाव चले और इसकी वर्किंग में कुछ दिक्कतें आयें। मैं चाहता हूं कि हम इस तरह की व्यवस्था कर दें कि एक्ट के जरिये तो दिल्ली को जो विकास अथारिटी होगी उसमें म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुने हुये लोगों का बहुमत होगा। दूसरी चीज़ यह कि इसका जो चेअरमैन होगा वह कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जैसे कि कहा जाता है नौकरशाही की तरफ से आते हैं। बल्कि वह जनता के चुने हुये आदमियों में से होगा। म्यूनिसिपल कारपोरेशन जनता की चुनी हुई संस्था होगी। उसका जो मेयर होगा अगर वही दिल्ली की विकास अथारिटी का चेअरमैन बने तो इससे जनता का विश्वास होगा कि उनकी दिक्कतों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। कितने ही माननीय सदस्य बोले और उन्होंने बताया कि डी० डी० पी० ए० (दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार) के काम में कितनी दिक्कतें आईं। ४,००० मकान बनाये गये। अब कहा जाता है कि इन ४,००० मकानों को तोड़ा जाये। आखिर उनको किस तरह से तोड़ा जाये। जहां तक जनता की समस्याओं का सम्बन्ध है, गन्दी बस्तियों को खत्म कर उनकी जगह अच्छे मकान बनाने में कितनी दिक्कतें आईं। इसी तरह से और भी दिक्कतें आया करती हैं। जनता की यह भावना है कि हम नौकरशाही के लोगों को अधिकार दे देते हैं इसीलिये सारी खराबियां पैदा होती हैं। इसलिये उन लोगों के हाथों में ज्यादा अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये कम से कम उन जगहों में जहां जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हों। इसलिये मैं चहता हूं कि दिल्ली विकास अथारिटी का जो चेअरमैन हो वह दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मेयर हो और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के चुने हुये ७ प्रतिनिधि उस में हों। कुल १३ सदस्यों में से ७ आदमी अगर चुने हुये होंगे तो उनका बहुमत होगा। जैसा गृह-कार्य मंत्री जी बार बार कहते हैं कि जो कुछ किया जा रहा है, वह दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हित में किया जा रहा है। दिल्ली म्यूनिसिपल

कारपोरेशन जो काम करेगा, वही काम दिल्ली विकास ग्रथारिटी करेगी। इसलिये मेरी समझ में नहीं ग्राता इस संशोधन को स्वीकार करने में गृह-कार्य मंत्री महोदय को क्या दिक्कत हो सकती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ग्राज ग्राप दिल्ली की जनता के लिये सब कुछ करना चाहते हैं ग्रौर उसके सलाह मशविरा से करना चाहते हैं तो फिर ग्रापको इस बात को मान लेना चाहिये कि दिल्ली की जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों का बहुमत हो जाय दिल्ली की विकास ग्रथारिटी में, जिस पर दिल्ली का विकास निर्भर करता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को मान लेने से दिल्ली की जनता में विश्वास पैदा होगा ग्रौर दिल्ली के विकास में कोई दिक्कत नहीं ग्रायेगी ।

दूसरी चीज यह है कि इसमें जो यह कहा गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जो प्रतिनिधि होंगे, वह म्यूनिसिपल कौंसिलर्स ऐल्डरमैन (नगर वृद्धों) को चुनेंगे । उस के ऐल्डरमैन ग्राखिर कौन होंगे ? जिनको दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कौंसिलर्स चुनेंगे वही तो ग्राल्डरमैन होंगे । ऐल्डरमैन किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को चुनें यह उचित बात नहीं है । वही ग्रादमी जी सीधे जनता से चुन कर ग्राये हैं । तो ऐल्डरमैन स्वयं चुने हुये प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं । उनके द्वारा उन व्यक्तियों को चुनना मुनासिब बात नहीं होगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कौंसिलर्स ही इन सात व्यक्तियों को चुन कर दिल्ली विकास ग्रथारिटी में भेजें ग्रौर उनके जरिये ही वह ग्रथारिटी बने ।

जहां तक विशेषज्ञों का सवाल है जैसे इंजीनियर ग्रौर ग्रर्थ-विशेषज्ञ वह तो जरूरी हैं । इनके ग्रलावा ग्रगर केन्द्रीय सरकार ग्रपने नामजद सदस्य भी रखना चाहती है तो वह भी ग्रपने ग्रादमी रखे । लेकिन जो सब से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धान्त है वह यह है कि चुने हुये प्रतिनिधियों का बहुमत हो ।

मुझे ग्राशा है कि गृहमंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

†**श्री तिमय्या** : मेरा संशोधन केवल यही है कि विकास बोर्ड में एक वास्तुकार तथा नगरयोजनाकार भी रहना चाहिये, जो दिल्ली नगर क्षेत्र के विस्तार के सम्बन्ध में सलाह दे सके ।

†**श्री कोडियान** : मैंने ग्रपने संशोधन द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकार को ग्रधिक से ग्रधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का सुझाव रखा है । मैं चाहता हूं कि बोर्ड में निगम की ग्रोर से ग्राने वाले प्रतिनिधि ४ के स्थान पर ७ रहें, ग्रौर उसमें लोक-सभा तथा राज्य-सभा के लिये दिल्ली से निर्वाचित सभी सदस्य रहें ।

दिल्ली सुधार प्रन्यास जांच समिति ने स्वयं ही कहा है कि इस निकाय को ग्रधिकाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना चाहिये ।

†**श्री घोषाल** : मैं चाहता हूं कि प्रतिनिधियों की संख्या २ से बढ़ा कर १० कर दी जाये । वर्तमान दिल्ली विकास ग्रस्थायी प्राधिकार के कार्य से गन्दी बस्तियों के निवासियों को कोई भी लाभ नहीं होता । इसलिये इस निकाय में दिल्ली की जनता के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना ग्रावश्यक है ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री दातार** : खण्ड संख्या ३ से सम्बन्धित संशोधनों में चार बातें कही गई हैं । पहली तो यह कि इस निकाय की रचना में आमूल परिवर्तन करना चाहिये और इस सम्बन्ध में सुझाव रखा गया है कि नगरपालिका निगम का मेयर ही इसका सभापति होना चाहिये । और उस में कुछ अन्य व्यक्ति भी जोड़े जाने चाहियें । इस सम्बन्ध में, सभा को यह स्मरण रखना चाहिये कि यह एक विशेषज्ञ निकाय है, जो दिल्ली विकास प्राधिकार के अत्यन्त ही विशेषज्ञता-प्राप्त कार्यपालक प्रकार के कार्य करेगा । इसलिये, उसमें कुछ मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को रखने के साथ-साथ ऐसे भी व्यक्ति रखना आवश्यक है जो विशेषज्ञ हों । सभा को इन दोनों बातों को देखना चाहिये । इस विशेषज्ञतापूर्ण निकाय में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना उचित नहीं है । वास्तव में, संयुक्त प्रवर समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया था, और उसने सात सदस्य रखने के मूल प्रस्ताव के स्थान पर अब ग्यारह सदस्यों की व्यवस्था कर दी है । इसलिये अब इस निकाय की रचना में और अधिक परिवर्तन करना संभव नहीं है ।

दूसरी एक बात यह भी कही गई थी कि इसमें देहाती क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये । इस निकाय के लिये सदस्य चुनते समय निगम के सदस्यों को इसे ध्यान में रखना चाहिये ।

श्री तिमय्या के संशोधन के विषय का तो अवश्य ही ध्यान रखा जायेगा, क्योंकि दिल्ली की एक वृहत् योजना तैयार करने और उसकी कार्यान्विति के दौरान में ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी ही जो नगर योजनीकरण में सिद्धहस्त हों । इसके लिये, अलग से संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं है ।

इसलिये, मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, ४५, ३, ५२, ४, ५ और २० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४— (प्राधिकार के कर्मचारी)

†**श्री तिमय्या** : मैं अपना संशोधन संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि प्राधिकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा निबन्धन वही हों जो सरकारी कर्मचारियों के हैं । इस प्रश्न को प्राधिकार के निर्णय के लिये नहीं छोड़ना चाहिये था । उसका कोई कारण नहीं है ।

†**श्री दातार** : यह एक संविहित निकाय होगा, और इस सम्बन्ध में उसके अपने नियम होंगे । वह जहां तक उचित समझेगा सेवा के सरकार द्वारा निर्धारित निबन्धनों और शर्तों को

---

†मूल अंग्रेजी में

मान लेगा। हमने यही नीति अपनाई है। हम ऐसे संविहित निकायों के स्वयंविवेक में हस्तक्षेप नहीं करते। मुझे विश्वास है कि यह निकाय अपने कर्मचारियों के लिये सेवा के उचित निबन्धन तथा शर्तें रखेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५ (मंत्रणा परिषद)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ५ पर कौन से संशोधन रखे जा रहे हैं ?

†**श्री कोडियान** : मैं अपने संशोधन संख्या ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री घोषाल** : मैं अपना संशोधन संख्या ५५ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि विधेयक का यह उपबन्ध कि परिषदों द्वारा चुने हुए निगम के दो प्रतिनिधि दिल्ली प्राधिकार में लिए जायेंगे अस्पष्ट हैं क्योंकि विकास प्राधिकार और मंत्रणा परिषद् में अलग अलग व्यक्ति होने चाहियें।

†**श्री कोडियान** : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि प्राधिकार में निगम के प्रतिनिधि ४ के बजाय ७ हों और साथ ही दिल्ली से निर्वाचित सभी संसद सदस्य हों।

†**श्री दातार** : जहां तक मंत्रणा परिषद् की रचना का सम्बन्ध है उसमें पहले ही काफी सदस्य हैं। उनकी संख्या २१ है। इन सदस्यों का विभिन्न हितों से सम्बन्ध होगा अर्थात् नगरपालिका निगम के चार प्रतिनिधि, तीन निकायों के तीन प्रतिनिधि सदस्य और तीन सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित होंगे जिन में दो वाणिज्य और उद्योग से सम्बन्धित होंगे और तीसरा श्रम से सम्बन्धित होगा।

इस प्रकार इसमें प्रायः सभी ऐसे निकायों के प्रतिनिधि लिए गये हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। अतः और सदस्य नहीं बढ़ाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६, ७ तथा ५५ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ से ११ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १२ (विकास क्षेत्रों की घोषणा तथा उन क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में भूमि का विकास)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस पर सरकार का संशोधन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ९, पंक्ति १७ से ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"(3) After the commencement of this Act no development of land shall be undertaken or carried out in any area by any person or body (including a department of Government) unless,—

(i) where that area is a development area, permission for such development has been obtained in writing from the Authority in accordance with the provisions of this Act,

(ii) where that area is an area other than a development area, approval of, or sanction for, such development has been obtained in writing from the local authority concerned or any officer or authority thereof empowered or authorised in this hehalf, in accordance with the provisions made by or under the law governing such authority or until such provisions have been made, in accordance with the provisions of the regulations relating to the grant of permission for development made
53 of 1955 under the Delhi (Control of Building Operations) Act, 1955, and in force immediately before the commencement of this Act :

Provided that the local authority concerned may amend those regulations in their application to such area.

(4) After the coming into operation of any of the plans in any area no development shall be undertaken or carried out in that area unless such development is also in accordance with such plans."

["(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय (सरकारी विभाग भी) द्वारा किसी भी क्षेत्र में भूमि विकास सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया जायेगा अथवा आरम्भ कराया जायेगा जब तक कि—

(एक) यदि कोई क्षेत्र विकास क्षेत्र हो, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विकास के लिए प्राधिकार से लिखित अनुमति न ले ली गई हो ;

(दो) यदि वह क्षेत्र विकास क्षेत्र न हो तो उक्त विकास की लिखित अनुमति अथवा स्वीकृति तत्सम्बन्धी स्थानीय प्राधिकार अथवा इस कार्य के लिए उसकी ओर से अधिकृत पदाधिकारी या प्राधिकारी से, ऐसे प्राधिकार का शासन करने के लिए निर्मित विधि के अधीन या, यदि ऐसे उपबन्ध तब तक न किये गये हों तो, दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियन्त्रण) अधिनियम, १९५५ के अधीन विकास की अनुमति देने सम्बन्धी विनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में, जैसे कि वे इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त पूर्व हों, न ले ली गई हो ।

परन्तु सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार ऐसे क्षेत्रों पर लागू करने के लिये इन विनियमों में संशोधन कर सकेगा ।

(४) किसी भी क्षेत्र के लिए कोई योजना लागू होने के पश्चात् तब तक कोई भी विकास कार्य न कराया जायगा अथवा न आरम्भ किया जायेगा जब तक वह विकास कार्य उक्त योजना के अनुसार न हो ।]

—(श्री दातार)

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १३ तथा १४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १५ (भूमि का अनिवार्य अर्जन)

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ११ में, खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"15. *Compulsory acquisition of land*—

(1) If in the opinion of the Central Government any land is required for the purpose of develpment or for any other purpose, under this Act, the Central Government may acquire such land by publishing in the Official Gazette anotice specifying the particular purpose for which such land is required and stating that the Central Government has decided to acquire the land in pursuance of this section.

(2) Before publishing a notice under sub-section (1),the Central Government shall by another notice call upon the owner of the land and any other person who in the opinion of the Central Government may be interested therein to show cause within such time as may be specified in the notice, why the land should not be acquired.

(3) After considering the cause, if any, shown by the owner of the land and by any other person interested therein and after giving such owner and person an opportunity of being heard, the Central Government may pass such orders as it deems fit.

(4) When a notice under sub-section (1) is published in the Official Gazette, the land shall on and from the date of such publication,vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

(5) Where any land is vested in the Central Government under sub-section (4), the Central Government may, by notice in writing, order any person who may be in possession of the land to surrender or deliver possession thereof to that Government or any person duly authorised by it in this behalf within thirty days of the service of the notice.

(6) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (5), the Central Government may take possession of the land and may for that purpose use such force as may be necessary.

(7) Where the land has been acquired for the Authority or any local authority, the Central Government shall, after it has taken possession of the land and on payment by the Authority or the local authority concerned of the amount of compensation determined under section 16 and of the other charges incurred by the Government in connection with the acquisition, transfer the land to the Authority or that local authority for the purpose for which the land has been acquired."

["१५. भूमि का अनिवार्य अर्जन

(१) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में इस अधिनियम के अन्तर्गत विकास या अन्य किसी प्रयोजन हेतु किसी भूमि की आवश्यकता होगी, तो केन्द्रीय सरकार उस विशेष प्रयोजन का उल्लेख करते हुए जिस के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता होगी और यह बताते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने अमुक धारा के अनुसरण में भूमि के

†मूल अंग्रेजी में

अर्जन का निर्णय किया है, सरकारी गजट में एक सूचना प्रकाशित करके उक्त भूमि का अर्जन कर सकेगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन सूचना प्रकाशित करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार एक और सूचना द्वारा भूमि के स्वामी और ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिसे केन्द्रीय सरकार भूमि से सम्बद्ध समझेगी, उत्तर मांगेगी कि वे सूचना में उल्लिखित समय के भीतर कारण बताएं कि भूमि का अर्जन क्यों न किया जाए ।

(३) यदि भूमि का स्वामी और उससे सम्बन्धित अन्य कोई व्यक्ति कोई कारण बताए तो उस पर विचार करने के पश्चात् और उस स्वामी और व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार जो ठीक समझे आदेश दे सकेगी ।

(४) जब उपधारा (१) के अधीन सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित हो जाए, तो ऐसे प्रकाशन की तिथि से और उसके पश्चात् बिना किसी भार के भूमि पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो जाएगा ।

(५) जब उप-धारा (४) के अधीन किसी भूमि पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो जाए, तो केन्द्रीय सरकार लिखित सूचना द्वारा भूमि के अधिकारी व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगी कि वह उसका कब्जा सरकार को या इस के निमित उस के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, सूचना पहुंचने के तीस दिन के भीतर, दे दे ।

(६) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (५) के अधीन किये गये आदेश का पालन न करे या पालन करने से इंकार कर दे, तो केन्द्रीय सरकार भूमि का कब्ज़ा ले सकती है और इस प्रयोजन हेतु आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर सकती है ।

(७) जब भूमि, प्राधिकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए अर्जित की गई हो, तो केन्द्रीय सरकार भूमि का कब्ज़ा लेने के पश्चात् प्राधिकार अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा धारा १६ के अधीन निश्चित प्रतिकर की राशि और सरकार द्वारा अर्जन के सम्बन्ध में किये गये अन्य खर्च के भुगतान के पश्चात् भूमि को उस प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकारी को, उस प्रयोजन के लिए जिस के लिए उस का अर्जन किया गया हो, हस्तांतरित कर देगी ।"]

कल यह बात कही गई थी कि इस भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया का अनुसरण करें । यह एक लंबी प्रक्रिया है और कल कुछ माननीय सदस्यों ने जो शिकायतें की थीं वे इसी कारण की गई थीं कि इस प्रक्रिया में बहुत देर लगती है । इस कारण विधेयक में अर्जन के लिए एक संक्षिप्त परन्तु संतोषजनक प्रक्रिया का उपबन्ध किया गया है, ताकि किसी मामले का निर्णय बिना देरी के किया जा सके ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : मैं अपना संशोधन संख्या ६१ प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन में यह नहीं बताया गया कि जिसकी भूमि का अर्जन होगा उसे क्षतिपूर्ति देने के बारे में क्या होगा ।

यह बात तो समझ में आती है कि एक अमीर आदमी को, जिसके पास रहने के लिए और भी मकान हैं, ३० दिन के अंदर किसी भूमि का कब्ज़ा देने के लिए कहा जाए । परन्तु यदि किसी के पास एक ही मकान हो और उसका अर्जन कर दिया जाए तो प्रतिकर की राशि तुरन्त देनी चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु इस भुगतान की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। अमीर लोग तो कुछ प्रतीक्षा करके ६ प्रतिशत ब्याज लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे परन्तु एक व्यक्ति को मकान से निकाल सड़क पर फेंक देना तो बहुत सख्ती होगी। अतः मेरा निवेदन है कि किसी व्यक्ति से भूमि का कब्ज़ा लेने से पूर्व उसे निश्चित प्रतिकर का भुगतान हो जाना चाहिए।

मैंने अपने संशोधन संख्या ६१ में केवल कृषि भूमि को लिया है और मेरा उद्देश्य यह उपबन्ध करने का है कि यदि किसी से कृषि भूमि ली जाए तो उसे क्षतिपूर्ति पहले मिल जानी चाहिए ताकि वह कृषि के लिए और भूमि ले सके। अतः यह संशोधन बहुत उचित है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सभा के समक्ष हैं।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस दिल्ली डेवेलपमेंट बिल (दिल्ली विकास विधेयक) के खिलाफ इस मौके पर मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे जो वज़ीर साहबान हैं, हमारी जो हुकूमत है और हम लोग जो हैं वह कोई अलग नहीं हैं और इसलिए ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि चूंकि यह सरकार का बिल है और सरकार ने इसको बनाया है इसलिए यह ज़रूर ही पास हो जाना चाहिए। मेरा यह कहना है कि आप ज़रा उन गांवों के लोगों का भी तो ख्याल करें जो कि उन ज़मीनों पर आबाद हैं और जिन पर खेती बाड़ी करके वे अपना पेट पालते और तन ढकते हैं, उनके पास एक नोटिस पहुंच जाता है कि तुम्हारी ज़मीन, घर बार सब ले लिया जायगा और उस हालत में आप समझ सकते हैं कि उन बेचारों पर क्या बीतती होगी। सरकार को इसकी पर्वाह नहीं कि वे कहां जाते हैं क्या करते हैं और उनके बाल बच्चे भूखों मरते हैं या ज़िन्दा रहते हैं। अभी पिछले इतवार के रोज़ गांव वालों ने यहां हौज़ खास में एक बड़ा जलसा किया था और उसमें मैं भी गया था और दूसरे हमारे बहुत से भाई भी गये थे। उस जलसे में उन्होंने हमें अपनी मुसीबतों की कहानी सुनाई और बतलाया कि क़रीब २१ गांवों की ज़मीनें सरकार लेने जा रही है। उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने कि दूर दूर पहले ज़माने में फ्रांस आदि सुदूर देशों में लड़ाई में हिस्सा लिया था और बहादुरी के सिलसिले में जो उनको तमगे मिले थे उनको भी वे लगा कर आये थे और वे कह रहे थे कि बतलाइये हम लोग क्या करें। मेरा आपसे कहना यह है कि इसमें ज़रा सोचन की बात है और आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए। यह मैं जानता हूं कि आपके दिमाग़ में यह बात है कि दिल्ली शहर का विकास किया जाय और उसको और बढ़ाया जाय। लेकिन मेरा कहना है कि आप शहर को बढ़ायें क्यों? अगर आपको यहां पर जगह की तंगी मालूम होती है और आपको यहां मकानों की कमी है तो काफ़ी जगह बेकार और खाली देहरादून, मथुरा और वृन्दावन में पड़ी हुई है, वहां मकान के मकान ख़ाली पड़े हैं, वहां पर आप यहां से दफ्तरों को उठा कर ले जाइये और इस तरह से आप दिल्ली पर जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। आप मेहरबानी करके सोचिये तो सही कि आप क्या कर रहे हैं, आया आप दरअसल में रामराज्य बना रहे हैं या अंग्रेजों के तरीक़ों की ही नक़ल कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से टोकियो की बर्बादी देखी है; एक बम गिरा और घर के घर और तमाम शहर का शहर तबाह हो गया। कहीं ऐसा न हो कि यहां दिल्ली में बहुत अधिक संख्या में लोग बस जायं और फिर एक एटम बम पड़ जाय और सब के सब उसी में खत्म हो जायं, यह सब बात सोचने की हैं।

मेरा कहना यह है कि जहां तक हो सके छोटे ही शहर रहने चाहिये और इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी माना था। यह तो आपको शायद मालूम ही है कि मैंने डेढ़ हज़ार से अधिक किसानों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कराया था............

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने लिखा था कि वे १५ क्लाज़ पर बोलेंगे ।

राजा महेन्द्र प्रताप : यह सब चीज़ें एक दूसरे से ऐसी बंधी हुई हैं कि जब तक उसके पहले भाग को न दिखलाया जाय तब तक पूरी तरह से उसको नहीं बतलाया जा सकता है । अब मैं इस १५ क्लाज़ पर बोलूं तो क्या बोलूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : कोई लाज़िमी बात तो है नहीं कि आप उस पर बोलें ही ।

राजा महेन्द्र प्रताप : हमारे चौ० रणवीर सिंह ने मुझे सलाह दी थी कि मैं १५ क्लाज़ पर ज़रूर बोलूं और जो चाहूं सो बोलूं और उसी का लिहाज़ रखते हुए कुछ एक शब्द में उसके सम्बन्ध में कहूंगा ।

हां तो मैं कह रहा था कि इस ज़मीन को लोगों से लेने के सवाल को ऊंचे दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है और इसमें मोरैलिटी का भी सवाल है और इसमें रामराज्य का भी सवाल है और इंसान को आराम पहुंचाने का सवाल है और यह नहीं होना चाहिए कि अंधाधुंध जिसे चाहे सरकार नोटिस देकर उसकी ज़मीन छीन ले और नाममात्र का मुआविज़ा दे दे । आपको ऐसा करते समय ज़रा उनकी हालत का भी तो खयाल रखना चाहिए कि वे कैसी कठिन ज़िन्दगी व्यतीत कर रहे हैं और अगर आप इस तरह के नोटिस देकर उनकी ज़मीन भी छीन लेंगे तो उनका क्या बनेगा । अगर आप इससे बाज़ न आये तो यक़ीन मानिये लोग यह कहने पर मजबूर हो जायेंगे कि इनसे तो अंग्रेज़ ही बेहतर थे । यह हम कांग्रेस वालों के लिए बड़े शर्म की बात है, अपने को इसमें शामिल मैं इसलिए कर रहा हूं कि तब मैं कांग्रेस में शामिल था जब कांग्रेस वालों ने जनता से यह कहा था कि देश को जब स्वराज्य मिल जायगा तो यहां घी, दूध और दही की नदियां बहेंगी लेकिन दूध, दही की नदियां तो बहना दूर रहा जो थोड़ी बहुत ज़मीन और उनके घरबार हैं वे भी उनसे छीने जा रहे हैं ।

मेरा कहना है कि ऐसा क्लाज़ हरगिज नहीं होना चाहिए कि नोटिस दिया और ज़मीन ले ली गई ।

हमारी सरकार सदा उपनिवेशवाद के विरुद्ध रही परन्तु दिल्ली में उपनिवेशवाद चल रहा है । आप न्यूयार्क की तरह यहां भी क्यों २० या तीस मंज़ले मकान क्यों नहीं बनाते । यदि आप पहाड़ों पर मकान बनाएं तो वहां तो नींव की भी आवश्यकता नहीं होगी और सस्ते मकान बन सकेंगे ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसपास के गांवों का अर्जन करना बहुत गलती है क्योंकि वहां के निवासियों को बसाने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं है ।

उन लोगों की कृषि भूमि ही उनकी जीविका का साधन है और यहां तो उनकी भूमि और मकानों तक का अर्जन किया गया है और उन्हें कुछ भी क्षतिपूर्ति के रूप में नहीं दिया गया । अतः मेरा सुझाव है कि उन लोगों के लिए कोई और व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस धारा का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली का विकास हो रहा है, दिल्ली की उन्नति हो रही है, बहुत अच्छी बात है । यह मुल्क की राजधानी है, यह बहुत अच्छी बात है कि इसका खूब उत्थान हो । लेकिन इसके साथ साथ एक बात का हमेशा ध्यान रक्खा जाना चाहिए कि दिल्ली के विकास में दिल्ली के आसपास की जो जनता है, खास कर खेतिहर लोग, जो ५, १०, १५ या २० एकड़ तक ज़मीन पर खेती करते हैं, उनकी जमीन लेने के बाद अगर उनके लिए किसी दूसरी जगह खेती का इन्तजाम नहीं किया जाएगा तो यह उनके साथ अन्याय होगा । वह लोग सोचते हैं कि दिल्ली के बनने से उनका फायदा होगा । लेकिन दिल्ली के

†मूल अंग्रेजी में

आसपास की जनता की यह हानि होगी कि वह जमीन जिस पर वह खेती करते हैं वह खत्म हो जाएगी। अगर उसके लेने के बाद उनके लिए दूसरे किसी रोजगार का प्रबन्ध नहीं किया जाता तो यह बहुत ही अन्याय की बात होगी। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि दिल्ली के आसपास जहां कहीं भी जमीन लेने की आवश्यकता हो, इसके सिवा कोई और जरिया न हो, तो वह ले ली जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग उसके बाद भी खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं जरूर खेती की व्यवस्था की जाए। अगर दिल्ली के आसपास नहीं हो सकती तो कहीं दूसरी जगह की जाय। खेती के बजाय वह कोई दूसरा रोजगार करना चाहते हों तो उस रोजगार को स्थापित करने में उनकी सहायता की जाय, जिससे उन लोगों का काम आगे चल सके।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का नाम दिल्ली डेवेलपमेंट विधेयक है। लेकिन जहां किन्हीं लोगों के लिये यह डेवेलपमेंट बिल है, इसको किन्हीं दूसरे लोगों के लिए विनाशक बिल नहीं होना चाहिए। दूसरे डेवेलपमेंट का एक ऐस्पेक्ट (पहलू) ख्याल में रहे और दूसरा ऐस्पेक्ट दिमाग से हटा दिया जाए, मैं समझता हूं कि यह कोई हेल्दी डेवेलपमेंट (अच्छा विकास) नहीं है। डेवेलपमेंट के माने सिर्फ यही नहीं हैं कि सिर्फ इस शहर के अन्दर मकान पर मकान खड़े कर दिए जाएं। डेवेलपमेंट के माने यह भी हैं कि यहां जितनी जनता रहती है, उस जनता के खाने पीने के लिए भी कुछ किया जाए। दिल्ली के शहर के बढ़ते बढ़ते, दिल्ली के रहने वालों को अनाज की भी जरूरत होगी। अनाज की कमी होती जा रही है तब मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह इसे डेवेलपमेंट बिल कैसे कहते हैं? आखिर मकानों से ही तो इंसान जिन्दा नहीं रहता है। इंसान के लिए, इंसान की तरक्की के लिए, उसके डेवेलपमेंट के लिए, खुराक भी चाहिए। क्या आपने खुराक देने का इन्तजाम किया? या उससे उल्टे जा रहे हैं? मालूम ऐसा होता है कि एक ही तरह के, एक ही खयाल के आदमियों का खयाल दिमाग में रक्खा जाता है और जो दूसरे लोग दिल्ली में बसते हैं, उनके खयालात को उनकी बातों को दिमाग से भुला दिया जाता है। इसीलिए कितनी दफा हमारी पालिसियों का फैसला होते हुए लापसाइडेड पालिसी (एक पक्षीय नीति) हो जाती है और वह हेल्दी डेवेलपमेंट नहीं होता।

आप जानते हैं कि दिल्ली के आसपास रहने वालों की बहुत दिन से एक मांग थी कि दिल्ली के आसपास के रहने वालों का एक अलाहदा सूबा बनाया जाए ताकि दिल्ली के आसपास रहने वालों के खयालात भी आ सकें। लेकिन हालात ऐसे हुए जिनकी बिना पर इस सभा ने इस मांग को कबूल नहीं किया और इस मांग को ठुकरा करके, जो देश के हित में था वैसा इन्तजाम करने की कोशिश की। मैं यह अवसर उपयुक्त नहीं समझता कि फिर उस बात की कहानी कहूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि आपने जिन आदमियों के अधिकार छीने थे, आप जिनके संरक्षक बने थे उनका भी खयाल आप को दिल में रखना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भाई यहां पर खेती करता है, जो दिल्ली में रहने वालों के लिए अनाज सस्ता पैदा करता है, सिर्फ इसलिये कि किसी भाई को शौक हुआ है कि वह दिल्ली में आकर बसे, उसके मकान खड़े हों, उसको उस से रोका जाय? जो यहां पैदावार हो रही थी, उसे रोका जाए, क्या यह सही पालिसी है? जहां हम इस बिल को पास करेंगे उसके साथ साथ मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय इस ऐसपेक्ट को भी ध्यान में रखें। जिन आदमियों को मजबूरी के कारण हमें उठाना पड़ता है, उनको बसाने के लिए, उनको पैसा देने के लिए, जिस तरह आप शहर वालों को सुविधाएं देते हैं, उसी तरह उनको भी देना चाहिए। जैसा राजा साहब ने कहा.........................

उपाध्यक्ष महोदय : राजा साहब ने आपका बताया हुआ ही यहां बताया है।

चौ० रणवीर सिंह : नहीं सरकार, मैंने उन को ऐसी कोई बात नहीं बतलाई। मैंने तो उन्हीं से सीखा है, वह तो मेरे बुजुर्ग हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि दूसरे शहरों में बड़े बड़े कई स्टोरीज के मकान हैं, यहां भी कई बस्तियां हैं जहां एक एक मंजिल के मकान हैं। वहां भी कई कई मंजिलों के मकान बनाए जाएं। एक तरफ तो प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि नई दिल्ली में दूसरी मंजिल नहीं बनेगी, दूसरी तरफ जो जमीन २५ साल पहले ली गई थी वह बसी नहीं है, तीसरी तरफ आप और जमीन लेने को तैयार हैं। आखिर यह क्या नीति है, यह मालूम होना चाहिए। यह ठीक है कि उन लोगों की आवाज में दम नहीं है। हमारे राधा रमण जी दिल्ली शहर के रहने वाले हैं, वे कह रहे थे कि हमें दिल्ली शहर का ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के देहातों की जनता का हमें उनसे ज्यादा इल्म है और वे दिल्ली के देहातों को भूले बैठे हैं। वे उन को इस संसद् में रिप्रेजेन्ट भी नहीं करते। इस वास्ते यह सिर्फ दिल्ली शहर के लोगों के पक्ष को ही यहां रखते हैं। लेकिन सरकार के लिए यह उचित नहीं है। सरकार तो दिल्ली शहर को ही रिप्रेजेन्ट नहीं करती है, भारत सरकार तो सारे हिन्दुस्तान को रिप्रेजेन्ट करती है। उसके अन्दर ८० फी सदी नुमाइन्दे देहातों के हैं, अगर किसी नुमाइन्दे द्वारा ऐसी चेष्टा होती है, जिससे देहात और शहर का भेद पैदा होता है, तो वह ठीक नहीं है। इस तरह की बातों में हमें बड़ी एहतियात से चलना चाहिए। यहां बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं, वह भी देहातों को नहीं उखाड़ सकीं, उनकी तहजीब और तमद्दुन को नहीं मिटा सकीं। लेकिन आज आप उसकी तहजीब और तमद्दुन को मिटाने के लिए तैयार हैं। इस सिविलाइज्ड दुनियां में, ऐसे समय में बड़े धीरज से काम करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ भाई जिनके हाथ में अख्त्यार है, जिनके हाथ में मोटरें हैं........

उपाध्यक्ष महोदय : जिस मंजिल पर हम हैं, अगर उसका ख्याल रक्खा जाए, तो तकरीरें ऐसी हो रही हैं, जो न सिर्फ पहली रीडिंग (वाचन) की हैं, न दूसरी रीडिंग की हैं, बल्कि तीसरी मंजिल आने वाली है, उसके लिए की जा रही हैं। इसलिए मेरी विनती है कि जो १५ क्लाज है, उसमें जो अथारिटी बनाई गई है डेवेलपमेंट के लिये उसके जमीनें लेने के बारे में है। वह जमीनें किन शरायत पर ली जाएंगी, यह बात दी गई है।

इस वास्ते अब उन चीजों को फिर से खोलना मुनासिब नहीं होगा जिनको हाउस ने तै कर दिया है। डेवेलपमेंट अथारिटी बन गयी उसको जमीन लेने का अख्तियार दे दिया गया, वह सब कुछ हो गया। जब वे क्लाज़ेज आये तो कोई साहब बोले नहीं। अब सवाल यह है कि एक्वीजीशन किस ढंग से होगा, कैसे मुआवजा दिया जायेगा, उस पर आप बोल रहे हैं।

चौ० रणवीर सिंह : इस सदन को मौका मिला उन बातों पर बोलन का, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मैं इस धारा के मुताबिक बोल रहा हूं। यह ठीक है कि सरकार को और धाराओं के मुताबिक जमीन लेने का अख्तियार होगा। लेकिन इस बारे में तो मैं बोल सकता हूं कि आप जमीन सही तौर पर लेते हैं या सारे देश को लेकर खाली डालने के लिए लेते हैं। अगर खाली डालने के लिए जमीन ली जाती है तो यह नीति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। हमने कितनी ही बातें पास कर ली हों। लेकिन हम इस पर बोल सकते हैं और बहस कर सकते हैं कि जमीन सही तौर पर ली जा रही है या नहीं। यह सवाल नहीं है कि जमीन ली जाये या नहीं। मैं जमीन लेने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो जमीन लें ....

उपाध्यक्ष महोदय : अब मेरी विनय ही मान ली जाये। बजाय यह कहने कि आप इस पर बोल सकते हैं या नहीं जो आप कहना चाहते थे उसको कह कर मुख्तसिर में खत्म करें।

चौ० रणवीर सिंह : मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां डेवेलपमेंट का एक पहलू है वहां उसका दूसरा पहलू भी है । यहां लोगों को हमें धंधा भी देना है वरना जो मकान बनाने का इरादा है वह मेरे खयाल में बिल्कुल फिजूल हो जायेगा । जैसा अभी राजा साहब ने बतलाया, देश में बहुत सारे मकान हैं जो कि खाली पड़े हैं क्योंकि वहां पर कोई धंधा नहीं है । अगर आपकी नीति यह है कि यहां मकान बनाकर उनको खाली रखना है तब तो मैं यह समझ सकता हूं और उसके लिए आप चाहे जितनी जमीन ले लीजिये । लेकिन अगर यह नीति है कि मकान बनाकर उनमें जिन लोगों को बसाना है उनके लिए रोजगार भी मुहय्या करना है तो हमें सोचना होगा और समझना होगा और बड़ी गम्भीरता से सारे ऐसपेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा । तो मेरी अर्ज यह है हमको सोचना चाहिए कि हम कितना बड़ा शहर बसाना चाहते हैं । हमारे राष्ट्र पिता की राय थी कि बड़े बड़े शहर नहीं बनने देना चाहिये। लेकिन जो बेसिस है उसको मैं इस वक्त चैलेंज करने नहीं जा रहा हूं । लेकिन मैं यह समझता हूं कि शहर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिये । बेशक जितने मकानों की जरूरत है आप बनायें लेकिन साथ ही साथ जो दिल्ली में रहने वालों की दूसरी जरूरियात हैं जैसे प्राफेशन आदि उनका भी ध्यान रखना चाहिए ।

जो लोग देश का बटवारा होने के कारण, चाहे बटवारा अंग्रेजों ने कराया या मुस्लिम लीग ने बेघर होकर यहां आये उनको फिर से बसाने के लिए करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया । लेकिन अब सरकार खुद लोगों को बेघर बना रही है उनको बसाने की जिम्मेवारी किस के ऊपर है ? जिन आदमियों को सरकार अपनी कलम से उजाड़ रही है उनको बसाने की जिम्मेवारी भी उसी की है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : एक औचित्य प्रश्न है कि विद्रोह का भी खतरा है । अगर फौज वालों को हटाया जाए तो कहीं गदर न हो जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्वाइंट आफ आर्डर का फैसला क्या दिया जा सकता है ।

†**श्री च० कृ० नायर** : मेरा यह निवेदन है कि संशोधन संख्या ६१ बहुत महत्वपूर्ण है । यहां हजारों एकड़ भूमि का अर्जन करके शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बस्तियां बसाई गई हैं और लोगों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई । यह बहुत साधारण संशोधन है और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** (किशनगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या ५१ प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक किसी भूमि पर किसी व्यक्ति के अधिकार और हित का सम्बन्ध है, वह हित केन्द्रीय सरकार की राय पर निर्भर नहीं करता । कोई व्यक्ति कतिपय तथ्यों और प्रलेखों द्वारा किसी भूमि में अपना हित दिखा सकता है अतः सरकार द्वारा केवल राय बनाने से किसी की भूमि का बिना उसे सूचना दिये अर्जन खतरनाक है । इसलिए निवेदन है कि यह उपबन्ध निकाल दिया जाए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दातार** : मैं पहले अपने मित्र श्री अय्यर की बात का उत्तर देना चाहता हूं । जहां तक उनका विचार है, हम अर्जन के लिए सभी आवश्यक उपबन्ध इसी विधेयक में कर रहे हैं । यह बात मैंने उस समय बता दी थी जब मैंने सभा को बताया था कि इस मामले में अपनाई जाने वाली सारी प्रक्रिया का विवरण अध्याय ५ में दिया गया है । उन्होंने कहा था कि कतिपय परिस्थितियों में अधिकारी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी और उसकी भूमि का अधिकार ले लिया जाएगा । मैं उनका ध्यान अपने संशोधन संख्या १५ की ओर दिलाना चाहता हूं जो अभी सभा के सामने पढ़ कर सुनाया गया है । संशोधित खंड के अधीन हम पहले सरकारी गजट में प्रकाशित सामान्य सूचना देते हैं और फिर उपखंड (२) के अधीन सम्बन्धित व्यक्तियों को और सूचना दी जाएगी । वह व्यक्ति या तो भूमि का स्वामी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

होगा अथवा निश्चित रूप से भूमि से उसी का सम्बन्ध होगा। इन बातों की जांच के लिए किसी प्राधिकार की आवश्यकता है। अन्यथा केवल अंदाजे से या झूठे दावे होंगे, अतः मैं माननीय मित्र के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता कि केन्द्रीय सरकार मामलों की जांच न करे और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दी जाए। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भूमि अर्जन की कार्यवाही में देर होती है और उसमें सरकार भी निर्दोष है परन्तु बहुत से लोग न्यायालय या समाहर्ता के पास शिकायत करते हैं और भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन भी क्षतिपूर्ति की राशि जिला न्यायालय में जमा करवाई जाती है परन्तु मेरे संशोधन के अनुसार इस विधेयक के अधीन दूसरी सूचना जारी करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार सम्पत्ति का अधिकार लेने का आदेश जारी करेगी। अधिकार उसके कहीं बाद ही कार्यवाही पूरी होने और भुगतान करने पर ही किया जाएगा। माननीय सदस्य कृपया उपखंड (७) को देखें। उसमें यह स्पष्ट कहा गया है :

"जब भूमि, प्राधिकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए अर्जित की गई हो तो केन्द्रीय सरकार, भूमि का अधिकार भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् प्राधिकार अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर के भुगतान के पश्चात् भूमि उसे हस्तांतरित कर देगी।"

इस बात का महत्व है कि भूमि का हस्तांतरित विकास के प्रयोजन के लिये ही होगा और हस्तांतरण से पूर्व भुगतान कर दिया जायेगा। यदि क्षतिपूर्ति के बारे में कोई विवाद न हो तो उसका निबटारा तुरन्त हो जायेगा। यदि कोई विवाद हुआ तो उस का उपबन्ध खंड १६ में किया गया है और कतिपय मामलों में समाहर्ता द्वारा निबटारा करवाना होगा। प्रक्रिया यह होगी कि पहले केन्द्रीय सरकार कुछ कार्यवाही करेगी और भूमि का हस्तांतरण दिल्ली प्राधिकार को किये जाने से पूर्व भुगतान कर दिया जायेगा। खंड १६ में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि भूमि अर्जन के लिये क्षतिपूर्ति दी जायेगी। अतः भुगतान में देरी का यहां कोई प्रश्न नहीं।

†**श्री च० कृ० नायर** : क्या यह विनिमय केन्द्रीय सरकार और विकास प्राधिकार में होगा अथवा दिल्ली प्रशासन के द्वारा किया जायेगा। यदि ऐसा नहीं तो क्षतिपूर्ति भी क्यों न स्वामी को सीधे दे दी जाये ?

†**श्री दातार** : इस खंड में यह स्पष्ट उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार से भूमि का अधिकार मांगने से पहले भुगतान कर देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५१ तथा ६१ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ११ में, खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये —

"15. *Compulsory acquisition of land*.—(1) If in the opinion of the Central Government any land is required for the purpose of development or for any other purpose, under this Act, the Central Government may acquire such land by publishing in the Official Gazette a notice

†मूल अंग्रेजी में

specifying the particular purpose for which such land is required and stating that the Central Government has decided to acquire the land in pursuance of this section.

(2) Before publishing a notice under sub-section (1), the Central Government shall by another notice call upon the owner of the land and any other person who n the opinion of the Central Government may be interested therein, to show cause within such time as may be specified in the notice, why the land should not be acquired.

(3) After considering the cause, if any, shown by the owner of the land and by any other person interested therein and after giving such owner and person an opportunity of being heard, the Central Government may pass such orders as it deems fit.

(4) When a notice under sub-section (1) is published in the Official Gazette, the land shall on and from the date of such publication, vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

(5) Where any land is vested in the Central Government under sub-section (4), the Central Government may, by notice in writing, order any person who may be in possession of the land to surrender or deliver possession thereof to that Government or any person duly authorised by it in this behalf within thirty days of the service of the notice.

(6) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (5), the Central Government may take possession of the land and may for that purpose use such force as may be necessary.

(7) Where the land has been acquired for the Authority or any local authority, the Central Government shall, after it has taken possession of the land and on payment by the Authority or the local authority concerned of the amount of compensation determined under section 16 and of the other charges incurred by the Government in connection with the acquisition, tranfer the land to the Authority or that local authority for the purpose for which the land has been acquired."

["१५. **भूमि का अनिवार्य अर्जन.**—(१) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, इस अधिनियम के अन्तर्गत विकास या किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी भूमि की आवश्यकता होगी तो, केन्द्रीय सरकार, उस विशेष प्रयोजन का उल्लेख करते हुए जिस के लिये ऐसी भूमि की आवश्यकता होगी और यह बताते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने अमुक धारा के अनुसरण में भूमि के अर्जन का निर्णय किया है, सरकारी गजट में एक सूचना प्रकाशित कर के उक्त भूमि का अर्जन कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन सूचना प्रकाशित करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार एक और सूचना द्वारा भूमि के स्वामी और ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिसे, केन्द्रीय सरकार, भूमि से सम्बद्ध समझेगी, उत्तर मांगेगी कि वे सूचना में उल्लिखित समय के भीतर कारण बताये कि भूमि का अर्जन क्यों न किया जाये।

(३) यदि भूमि का स्वामी और उससे सम्बन्धित अन्य कोई व्यक्ति कोई कारण बताये तो उस पर विचार करने के पश्चात् और उस स्वामी और व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार जो ठीक समझे आदेश दे सकेगी।

(४) जब उप-धारा (१) के अधीन सरकारी गजट में एक सूचना प्रकाशित हो जाये, तो ऐसे प्रकाशन की तिथि से और उस के पश्चात् बिना किसी भार के भूमि पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो जायेगा।

(५) जब उप-धारा (४) के अधीन किसी भूमि पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार हो जाये, तो केन्द्रीय सरकार लिखित सूचना द्वारा भूमि के अधिकारी व्यक्ति को यह आदेश दे सकेगी कि वह,

[उपाध्यक्ष महोदय]

उस का कब्जा सरकार को या इस के निमित्त उस के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, सूचना पहुंचाने के तीस दिन के भीतर दे दे ।

(६) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (५) के अधीन किये गये आदेश का पालन न करे या पालन करने से इन्कार कर दे, तो केन्द्रीय सरकार भूमि का कब्जा ले सकती है और इस प्रयोजन हेतु आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर सकती है ।

(७) जब भूमि, प्राधिकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिये अर्जित की गई हो, तो केन्द्रीय सरकार भूमि का कब्जा लेने के पश्चात प्राधिकार अथवा सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा धारा १६ के अधीन निश्चित प्रतिकर की राशि और सरकार द्वारा अर्जन के सम्बन्ध में किये गये अन्य खर्च के भुगतान के पश्चात्, भूमि को उस प्राधिकार या स्थानीय प्राधिकारी को, उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये उसका अर्जन किया गया हो, हस्तांतरित कर देगी ।"]

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १६--(भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति)

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ११, पंक्ति २५, २६, ३० और ३२ में जहां कहीं भी " authority" ("प्राधिकारी") शब्द आये वहां "central government" ("केन्द्रीय सरकार") शब्द रखे जायें ।

कि पृष्ठ १२ में,

'(क) पंक्ति ५ से १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(*b*) the value of the land shall be taken to be—

(*i*) the market value of the land on the date on which the notice calling upon the owner to show cause why the land should not be acquired is issued under sub-section (2) of section 15 (hereinafter referred to as 'the date of notice'), such market value being determined on the basis of the use of the land on that date, or

(*ii*) an amount equal to the sum total of the three following amounts, that is to say, an amount equal to the market value of the land on the first day of October, 1955, such market value being determined on the basis of the use of the land on that date, an amount equal to twenty-five per cent. of the increase, if any (not including, however, any increase consequenton any development carried out on the land), in the market value of the land during the period between the first day of October, 1955, and the date of notice, and an amount which in the opinion of the collector represents the reasonable cost of development, if any (including in the case of agricultural land, the cost of any improvement carried out thereon in the course of agricultural operations), carried out on the land during tha period,

whichever is less;"

---

†मूल अंग्रेजी में

["(ख) भूमि का मूल्य निम्नलिखित राशियों में से कम वाली राशि माना जायेगा —

(१) धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन भूमि के मालिक के नाम जिस तिथि को (जिसे एतत्पश्चात् सूचना की तिथि कहा जायेगा) यह सूचना निकाली जायेगी कि वह कारण बताये कि उसकी भूमि क्यों न अर्जित कर ली जाये, उस दिन भूमि का जो बाजार भाव होगा ; भूमि का बाजार भाव इस आधार पर निर्धारित किया जायेगा कि उस समय भूमि का क्या प्रयोग हो रहा है ; अथवा

(२) अक्तूबर, १९५५ को भूमि का जो बाजार भाव था उसके बराबर राशि, जब कि बाजार भाव इस आधार पर निर्धारित किया जायेगा कि उस समय भूमि का क्या प्रयोग हो रहा था ; १ अक्टूबर, १९५५ और सूचना देने की तिथि के बीच की अवधि में भूमि के बाजार भाव में यदि कोई वृद्धि होगी (भूमि पर किसी निर्माण या अन्य विकास कार्य के द्वारा उसके मूल्य में हुई वृद्धि इसमें सम्मिलित नहीं होगी) तो उस वृद्धि की राशि के २५ प्रतिशत के बराबर राशि ; और इस अवधि में भूमि के विकास के लिये व्यय की गयी राशि, यदि कोई हो (कृषि भूमि के मामले में, यदि इस अवधि में कृषि सम्बन्धी कोई विकास उस भूमि में किया गया हो), जो कलैक्टर की दृष्टि में उचित हो तो उसके बराबर राशि ; उपरोक्त तीनों राशियों के योग के बराबर राशि ।"]

(ख) पंक्ति १६ में, "(d)" ["(घ)"] शब्द के स्थान पर "(c)" ["(ग)"] शब्द रखा जाये ।'

(ग) पंक्ति २२ में, "(e)" [(ङ)"] शब्द के स्थान पर "(d)" ["(घ)"] शब्द रखा जाये' ।

†**श्री कोडियान** : मैं अपना संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मैं अपना संशोधन संख्या ६२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**श्री दातार** : जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है कल मैंने इनके आधार के बारे में समझा दिया था और आज गृह-कार्य मंत्री ने भी समझा दिया है। अतः इन संशोधनों के बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है ।

†**श्री कोडियान** : मैं खंड १६, उपखंड (५) (क) का समर्थन करता हूं कि अमीर व्यक्तियों की भूमि का अर्जन करने पर उन्हें कोई क्षतिपूर्ति न दी जाये पर गरीब किसानों की भूमि का अर्जन करने पर उनको कुछ अधिक दर से क्षतिपूर्ति दी जाये। यही मेरे संशोधन का उद्देश्य है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : वैसे तो मैं खंड १६ का समर्थन करता हूं पर अानवार्य अर्जन के मामले में उन गरीब किसानों को, जिनके पास उनकी उस भूमि के सिवा, जिसे सरकार अर्जित करे, अन्य कोई जीविका का सहारा न हो तो उन्हें कुछ अधिक क्षतिपूर्ति दी जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाबे वाला, दफ़ा १५ और १६ मिली जुली हैं। दफ़ा १५ को हम पास कर चुके हैं और इस वक्त दफ़ा १६ पर बहस हो रही है। इस पर बहुत सी अमेंडमट्स पेश हुई हैं और इस हाउस में इस के बारे में—कम्पेन्सेशन के बारे में—काफ़ी डिससैटिस-फ़ैक्शन फैली हुई है। जो कम्पेसेशन का उसूल है वह कोई नया उसूल नहीं है। बहुत दफ़ा हाउस

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के सामने यह मसला आ चुका है लेकिन जब कभी यह मसला आया उसका ऐसा सैटिसफैक्टरी हल कभी नहीं हुआ जिससे लोगों को इतमीनान हो। यह मसला एक और मौके पर आया था जब कि डी० वी० सी० और भाखड़ा नांगल के अन्दर आज तक जितना ऐक्वीजीशन हुआ है, उसका जिक्र यहां पर आया था। कोल बिएरिंग ऐरियाज़ (ऐक्वीजीशन एंड डेवेलपमेंट) ऐक्ट, के मातहत जो ऐक्वीज़ीशंस हुई थीं, उनके सिलसिले में भी इस कम्पेन्सेशन का जिक्र आया था।

दिल्ली में आबादी का प्रेशर चूंकि काफ़ी बढ़ गया है और यहां और काफ़ी लैंड चाहिये इसलिये यह ऐक्वीज़ीशन की बात चलती है। यह ठीक है कि ज़मीन ऐक्वायर कर लिये जाने से आस-पास के लोगों की तो दिक्क़त पूरी हो जाती है लेकिन दिल्ली के अन्दर दिक्क़त यह है कि उसके आस पास जो गांव हैं उनको बहुत तक़लीफ हो जाती है जब कि उनका असली ज़रिया माश उनसे छीन लिया जाय और उनको उसके एवज़ मुनासिब मुआवज़ा भी न मिले।

चन्द एक साल हुये जिस वक्त कि हमारे रेफ्यूजीज़ भाई पाकिस्तानी पंजाब से अपना सब कुछ लुटा कर यहां पहुंचे तो हमने उनको यहां पर बसाने के ग़रज़ से एक ऐक्ट पास किया था और मैं समझता हूं कि वह ठीक ही ऐक्ट पास किया था और वह यह था कि रेफ्यूजीज़ के बसाने के लिये सरकार लैंड ऐक्वायर करे। इस उसूल को तो मैं मानता हूं कि जिनके पास रहने के लिये जगह नहीं थी उनके वास्ते सरकार ज़मीन ऐक्वायर कर के मकान मुहैय्या करती और इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए वह ऐक्ट हमने उस वक्त पास किया था और उसके ज़रिये रेफ्यूजीज़ की हमने बस्तियां बनाईं, उनके लिये बस्तियां बनाना तो ठीक था लेकिन वह कहां तक जायज था कि जिन लोगों की जमीनें ली गईं थीं उनकी ज़मीनें ऐसे दामों पर ली गईं कि जिससे वे बिलकुल उजड़ गये। चुनांचे उसके ख़िलाफ़ लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की। ज़मीन तो सन् ५२ और ५४ में सरकार ऐक्वायर करती है लेकिन उनको मुआवज़ा उससे १० साल पहले के रेट से दिया और जब हाईकोर्ट में इसके ख़िलाफ़ सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने उस सारे हिस्से को नाजायज़ क़रार दे दिया उसके बाद मेरे दोस्तों को मालूम है कि संविधान की धारा ३१ में सरकार तरमीम लाई और उस अमेंडमेंट पर यहां पर बड़े ज़ोर की बहस हुई और उस मौक़े पर दिल्ली का मामला ख़ास तौर पर रक्खा गया। मैंने भी उस मौक़े पर सरकार से अर्ज़ किया था कि यह जायज नहीं है कि हाईकोर्ट ने जब आपके उस मुआविजे वाले हिस्से को नाजायज़ क़रार दे दिया है तब फिर आप उनको मुनासिब मुआवज़ा क्यों नहीं देते हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त बड़े अच्छे तरीक़े से सबको सैटिसफ़ाई करने के ख़ातिर यह फ़रमाया था कि हम इसको फिर देखेंगे और लोगों को जो मुनासिब तौर पर और मिलना चाहिये वे दे देंगे लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि आज तक वैसा नहीं हुआ है और अभी चन्द दिन हुए मेरे पास कुछ लोग आये थे और वे कह रहे थे कि हमें अभी तक उस हिसाब से मुआवज़ा नहीं मिला है जिसका कि ज़िक्र आपने और होम मिनिस्टर साहब ने किया था। यह दिक्कत है जिसकी कि वजह से यहां इतनी बार खड़े हो कर बार बार अर्ज़ करता हूं कि उन लोगों की जिनकी कि आप रोज़ी छीनते हैं और जिनसे ऐसी ज़मीनें छीनी जाती हैं जो कि अव्वल दर्जे की फ़र्टाइल हैं, वे ज़मीनें हम उनसे छीन लेते हैं और न तो उनके बराबर हम दूसरी ज़मीनें देते हैं और न ही उनकी जो मुनासिब क़ीमत उनको दी जानी चाहिये, वह हम देते हैं। ए० को बसाने के ख़ातिर आप बी० को यमुना जी में डाल दें, यह जायज़ नहीं है। यह कोई मास मूवमेंट का तो सवाल है नहीं कि आपने क़ानून बना कर ज़मीदारियां ख़त्म कर दीं और यह भी ऐक्ट में लिख दिया कि गवर्नमेंट जो भी मुआवज़ा मुनासिब समझेगी वह उनको दे देगी और कोर्ट्स इस चीज़ में मदाख़लत नहीं कर सकेंगे। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब दोनों ने यह वायदा किया था कि जहां तक छोटे आदमियों

की ज़मीनों या उनके मकानों का सवाल है, उनका अगर ऐक्वीज़ीशन किया जायगा तो हम उनके लिये पूरा पूरा और माकूल मुआविज़ा देंगे। मैं उन बड़े बड़े आदमियों के वास्ते प्लीड नहीं करना चाहता जिनके कि पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी है जिनके कि पास बहुत सारे मकानात हैं और एक अच्छी हैसियत रखते हैं। जनाबवाला, इस ऐक्वीज़ीशन के सिलसिले में मैं उस फ़ेज का जिक्र कर रहा था जिसका कि जिक्र जब कांस्टीट्यूशन की दफ़ा ३१ तरमीम हो रही थी तब आया था और उसके पेश्तर भी उसका ज़िक्र आया था।

जहां तक लफ्ज "एस्टेट" का ताल्लुक है, पंजाब रेवेन्यू ऐक्ट के मुताबिक़ जिसके कि पास दो बीघे की भी खेती है उसको हम एस्टेट कह सकते हैं और इसलिये हमने कांस्टीट्यूशन के अन्दर तबदीली की। जिनकी छोटी छोटी एस्टेट्स हैं उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा और यह साफ़ कर दिया गया कि जहां तक छोटे ज़मीदारों की ज़मीनों का सवाल है, उनके साथ यह सख्ती नहीं की जायगी और उनको पूरा मुआविजा मिलेगा। अगर मेरे दोस्त पुराने रेकार्ड्स को देखेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सही है।

श्री ईश्वर अय्यर ने जो संशोधन पेश किया है उसका मतलब यही है कि ऐसे छोटे ज़मीन वाले जो कि १० एकड़ पर गुज़र करते हैं, उनकी ज़मीनों को लेते वक्त यह उसूल न रक्खा जाय और उनके साथ खास कंसिडरेशन किया जाय। अब आनरेबुल मिनिस्टर यह अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि सन् १९५५ के हिसाब से उनको ज़मीन की क़ीमत दी जाय। जब रेफ्यूजीज़ का सवाल आया था तो हमने कहा था कि नो प्राफ़िट नो लौस बेसिस पर उनको दे दिया जाय लेकिन सरकार ने वैसा न करके मार्केट वेल्यू लगाई और वह मार्केट वैल्यू सरकार ने तिगुनी चौगुनी लगाई लेकिन जब स कार के अपने देने का वक्त आया तब लोगों को मार्केट वैल्यू जो पुरानी कीमत के मुकाबिले में तिगुनी चौगुनी होती थी देने को तैयार नहीं है और यह कहती है कि जिनकी ज़मीन आज ली जायगी उनको उसका मुआविजा सन् १९५५ के हिसाब से मिलेगा। क़ायदे से तो जिस वक्त कोई जायदाद ली जाय तो उस वक्त की उसकी मार्केट वैल्यू उसको मिलनी चाहिये। लेकिन अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं या दूसरे सोशल कामों की वजह से पूरा पूरा कम्पेंसेशन देना मुश्किल हो, तो उसी के वास्ते यह सैक्शन ३१ बना था और आप ऐसा युनिवर्सल उसूल लगा सकते हैं जिससे कि आपका काम चल जायगा और पूरी जितनी क़ानून की मंशा थी, उतना मुआविज़ा भी न दिया जाय क्योंकि क़ानून की मंशा तबदील होती रहती है। हाईकोर्ट ने जो मुआविजे की तारीफ़ की थी हमने जब अपने संविधान में अमेंटमेंड किया तब हमने इस तारीफ को पूरे तौर नहीं रखा लेकिन छोटे आदमियों के वास्ते यह ख़याल रक्खा गया कि उनको माकूल मुआविज़ा मिले। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक छोटे आदमियों की ज़मीनें लिये जाने का सवाल है, वह ज़मीन ही उसका सब कुछ होती है और उसी पर वह गुज़र बसर करता है और अगर उससे आप वह भी ले लेना चाहते हैं तो उसके साथ ऐसा तो न करिये कि जिससे वह बिलकुल तबाह हो जाय। अगर आप चाहते हैं कि वह सोशल कॉज़ के लिये थोड़ी सैक्रिफ़ाइस करने को तैयार हों तो मेरा कहना है कि आप उन ग़रीबों पर ही इसका बोझ क्यों डालते हैं। यहां पर हालत यह है कि ज़मीनें तो सरकार ऐक्वायर करने का नोटिस आज देती है और १० वर्ष तक वे ज़मीनें वैसी ही बेकार पड़ी रहती है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत सी इस तरह की ज़मीनें पड़ी हुई हैं और उनको न तो कोई यूज़ कर सकता है। और न वहां पर कुछ बना सकता है और न ही गवर्नमेंट ऐक्वायर करती है दफ़ा ५५ में इसके मुताल्लिक ज़िक्र आया है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह क्या क़ानून है कि ज़मीन गवर्नमेंट आज ऐक्वायर करने का नोटिस देती है और दस दस वर्ष तक उसको खाली रक्खे रहे। गवर्नमेंट आख़िर इस तरह उन गरीब लोगों को

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

क्यों नुक़सान पहुंचाती है। अगर आपको प्राइवेट प्रापरटी किसी की रखनी ही नहीं थी तो आपने दफ़ा १९ क्यों रक्खी ? ऐक्वीज़ीशन के मामले में गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती बर्ती है और मुझे कई केसेज़ मालूम हैं जिनको कि आज तक मुआविज़ा नहीं दिया गया है। कभी मिलेटरी ने उनकी जमीनों को ले लिया था, आज तक उनका ऐक्वीज़ीशन नहीं हुआ है। इसी तरह भाखरा डैम के लोग रोते फिरते हैं लेकिन मेरा कहना है कि जो उसूल उन्होंने भाखरा डैम और बिलासपुर के बारे में तय किया था, कम से कम वह उसूल ही इन दिल्ली वालों के लिये लगा दें। मैं चाहता हूं कि यहां के लोगों की जब ज़मीनें ऐक्वायर की जा रही हैं तो उनको पूरी क़ीमत दी जाय जोकि नहीं दे रहे हैं। सरकार कहती है कि जो ज़मीनें हम ऐक्वायर करने जा रहे हैं वह पबलिक परपज़ के लिये ही कर रहे हैं और उनमें लोगों को बसायेंगे लेकिन यह तो वही हुआ "रौबिंग पीटर टु पे पॉल।"

यह मैं इंकार नहीं करता कि क़ानून के मुताबिक किसी की ज़मीन जो उसकी रोज़ी का ज़रिया है उसको अगर सरकार चाहे तो ले सकती है क्योंकि गवर्नमेंट की ज़रूरतें उस एक इंडिविजुएल की ज़रूरतों से ज्यादा हैं लेकिन इन एफ़ैक्ट अगर आप उसकी ज़मीन छीन कर उसका "क्विड प्रो क्वो" नहीं देते और रिहैब्लिटेशन नहीं करते और उसको जायज़ कीमत भी नहीं देते और दस वर्ष के बाद देते हैं तो इसके मानी यह है कि हम अपने हाथों से उसको बर्बाद करते हैं और जो कि नहीं करना चाहिये। गवर्नमेंट के हाथ बहुत लम्बे चौड़े हैं और अगर वह लोगों की कहीं पर जमीनें लेती है तो वह उसको अगर चाहे तो दूसरी जगह उसके बराबर ज़मीन दे सकती है। खरीद कर दे, किसी तरह दे, यह गवर्नमेंट का फर्ज है। मैं जानता हूं कि इस में लिखा है "पे" लेकिन "पे" के माने यह हैं कि जमीन न दे सकें तो न दें। गवर्नमेंट ने इस मामले में निहायत सख्ती के साथ, निहायत नेग्लिजेंटली, क्रूयली आई शुड से, तमाम लोगों की जमीनें ले लीं। फिर सरकार को कोई परवाह नहीं कि जिस की जमीन ली है उसे कितना नुक्सान हुआ। यह कानून सही है कि उसे कितना ही नुक़सान हो, उसे सर थाम कर बैठना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट का फर्ज है, मामूली फर्ज है, मारल फर्ज है कि जिस आदमी को वह बेदखल करे, अगर उसकी रोजी का जरिया ले ले, तो उसको जमीन कहीं भी दे। जमीन न दे तो पैसा दे। लेकिन आप पैसा देने के साथ उनकी कीमतें कम कर देते हैं। आप अमीरों की कम कर दीजिये मुझे कोई परवाह नहीं लेकिन हमारे सामने स्पेसिफिक केसेज़ हैं, एक पैम्फ्लेट छपा था, (दिल्ली के देहात) जिसे हाउस में बांटा गया था, उसमें मिसालें दी गई थीं सब लोगों की जिन की फर्टाइल फील्ड्स थीं, जिन के पास २० एकड़ से कम थे, उनकी जमीनें ले ली गई। वह बेचारे भागते फिरते हैं लेकिन आज तक उन को मुआविजा नहीं मिला। मैं अर्ज़ करूंगा कि आप इसे चलाइये, नेक चीज़ है, हम बड़े बड़े शहर बसा दें, मैं बड़े शहर बसाने के बखिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि छोटे जमींदारों को उजाड़ कर आप बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी बस्तियां बनायें। बनायें तो अपनी कास्ट पर बनायें, उसे रिहैबिलिटेट करें ताकि उसे यह मालूम हो कि हमारी सरकार एक वेलफेअर स्टेट है। लेकिन इसके अन्दर तो अन्धेर है कि कई कई बरस तक लोगों को इसके लिये भागना पड़े और उनको मुआवजा नहीं मिले, हालांकि सरकार के कानून, सरकार के यहां के ऐश्योरेन्सेज कहते हैं उनको मुआवजा मिलेगा। हमने इस हाउस के अन्दर रिफ्यूजीज के वास्ते तमाम ऐश्योरेन्सेज लिये थे, लेकिन हमें मालूम है कि उन पर किस तरह से अमल हुआ। उसकी हम शिकायत भी करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज से कि उन लोगों को, जिन से आप जमीनें लेना चाहते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। जो ऐश्योरेन्सेज मौजूद हैं वह सब के सब रिफ्यूजीज को पूरा प्रोटेक्शन नहीं देते। आइन्दा उन के मकान लिये जा सकते हैं, गिराये जा सकते हैं, हालांकि ऐश्योरेन्सेज हैं कि उनको नहीं गिराया जायेगा। हालांकि ऐश्योरेन्स है कि लोगों को

कम्पेन्सेशन मिलेगा, लेकिन वह कम्पेन्सेशन इस तरह का न हो जिस तरह कि हमें सन् १६५५ की तारीख बताई जा रही है। कम्पेन्सेशन के मामले में गवर्नमेंट को ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिये और इस में जो डामिनेन्ट पोजीशन है उस का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाना चाहिये ।

चौ० रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में मुआवजा देने का सवाल है। मुआवजा देने के साथ साथ इस देश के संविधान में एक बात और लिखी है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिल्ली शहर के अन्दर क्या यह सही नहीं है कि आज भी जब मकान किराये पर लेते हैं तो पगड़ी के रुपये देने होते हैं और जब सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि जब वह नोटिस ६ देगा, उसके बाद कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। क्या यह सच नहीं है हमारे देश के कुछ भाई जो हमारी सरकार का इन्तजाम करते हैं, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे हैं, लेकिन कुछ जरूर ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हैं। अब वह बेचारा नोटिस देगा, उसके बाद ८ या ६ साल में उसका कुछ मिलेगा। जितना रुपया मिलेगा वह नोटिस के छुड़ाने की कोशिश में ही लग जायेगा। उसे हमेशा यह फिक्र रहेगी कि इस नोटिस से किस तरह मेरा पिंड छूटे और वह भागता फिरेगा, अफसरों की खोज करता रहेगा। इसके लिये पता नहीं कितना रुपया खर्च कर देगा।

एक आदमी की जो अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है न दीजिये आप उसको। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने १ रु० और ८ आ० गज जमीन खरीदी और उसके बाद ५०, ५० रु० गज बेची। उसकी अनअर्न्ड इनकम के लिये आपने क्या किया। अगर वह अनअर्न्ड इनकम करता है, तो हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन जब तक आपने उसका कोई इन्तजाम नहीं किया जिन्होंने देश के अन्दर रुपये से खेल खेला है, तब तक आप किस तरह से उनसे यह कहने लगे हैं कि वह अनअर्न्ड इनकम के मुस्तहक नहीं, जिन्होंने आपको सुविधा दी है। किस मारल बैकग्राउंड से आप उनसे यह कह सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह शहर के अन्दर नहीं बसे हैं, वे देहात के इलाके में बसे, उन्होंने कई राज्यों का मुकाबला किया है, कई राज्य आये और कई राज्य गये, इसके बावजूद भी वह अपनी तहजीब और तमद्दुन को कायम रख सके, तब आप कैसे कह सकते हैं कि वह अनअर्न्ड इनकम के मुस्तहक नहीं ? चाहे वह एक एकड़ का मालिक हो, चाहे आधे एकड़ का मालिक हो वह तो मुस्तहक नहीं, लेकिन जो यहां जमीन खरीदने के लिये आते हैं, ४, ४ आ० से ले कर १, १ रु० गज तक जमीन खरीदते हैं और ५०, ५० रु० गज बेचते हैं उन्हें अनअर्न्ड इनकम कमाने का अधिकार है, क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ? अगर है तो आपका जो कम्पेंनसेशन का कानून है, मुझे मालूम नहीं उसे सही माना जा सकता है या नहीं, या कोई गरीब आदमी अदालत पहुंच सकता है या नहीं और कोई न्याय अपने लिये हासिल करा सकता है या नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूं दिल्ली की संसद् के अन्दर, जो बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है, किस को दिल्ली की बात कहने का हक दिया गया है। इस संसद् के अन्दर अगर दिल्ली के लिये कोई बात कहनी हो तो दिल्ली शहर के जो तीन चार भाई यहां हैं वही लोग दिल्ली की आवाज को सही तौर पर रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है । क्या हम लोगों पर दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ इसलिये कि राधारमण जी एक बात कहते हैं, या दूसरे हमारे दिल्ली शहर के भाई कहते हैं, किसी बात को सही समझ लिया जाये। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि उन भाइयों के साथ जिन से अधिकार ले लिया गया था अन्याय

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणबीर सिंह]

है और हम उनके ऊपर एक और चोट कर रहे हैं। इस सदन में इस कानून को बनाते हुये सोचना चाहिये कि ५५ में जो बात है, भले ही उसमें छोटे आदमियों की बात कही जाती है, लेकिन उसमें छोटे के साथ कोई रियायत नहीं है, यह रियायत सिर्फ बड़े के लिये है। हमारे दिल्ली शहर के अन्दर एक कालानी बनी थी, मुझे पता है उसके अन्दर शायद ही कोई आदमी लखपति से कम रहा हो और मुझे कोई ऐसी मिसाल बता दे कि जिस आदमी की जमीन ली गई हो वह ५, १० एकड़ से ज्यादा का हो, या जिसकी आमदनी १,००० रु० सालाना से ज्यादा की हो। उन आदमियों की जमीन ली गई और किस के लिये दी गई जिन की आमदनी १, १ लाख रु० से ऊपर है, चाहे वह पाकिस्तान छोड़ कर आये चाहे भारत के हों। यह बात सही है कि तमाम कुछ छोड़ कर चले आने के बाद भी वह जिन लोगों से जमीन ली गई, उन से अच्छे थे, उन से ज्यादा अच्छी हालत में थे। मैं समझ सकता हूं अगर किसी हरिजन कालानी को बसाने के लिये जमीन ली गई, मैं समझ सकता हूं अगर उसे ४ आ० भी मुआवजे के रूप में दे दिये जायें, उसका मुझे ज्यादा गिला नहीं होगा, लेकिन जो जमीन ली जाती है वह बड़े बड़े कारखानेदारों को बसाने के लिये, बड़े बड़े साहूकारों को बसाने के लिये, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट पर्मिट लेने वालों के लिये, जिन्होंने ब्लैक मार्केट में रुपया कमाया। उन लोगों की जमीन ली जाती है जिन से इस हाउस ने अधिकार छीना था, जिन देहात वालों की असेम्बली छीनी थी। क्या सदन को मालूम नहीं कि उनसे हम क्या छीन रहे हैं और किस के लिये हम जहर बो रहे हैं? यहां के कौन रहने वाले हैं? जितने भी हैं दिल्ली में ज्यादातर सरकार के नौकर हैं, उनका क्या वास्ता है इस इलाके के लोगों से? कितने आदमी हैं जो दिल्ली में पैदा हुये हैं। बहुत थोड़े से हैं। लेकिन बड़े बड़े सरकारी आदमी कोई बम्बई से आता है, कोई यू० पी० से आता है, कोई पंजाब से आता है। यहां के लोगों का उनसे कोई वास्ता नहीं है, न अफसर उनके हैं, न असेम्बली उनकी है। आप जरा सोचिये तो सही वह उनके फायदे के लिये क्या कर सकते हैं? मैं सोच समझ कर, शान्ति और धैर्य के साथ आपसे कहता हूं कि आप अनअर्न्ड इनकम का सवाल उनके बारे में न उठायें। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है अगर आपने पचास और तीस एकड़ वालों की जमीन ले ली है, आप उसे किसी को भी दे दीजिये, मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। आप पच्चीस एकड़ वाले की जमीन ले लीजिये, किसी को भी दे दीजिये, उस पर भी मैं एतराज नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप पांच एकड़ वाले की जमीन लेते हैं, एक या दो एकड़ वाले की जमीन लेते हैं और ले कर देते हैं किसी बड़े साहूकार को, तो आप खुद ही बताइये कि यह गरीबों का खयाल है या अमीरों का खयाल है, या किस की भलाई की बात आप करते हैं? क्या यह सही नहीं है, मैं पूछता हूं, इसकी इन्क्वायरी कराई जाये कि यहां जो इस किस्म की बातें होती हैं आया बड़े बड़े आदमियों के साथ उनका वास्ता नहीं होता है। जो आदमी अखबार निकालते हैं, वह आदमी उनके पास गये जो पांच और छः रुपया देने के लिये तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने इन्कार किया और एक दो रुपया और ज्यादा मांगा तो वे लोग कार ले कर अफसरों के पीछे गये और चार आने और आठ आने गज़ में वह जमीन एक्वायर हुई। जब यह इतिहास हो और हम यह बात कहें कि जिस वक्त ली जाये उस वक्त की भी कीमत न दी जाये तो मैं समझता हूं कि उन बेचारों के साथ बहुत बड़ी बेइन्साफी होगी और उनका इस सदन के खिलाफ गिला होगा और उनको रोष होगा। वे कुछ नहीं कह सकते। उनके पास अखबार नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई यूनियन नहीं है, उनके पास कोई झंडा खड़ा करने वाला नहीं है। लेकिन वे आपके प्रति वफ़ादार हैं। वे आपके लिये लड़ेंगे और वे देश को आजाद कराने के लिये लड़े थे, जेलों में गये थे और उन्होंने दिल्ली के इतने नजदीक रहते हुये भी देश के तमद्दुन को कायम रखा, इतनी सल्तनतें चली गईं, उनका दिल्ली से दूर दूर असर हुआ, लेकिन जो आदमी यहां से चार

पांच मील दूर बसे थे वे वैसे के वैसे ही रहे। हजारों साल का इतिहास उनको बदल नहीं सका।

आज जो आप सन् ५५ की बात कहते हैं इससे उनको बड़ा नुकसान होगा। उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आप सोचिये और जैसे पहले था उसी तरह रहने दीजिये और इस अमेंडमेंट को छोड़ दीजिये।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली, रक्षित, अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे ऐतराज नहीं मेम्बर लोग बोलते जायें लेकिन हमने पहले फैसला किया था कि तीन बजे तक इस बिल को खत्म किया जाये। अगर इस पर क्लोजर मूव हुआ तो कई क्लाज ऐसे रह जायेंगे जिन पर मेम्बर साहिबान बोलना चाहते हैं। अगर हाउस चाहता है कि टाइम एक्सटेंड किया जाये तो मैं हाउस के हाथ में हूं।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : एक्सटेंड कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस चाहता है तो आधा घंटा और बढ़ा दिया जायेगा लेकिन हम जो वक्त तै कर लें उस के अन्दर हमको खत्म कर देना चाहिये।

डा० सुशीला नायर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इस समय आपके सामने कम्पेन्सेशन के बारे में क्लाज़ है उसमें जो तरमीम पेश है उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहती हूं।

मैंने देखा है दिल्ली में और दिल्ली के बाहर दूसरी जगहों में भी, जैसे झांसी में, कि सरकार लोगों की जमीन एक्वायर कर लेती है, नोटिस दे देती है और जमीन ले भी लेती है मगर सालों गुजर जाते हैं और उन लोगों को कम्पेन्सेशन नहीं मिलता।

पहली चीज तो यह है कि सरकार नोटिस इश्यू करे और उस तारीख को कम्पेन्सेशन के लिये मारकेट वैल्यू तै करे मैं तो उसको भी मान नहीं सकती। मुझे इसमें भी आबजेक्शन है? क्यों आबजेक्शन है? आपने आज कई जगह पर १९४७ की जमीनें एक्वायर की हुई हैं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में इसकी कई मिसालें हैं। १९४७–४८ में लोगों की हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की गई। आज सन् १९५७ हो गया, दस बरस हो गये लेकिन उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। आज आप उन्हें १९४७-४८ की कीमत से मुआवजा देने की बात करते हैं यह सरासर अन्याय है।

फिर किसान अपनी जमीन में से अपनी रोजी पैदा करता है। अगर वह उसको बेच देता है और आप उसको मुआवजे के थोड़े से रुपये दे देते हैं तो फिर वह रुपये खा कर उसके बाद वह कहां जाये। आज चारों तरफ से अनएंप्लायमेंट की बात हो रही है और हम खूबसूरत शहर बसाने के लिए लोगों की जमीन एक्वायर करने और उनकी रोजी छीनने में हिचकिचाहट नहीं करते। मुझे शहर खूबसूरत बनाने में ऐतराज नहीं है। मैं चाहती हूं कि दिल्ली दुनिया के बेहतरीन कैपीटल्स में से एक हो। लेकिन जिन लोगों की आप जमीन लेते हैं उनको रुपयों में कम्पेन्सेशन न दिया जाये। मेरे खयाल में रुपये में कम्पेन्सेशन देने का तरीका ठीक नहीं है। जो खेती करना चाहता है और खेती कर रहा है अगर आप उसकी जमीन लेते हैं तो उसे जमीन के बदले में जमीन दीजिये और जमीन दें तो ऐसा न करें कि बंजर और पत्थर जमीन दे दें। आज मेरी कांस्टीट्यूएंसी में यही हो रहा है कि उनको बदले में बंजर और पत्थर जमीन दी जा रही

[डा० सुशीला नायर]

है। अगर जमीन के बदले में जमीन देनी है तो आपको उसे ट्रैक्टर से तोड़ कर खेती के लायक बना कर देनी चाहिये जिससे कि वह उपज के लायक बन जाये ताकि वे लोग एक जगह से उठ कर दूसरी जगह बस सकें और खेती का काम कर सकें।

पर जिन लोगों को खेती न करनी हो उनको आप रुपये में कम्पेन्सेशन भले ही दीजिये लेकिन उसको उसी तारीख की मारकेट वैल्यू का कम्पेन्सेशन दें जिस तारीख को जमीन ली जाये। आपको यह कोई हक नहीं है कि आप कह दें कि जिस तारीख को हमने कागज पर हुक्म दिया था उस तारीख को जो मारकेट वैल्यू थी वह हम देंगे। इस अरसे में कीमत बहुत बढ़ गई है। अब सन् १९५५ का रेट लगाने का यह मतलब है कि आप सन् ६५ में जमीन लेंगे पर उसे सन् १९५५ का रेट देंगे तो यह ठीक नहीं। अगर इस देश में कोई ऐसी फिजा हो जाये कि सन् १९६५ में देश में चीज़ों की कीमतें बहुत गिर जायें तब तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को १९५५ का रेट लगाने से फायदा भी हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूं कि वह फायदा भी बेजा चीज़ होगी क्योंकि अगर सब चीज़ों के दाम गिर गये हैं तो जमीन वाले को भी बेजा फायदा नहीं मिलना चाहिये। अगर सन् १९६५ में जमीनों की कीमत दुगुनी और तिगुनी हो जाती है, जैसा कि पिछले चन्द सालों में हुआ है, तो आपको क्या अधिकार है कि उनको आप सन् १९५५ की कीमत दें। क्या बेसिस है, क्या वजह है कि आप सन् १९५५ का रेट रखना चाहते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : उस साल में अथारिटी बनी थीं।

डा० सुशीला नायर : अथारिटी बनने के साल से इस चीज का क्या ताल्लुक है? मेरा तो कहना है कि जिस वक्त आप उसकी जमीन लेते हैं उस वक्त जो मारकेट वेल्यू हो वही आपको कम्पेन्सेशन देना चाहिये। कम्पेन्सेशन उसे रिहैबिलिटेट करने के लिये देना चाहिये। वह उस रुपये से अपने रिहैबिलिटेट करने के लिये बाजार से जो चीज़ें खरीदेगा उसको वह उस दिन के भाव पर ही मिलेंगी सन् १९५५ के भाव पर नहीं मिलेंगी। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि उसको सन् १९५५ के भाव पर चीज़ें दिलवा सके। जब ऐसा आप नहीं कर सकते तो जिस दिन आप जमीन लें उस दिन की कीमत उसको दी जानी चाहिये।

मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें आप यह तरमीम रखें कि जो खेती करने वाला है उस की अगर आप जमीन लें तो उसको बदले में जो जमीन दें वह उसके बराबर की अच्छी खेती लायक जमीन दीजिये और उसको रिहैबिलिटेट होने के वसायल भी दीजिये और जिनको आप रुपये में कम्पेन्सेशन देते हैं उनको उस दिन की मारकेट वैल्यू में दीजिये, न उससे ज्यादा दीजिये और न कम दीजिये। मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री नवल प्रभाकर (वाह्य दिल्ली, रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बातें कह दी गयी हैं लेकिन मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं हम उनकी हिमायत नहीं करना चाहते, आप उनकी जमीन लीजिये और उनको जो कुछ भी रुपया दें, हम उनके वास्ते कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जो छोटे छोटे किसान हैं और जिनके पास कम से कम १५ बीघा जमीन है उनके लिये आप इतनी छूट कर दीजिये कि उसे मारकेट वैल्यू उस वक्त जो भी हो उसके अनुसार मुआवजा मिलना चाहिये।

दूसरी बात जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसकी आप जमीन ले लेंगे उस के पास दूसरा धन्धा तो रहेगा नहीं। मुझे दिल्ली के अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात मालूम है। नई दिल्ली बनाने के लिये जमीन एक्वायर की गयी है। जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी थी उनकी आज रिफ्यूजीज़ जैसी हालत हो रही है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आठ सौ गांव उजाड़े गये थे।

श्री नवल प्रभाकर : उनकी हालत आज भी नहीं सुधर रही है। तो मैं चाहूंगा, जैसी कि और सदस्यों ने मांग की है, कि उनकी जमीन के बदले उनको जमीन दी जाये तो बहुत अच्छा होगा। अगर यह कहा जाय कि किसी दूसरी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिये दिल्ली में यह कैसे हो सकता है, तो मैं यह ज़रूर चाहूंगा कि उन को इस तरह का धन्धा दिया जाय कि वे अपने बाल-बच्चों का पेट पाल सकें, अपनी रोज़ी कमा सकें और अपना कारोबार कर सकें।

अगर उन के घर में कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा है, तो उस को नौकरी के विषय में प्राथमिकता देनी चाहिये। अगर उन के पास पैसा है और वे कोई धन्धा करना चाहते हैं, तो उन को कोई परमिट भी दिया जाना चाहिये।

मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह फिर इस पर ठंडे दिल से गौर करें और मुझे आशा है कि किसानों की करुण पुकार उन के हृदय पर ज़रूर असर करेगी।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों की भूमि अर्जित की जाये उनको नकद प्रतिकर न दिया जाय बल्कि दिल्ली की सीमा के ही भीतर उनको उसके बदले कोई अन्य भूमि दी जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यदि सरकार, सभा में इतने भाषण होने के बाद भी, अपनी बात से तनिक भी डिगने के लिये तैयार नहीं तो इन भाषणों का क्या उपयोग है।

आशा है माननीय मंत्री इन बातों पर विचार करके इस महत्वपूर्ण मामले में कुछ सुविधा-जनक उपबन्ध करेंगे।

†**श्री दातार** : इस वाद-विवाद में दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि १ अक्टूबर, १९५५ को निश्चित तिथि न माना जाय। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण जनता के हितों की अवहेलना न की जाये। तीसरी बात उन कृषकों को, जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि है, कुछ विशेष सुविधायें दी जानी चाहियें और डा० सुशीला नायर ने कहा कि क्षतिपूर्ति नकद न देकर भूमि के रूप में दी जानी चाहिये।

जहां तक इन प्रश्नों का सवाल है मैं श्री राने को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार तथा राज्य-सरकारों की नीति यही है कि गरीब लोगों की सहायता की जाय पर यदि किन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित करने में कुछ व्यक्तियों को हानि उठानी पड़े तो इस मामले को एक सामान्य मामला नहीं माना जाना चाहिये।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह विधेयक दिल्ली का विकास करने के लिये है। अतः ग्रामीण जनता और नगर की जनता के बारे में तरह तरह के तर्क उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

हमारी नीति यह है कि ग्रामीण जनता की अधिक से अधिक सहायता की जाय। अतः यह कहना गलत है कि इससे केवल सरकारी नौकरों तथा अमीर लोगों को लाभ होगा। यह सरकार सरकारी नौकरों या अमीरों के लिये ही नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली का विकास करना है और दिल्ली के विकास का अर्थ है जनता की सुविधाओं की वृद्धि। हमें ग्रामीण जनता और नगर की जनता के हितों का तर्क नहीं उठाना चाहिये।

यह सब तो इसलिये हो रहा है कि हजारों घर विहीन व्यक्तियों के लिये मकान की व्यवस्था की जाये। इस बात को ध्यान में रख लिया गया है। पर मुख्य उद्देश्य दिल्ली का विकास है। अतः यदि दिल्ली का विकास करना है तो भूमि तो अवश्य अर्जित करनी पड़ेगी। और यदि भूमि का अर्जन किया जायेगा तो उस भूमि के गरीब मालिक या अमीर मालिक के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा जायेगा।

अतः जहां तक कृषकों के हित का सवाल है वहां तक मुझे भय है कि उनके हितों की रक्षा कर सकना असम्भव है क्योंकि यह पता लगाना सम्भव नहीं होगा कि कौन सा व्यक्ति भमि पर ही आश्रित है और कौन सा व्यक्ति उस भूमि का स्वामी है

दूसरी बात यह है कि हम गरीब किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं? जहां तक दिल्ली या दिल्ली के आस पास के क्षेत्र का सम्बन्ध है सभी किसानों को काम होगा। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें। जहां तक दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों के किसानों का सम्बन्ध है वे दूरस्थ ग्रामीणों की तुलना में अधिक सुविधाजनक तथा लाभदायक स्थिति में है क्योंकि उनके निकट ही दिल्ली जैसा २० लाख आबादी का शहर, अच्छा बाजार तथा रोजगार सुविधायें हैं। अतः हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिये।

अतः भूमि का अर्जन करते समय यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि कौन-कौन से व्यक्ति भूमि पर निर्भर हैं और कौन-कौन से व्यक्ति भूमि पर निर्भर नहीं हैं। कृषकों के अनेक ऐसे परिवार हैं जो कृषि पर निर्भर नहीं हैं। चूंकि वे दिल्ली के निकट रहते हैं अतः उनकी आय के अन्य साधन भीं हैं। यदि हम इन सब बातों का, कि कौन-कौन लोग कृषि पर निर्भर हैं और कौन-कौन नहीं हैं, ध्यान रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम रुक जायेगा। यह बात भी ध्यान में रखने लायक है।

जहां तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है हम नकद क्षतिपूर्ति देंगे। डा० सुशीला नायर ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे सरकार भूमिहीन किसानों को क्षतिपूर्ति में देगी। यदि वे किसान भूमिहीन हो जायेंगे तो उनको वह भी सुविधायें मिलेंगी जो सरकार ऐसे लोगों को देती है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या १ अक्तूबर, १६५५ को इस बात के लिये निर्धारित तिथि माना जायेगा। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि अधिसूचना निकालने की तिथि या अर्जन करने की तिथि भूमि के बाजार भाव को तिथि के अनुसार रखी जाये। बाजार भाव के सम्बन्ध में हमने कई बातों पर विचार किया है जिसमें कुछ बातें ठीक हैं और कुछ अनुचित हैं जैसे कई बार कुछ बातों के कारण मूल्य बेकार बढ़ जाते हैं इसी कारण १ अक्तूबर, १६५५ को निर्धारित तिथि माना गया है। इसी तिथि को दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार स्थापित किया गया था और उसके स्थापित होते ही सट्टेबाजी शुरू हो गयी और सट्टेबाजी शुरू होते ही मूल्य काफी बढ़ जायेगा। अतः यदि इन्हीं कारणों से मूल्य बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा?

भूमि का मालिक या जमींदार भूमि के उचित मूल्य का अधिकारी होगा। यदि १९५५ और १९६० के बीच कोई नवीन या ऐसी-वैसी घटना न हुई हो तो आप यह आशा करेंगे कि प्रस्तावित अधिसूचना या अर्जन की तिथि का ध्यान रखा जायेगा। पर यदि परिस्थितियां बदल जायेंगी तो सरकार को प्रति कर देना होगा जैसा कि सरकार संविधान के अन्तर्गत प्रतिकर दे रही है। पर यह प्रतिकर उचित होगा ऐसा नहीं कि भूमि के मूल्य या उस की लागत से कोई भी सम्बन्ध न रहने वाली परिस्थितियों के आधार पर होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है। अतः हम ने १ अक्टूबर, १९५५ की तिथि ठीक कर ही निर्धारित की है।

गृह-कार्य मंत्री ने आज सुबह बताया कि हम उसे वापस लेने के बारे में विचार कर रहे थे किन्तु आप सभी बातों पर विचार करें तो आप इससे सहमत होंगे कि कई लोगों का यह मत है कि कोई मुआवजा न दिया जाये। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये। हमें इन दोनों का सुवर्ण-मध्य निकालना होगा। मुआवजा यदि दिया जाना है तो वह उचित होना चाहिये।

इसलिये हमारे समक्ष कुछ मानदण्ड रखे गये थे। एक तो यह था कि मूल्य के लिये हमें किसी विशिष्ट तारीख को, अर्थात १ अक्टूबर १९५५, जब दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार की स्थापना हुई थी, लेना चाहिये। यदि इस तारीख के बाद मूल्य में वृद्धि होती है तो वह मूल्य की स्वाभाविक वृद्धि के परिणामस्वरूप नहीं वरन् इस विषय से सम्बन्धित बाह्य परिस्थितियों के कारण होती है। गृह-मंत्री ने ठीक ही कहा कि वह अर्जित आय नहीं है। कोई मालिक मुआवजा लेने का अधिकारी तो है किन्तु वह यह नहीं कह सकता कि चाहे जो भी कारण हों उसे पूरा मुआवजा मिलना चाहिये। इसीलिये हमने यह सिद्धान्त बनाया है कि वह सबके लिये समान होना चाहिये।

एक सिद्धान्त तो था कि १–१०–१९५५ को जो मूल्य रहा हो वह मान लिया जाये। दूसरे यदि अधिसूचना की तारीख को हमें मूल्य और उसमें हुई वृद्धि का पता लगाना है तो हमें यह देखना होगा कि सम्पदा में कितनी वृद्धि हुई है।

किसी माननीय सदस्य ने पूछा था कि आप १९६५ में अर्जन करेंगे और १९५५ के मूल्य को मानकर चलेंगे तो क्या इससे, लोगों की हानि न होगी? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो यह है कि हम कार्य को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिये १९६५ में क्या स्थिति होगी इस बात की तह में हमें न जाना चाहिये। दूसरे, ऐसे सभी मामलों में हमने मूल्य में अतिरिक्त वृद्धि के लिये गुंजाइश रखी है। मान लीजिये कि १९५५ में किसी सम्पत्ति का मूल्य ५०० रूपये था और आज १९५७ में, जब आप उसे अर्जित करें, उसका मूल्य एकाएक बढ़कर १००० रूपये हो जाये तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह ५०० रुपये की वृद्धि उचित है?

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस प्रश्न पर पूर्ण निष्पक्ष भाव से विचार करें। १००० रुपये कत्तई स्वाभाविक मूल्य नहीं है। वह तो अनुमानित मूल्य है जो किन्हीं व्यक्तियों ने पूर्ण क्षेत्र के विकसित होने की संभावना को देखते हुए लगाया है।

इसलिये वह जो कुछ चाहते हैं वह यह है कि जिम्मेदारी उन पर कोई न रहे परन्तु लाभ मिलते रहें। १–१०–५५ के बाजार भाव के आधार पर ही धन राशि नहीं दी जायेगी। हम बढ़ोत्तरी का लगभग २५ प्रतिशत विकास व्यय के लिये दे रहे हैं। इसलिये सम्पत्ति का जितना विकास हुआ हो उसके आधार पर विकास व्यय आदि पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार अक्टूबर, १९५५ के बाजार भाव मालूम हो जायेंगे जो बढ़े हुए मूल्य का एक चौथाई तथा निर्माण अथवा विकास का व्यय होगा। इन तीन बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

[श्री दातार]

इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस पर सावधानी से विचार करें। ऐसा कभी कभी होता है ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। अधिसूचना की तिथि बाजार भाव जानेने की तिथि है। इसलियें, मेरा निवेदन है कि जो सिद्धान्त हमने बनाये हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए यह समझ कर कि कुछ वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े हैं, हम अधिसूचना की तिथि बाजार भाव लेते हैं।

प्रतिकर का प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर हमें बड़ी उदारता से करना चाहिये। हमें विरोधी हितों पर घ्यान रखना चाहिये। परन्तु भुगतान राज्य को ही करना पड़ता है। गरीब किसानों अथवा गरीब मालिकों के साथ साथ हमें इस का भी घ्यान रखना चाहिये।

इस मामले में मैं नम्रता से यह कहना चाहता हूं कि विकास का प्रश्न सब से पहले आता है। दिल्ली के विकास के बिना, हम लोगों को विकास स्थान किस प्रकार दे सकते हैं। यह बेघरबार के व्यक्तियों को घर देने के लिये है। यह सबको समझना चाहिये। केवल पदाधिकारियों अथवा केवल सुन्दरता के लिये दिल्ली का विकास नहीं किया जा रहा है।

हम उपयोगिता की तुलना में सुन्दरता को महत्व नहीं दे सकते। इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संशोधन मैंने किए हैं उनसे सभी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं और वह दिल्ली के विकास के लिये उपयुक्त है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ तथा ६२ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ११, पंक्ति २५, २६, ३० और ३२ में जहां कहीं भी 'authority' ('प्राधिकार') शब्द आये वहां "Central Government" ('केन्द्रीय सरकार') शब्द रखे जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १२ में,

(क) पंक्ति ५ से १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायें।

(*b*) the value of the land shall be taken to be—

(*i*) the market value of the land on the date on which the notice calling upon the owner to show cause why the land should not be acquired is issued under sub-section (2) of section 15 (hereinafter referred to as 'the date of notice') such market value being determined on the basis of the use of the land on that date, or.

†मूल अंग्रेजी में

(*ii*) an amount equal to the sum total of the three following amounts, that is to say, an amount equal to the market value of the land on the first day of October, 1955, such market value being determined on the basis of the use of the land on that date, an amount equal to twenty-five per cent of the increase, if any, (not including, however, any increase consequent on any development carried out on the land) in the market value of the land during the period between the first day of October, 1955, and the date of notice, and an amount which in the opinion of the Collector represents the reasonable cost of development, if any, (including in the case of agricultural land, the cost of any improvement carried out thereon in the course of agricultural operations) carried out on the land during that period.

whichever is less; "

(क) भूमि का मूल्य निम्नलिखित राशियों में से कम वाली राशि माना जायेगा :—

(१) धारा १५ की उप-धारा (२) के अधीन भूमि के मालिक के नाम जिस तिथि को (जिसे एतत्पश्चात् सूचना की तिथि कहा जायेगा) यह सूचना निकाली जायेगी कि वह कारण बताए कि उसकी भूमि क्यों न अर्जित कर ली जाये उस दिन भूमि का जो बाजार भाव होगा भूमि का बाजार भाव इस आधार पर निर्धारित किया जायेगा कि उस समय भूमि का क्या प्रयोग हो रहा है, अथवा

(२) निम्नलिखित तीन राशियों, अर्थात् १ अक्टूबर, १९५५ को भूमि का जो बाजार भाव था उसके बराबर राशि, जब कि बाजार भाव इस आधार पर निर्धारित किया जायेगा कि इस समय भूमि का क्या प्रयोग हो रहा है था ; १ अक्तूबर, १९५५ और सूचना देने की तिथि के बीच की अवधि में भूमि के बाजार भाव में यदि कोई वृद्धि होगी (भूमि पर किसी निर्माण या अन्य निकास कार्य के द्वारा उसके मूल्य में हुई वृद्धि इसमें सम्मिलित नहीं होगी) तो उस वृद्धि की राशि के २५ प्रतिशत के बराबर राशि ; और इस अवधि में भूमि के विकास के लिये व्यय की गयी राशि यदि कोई हो (कृषि भूमि के मामले में, यदि इस अवधि में कृषि सम्बन्धि कोई विकास उस भूमि में किया गया हो) जो समाहर्ता की दृष्टि में उचित लागत हो, उसके बराबर राशि ; उपरोक्त तीनों राशियों के योग के बराबर राशि

(ख) पंक्ति १६ में "(d)" ["(घ)"] शब्द के स्थान पर "(c)" ["(ग)"] शब्द रखा जाये ।

(ग) पंक्ति २२, "(e)" ["(ङ)"] शब्द के स्थान पर "(d)" ["(घ)"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १८ — (क्षति के बंटवारे के बारे में विवाद)

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ १३ पंक्ति २५ में "Authority" ("प्राधिकार") शब्द के स्थान पर "Central Government" ("केन्द्रीय सरकार") शब्द रखे जायें ।

—[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"खण्ड १८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

खण्ड १८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १९— (प्रतिकर का भुगतान अथवा उसका न्यायालय में निक्षेप)

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ १३ पंक्ति २९, ३२ तथा ४० में "Authority" ("प्राधिकार") शब्द के स्थान पर "Central Government" ("केन्द्रीय सरकार") शब्द रखे जायें ।

—[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २०, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २१—(प्राधिकार द्वारा भूमि का निबटारा)

†**श्री कोडियान :** मैं अपने संशोधन संख्या १६, १७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री घोषाल :** मैं अपना संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६, १७ और ५६ मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

संशोधन किए गए:-

(१) पृष्ठ १४, पंक्ति १९ से २७ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(1) Subject to any directions given by the Central Government under this Act, the Authority or, as the case may be, the local authority concerned may dispose of—

(*a*) any land acquired by the Central Government and transferred to it, without undertaking or carrying out any development thereon; or

---

†मूल अंग्रेजी में

(*b*) any such land after undertaking or carrying out such development as it thinks fit,

to such persons, in such manner and subject to such terms and conditions as it considers expedient for securing the development of Delhi according to plan."

["इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन प्राधिकार अथवा, यथास्थिति, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी—

(क) किसी ऐसी भूमि को, जिसका अर्जन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो और जो उसे बिना विकास कार्य किये अथवा बिना विकास कार्य आरम्भ किये, हस्तान्तरित की गई हो, अथवा

(ख) किसी ऐसी भूमि को, जिसमें ऐसा विकास कार्य आरम्भ किया गया हो अथवा कर लिया गया हो, जिसे वह उचित समझे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ढंग से तथा ऐसी शर्तों पर जिनको वह योजनानुसार दिल्ली के विकास के लिए उपयुक्त समझे, दे सकता है।"

(२) पृष्ठ १४ पंक्ति २८ तथा २९ में

"The powers of the Authority with respect to the disposal of land acquired by it under this act.

["इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि को देने के सम्बन्ध में प्राधिकार के अधिकार"] शब्दों के स्थान पर "the powers of the Authority or as the case may be, the local authority concerned with respect to the disposal of land under sub-section (o)"

["उप-धारा (१) के अधीन अर्जित भूमि को देने के सम्बन्ध में प्राधिकार अथवा यथास्थिति सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार के अधिकार"] शब्द रक्खे जायें।

(३) पृष्ठ १४ पंक्ति ३१ में "Land as acquired" ("इस प्रकार अर्जित भूमि") शब्दों के स्थान पर " the land " ["वह भूमि"] शब्द रखें जायें।

(४) पृष्ठ १४ पंक्ति ३२, ३३, ३८ तथा ४३ में " Authority " ("प्राधिकार") शब्द के पश्चात् "or the local authority concerned " ("अथवा सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार") शब्द रखे जायें।

(५) पृष्ठ १५, पंक्ति २ में "Authority" "[प्राधिकार]" शब्द के पश्चात् "or the local authority concerned" ("अथवा सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार") शब्द रखे जायें।

— [श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड २२ से २८ विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २९— (दण्ड)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १८, पंक्ति १२ तथा १३ में जहां कहीं भी "permission" ["अनुमति"] शब्द आये उसके पश्चात् "approval or sanction" ["अनुमोदन अथवा स्वीकृति"] शब्द रखे जायें।

[श्री दातार]

† **उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि,

"कि खण्ड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३० — (मकानों को गिराने के आदेश)

† **श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ १८, पंक्ति ३० में "commenced and completed" [प्रारंभ किया गया तथा पूरा किया गया"] शब्दों के स्थान पर "commenced or is being carried on or has been completed ["प्रारंभ किया गया अथवा बनाया जा रहा अथवा पूरा किया गया"] शब्द रखे जायें।

† **श्री ईश्वर अय्यर :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ १९, पंक्ति २ में "been given an opportunity" ["एक अवसर दिया जाने पर"] के स्थान पर "been given a reasonable opportunity" ["एक उपयुक्त अवसर दिया जाने पर"] शब्द रखे जायें।

† **श्री दातार :** मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १८, पंक्ति ३० में "commenced and completed" ["प्रारंभ किया गया तथा पूरा किया गया"] शब्दों के स्थान पर "commenced or is being carried on or has been completed" ["प्रारंभ किया गया अथवा बनाया जा रहा अथवा पूरा किया गया"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

! **उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९, पंक्ति २ में "been given an opportunity" ["एक अवसर दिया जाने पर"] के स्थान पर "been given an reasonable opportunity" ["एक उपयुक्त अवसर दिया जाने पर"] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३१ — (मकान बनाने को रोकने के सम्बन्ध में प्राधिकार के अधिकार)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १९, खण्ड ३१ के स्थान पर यह रखा जाये :

"31. *Power to stop building operations.*—

(1) Where the erection of any building in any area has been commenced in contravention of the master plan or zonal development plan or without the permission, approval or sanction referred to in section 12 or in contravention of any condition subject to which such permission, approval or sanction has been granted, but such erection has not been completed, the Authority in relation to a development area and the local authority concerned or any officer or authority thereof empowered or authorised in this behalf, in relation to an area other than a development area, may, in addition to any prosecution that may be instituted under this Act, make an order requiring the building operations in relation to such erection to be discontinued on and from the date of the service of the order.

(2) Where such building operations are not discontinued in pursuance of the requisition under sub-section (1), the Authority or, as the case may be, the local authority concerned or the officer or authority thereof authorised or empowered as aforesaid, may require any police officer to remove the person by whom the erection of the building has been commenced and all his assistants and workmen from the place of the building within such time as may be specified in the requisition and such police officer shall comply with the requisition accordingly.

(3) After a requisition under sub-section (2) has been complied with, the Authority or, as the case may be, the local authority concerned or the officer or a uthority thereof authorised or empowered as aforesaid may, depute by a written order a police officer or an officer or employee of the Authority or local authority concerned, to watch the place in order to ensure that the erection of the building is not continued.

(4) Any person failing to comply with an order under sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the non-compliance continues after the service of the order.

(5) No compensation shall be claimable by any person for any damage which he may sustain in consequence of the discontinuance of the erection of any building."

["**३१. भवन निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में अधिकार :**—(१) जहां कहीं भी मास्टर प्लान अथवा जोन विकास योजना के उल्लंघन में अथवा धारा १२ में निर्दिष्ट किसी अनुमति, अनुमोदन अथवा स्वीकृति के बिना, अथवा किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अधीन उक्त अनुमति, अनुमोदन अथवा स्वीकृति दी गई है, भवन निर्माण आरम्भ किया गया हो परन्तु पूरा न हुआ हो, वहां विकास

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र से सम्बन्धित प्राधिकार तथा सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो विकास क्षेत्र न हो इसके निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन चलाये जाने वाले अभियोग के अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि इस प्रकार का भवननिर्माण, उक्त आदेश दिये जाने की तिथि से बन्द कर दिया जाये।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन दिए गए आदेशानुसार भवननिर्माण बन्द न किया जाये, वहां प्राधिकारी अथवा, यथा स्थिति, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी अथवा इसके निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी पुलिस पदाधिकारी को मकान बनाने वाले व्यक्ति को, उसके सहायकों तथा मजदूरों को आदेश में उल्लिखित समय के भीतर हटाने के लिए आदेश दे सकता है और पुलिस पदाधिकारी ऐसे आदेश का पालन करेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन दिए गए आदेशों का पालन होने पर प्राधिकारी अथवा यथा स्थिति, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी अथवा इसके निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी या प्राधिकारी, लिखित आदेश देकर, एक पुलिस पदाधिकारी अथवा प्राधिकार के कर्मचारी अथवा सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को उस स्थान का ध्यान रखने का आदेश दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भवननिर्माण पुनः आरम्भ नहीं हो सकेगा।

(४) उपधारा (१) के अधीन दिए गए आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति को जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो आदेश दिये जाने के पश्चात् उसके पालन की कालावधि में प्रतिदिन २०० रुपये तक हो सकता है।

(५) कोई भी व्यक्ति भवननिर्माण के बन्द हो जाने के कारण हुई हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगा।"]

—[**श्री दातार**]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३३ — (वसूली के पश्चात प्राधिकार को जुर्माने का भुगतान)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २०, पंक्ति ७ में "Authority" ["प्राधिकार"] शब्द के पश्चात् "or, as the case may be, the local authority concerned" ["अथवा यथास्थिति सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी"] शब्द रखे जायें।

— [**श्री दातार**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३४ — (अपराधों का स्वरूप)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २०, पंक्ति ८ में "any person authorised by it [" उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति" [शब्द के स्थान पर "as the case may be, the local authority concerned or any person authorised by the Authority or such local authority" ["यथास्थिति, सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकार अथवा ऐसे प्राधिकार अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति"] रखा जाये ।

— [श्री दातार]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३५ से ४८, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३५ से ४८, विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड ४९— (अभियोग की स्वीकृति)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ २५, पंक्ति १२ में "any officer authorised by the Authority [" प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी"] शब्दों के स्थान पर "as the case may be, the local authority concerned or any officer authorised by the Authority or such local authority" ["यथास्थिति सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी अथवा प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी अथवा ऐसा स्थानीय प्राधिकार"] शब्द रखे जायें ।

— [श्री दातार]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५० से ६० विधेयक में जोड़ दिए गए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १ -- (संक्षिप्त नाम, क्षेत्र तथा प्रारंभ)

श्री ब्रजराज सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पेश करते समय गृह मंत्री महोदय ने बार बार यह आश्वासन दिया था कि यह बिल सिर्फ इस लिये लाया जा रहा है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन जो बनेगा उसके पास बहुत काम होगा, इसलिये हम गवर्नमेंट की तरफ से इस काम को कर रहे हैं और यह काम जो है वह डेवेलपमेंट आथारिटी का स्थायी काम नहीं होने वाला है । मैं इस अमेंडमेंट के द्वारा केवल यह चाहता हूं कि बिल में यह व्यवस्था कर दी जाये कि यह जो ऐक्ट बनेगा वह सिर्फ पांच साल के लिये होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो सरकार की नीति है उसका स्पष्टीकरण हो जायगा । अगर यह स्पष्टीकरण नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि यह चीज़ हमेशा के लिये बनी रहे और स्थायी हो जाये, और फिर जब कोई बात इसके बारे में कही जाये तो यह कह दिया जाये कि अब भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि यह डेवेलपमेंट आथारिटी बनी रहे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने डेवेलपमेंट आथारिटी का जो ढांचा बनाया है वह ऐसा है कि हमेशा ही यह बात कही जायेगी कि इसको स्थायी कर देना चाहिये । तो इस बात को रोकने के लिये यह संशोधन मैं ने दिया है ।

पांच साल का बड़ा अरसा होता है। आप चाहें तो इस अरसे में दिल्ली का विकास भी हो सकता है और म्युनिसिपल कारपोरेशन को भी उस वक्त तक तर्जुबा हो जायगा कि वह विकास का काम कर सके । उसके बाद अगर कोई विकास का काम होगा तो उसको कारपोरेशन कर सकेगा । मैं चाहता हूं कि इसकी मियाद पांच साल कर दी जाये और उसके बाद इसे खत्म कर दिया जाये ।

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान खण्ड ५९ की ओर आकर्षित करता हूं । उसमें दिया है कि "जहां केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाये कि इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकार का उद्देश्य पूरी तरह पूरा हो गया है और इससे अब केन्द्रीय सरकार की राय में प्राधिकार अनावश्यक हो गया है, तो सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर देगी कि प्राधिकार अधिसूचना में दी गई तिथि से भंग कर दिया जायेगा ; और प्राधिकार तदनुसार भंग माना जायेगा ।"

सरकार का उद्देश्य इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का है । उदाहरणतः यदि हम इस कार्य के लिये पांच वर्ष की अवधि स्वीकार करें तो कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार यथासम्भव शीघ्र विचार कार्य पूरा करने को उत्सुक है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया । अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम , विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में ,पारित किया जाये" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिर्फ इस बिल के सिलसिले में दो बातें सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। एक तो यह है कि जिस तरह से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और उसके बाद डी० पी० ए० के दफ्तरों ने दिल्ली के विकास के लिये काम किया और उसी प्रकार से यह डेवेलपमेंट आथारिटी भी चलती रही तो इसको बनाना ही बेकार हो जायेगा। हमें अब भी पूरा डर है कि यह डेवेलपमेंट आथारिटी बहुत अच्छा काम नहीं कर सकेगी।

एक भाई कहते हैं कि पांच साल बाद इसको खत्म हो जाना चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर २५ साल में भी यह काम पूरा हो जाये तो हम गनीमत समझेंगे। यह नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से हमारे दफ्तरों में काम होता है वह बहुत ही अफसोसनाक है। हमें उम्मीद नहीं है कि यह काम ठीक से हो सकेगा जब तक कि मिनिस्ट्री इसकी तरफ खास ध्यान न दे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को स्पांसर किया है। पहले हैल्थ मिनिस्ट्री ने डी० डी० पी० ए० को स्पांसर किया था। उसका बहुत खराब नतीजा निकला। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के डेवेलपमेंट के मामले में किसी दूसरी मिनिस्ट्री का दखल न रहे केवल होम मिनिस्ट्री का दखल रहे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उम्मीद है कि हम ५० पर सेंट कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ दो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। इसलिये मेरी गवर्नमेंट से खास प्रार्थना है कि इसे होम मिनिस्ट्री के मातहत ही रखा जाये।

तीसरा मेरा प्वाइंट यह है कि सारे दिल्ली शहर के डेवेलपमेंट के लिये ही कहा जा रहा है। यह गलत है। यह नहीं होना चाहिये। यह तो सारी दिल्ली के डेवेलपमेंट के लिये है सिर्फ शहर के लिये इसको नहीं बनाना चाहिये। जिस प्रकार से शहर को हिस्सों में बांट बांट कर डेवेलप किया जायेगा उसी प्रकार देहातों को भी हिस्सों में बांट बांट कर डेवेलप किया जाये। अगर शहर के डेवेलपमेंट में एक स्क्वायर मील में एक रुपया लगेगा तो देहात में केवल एक आने से ही काम हो जायेगा।

मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि दिल्ली से जो डिस्प्लेस्ड हुये हैं जिनकी जमीनों पर मकानात बने हुए हैं वे अब तक बेघर हैं, बेजमीन हैं और बेरोज़गार हैं। पिलंजी, जोड़ बाग और कोटला मुबारकपुर के लोग आज भी कमेटी से भयभीत रहते हैं। नई दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटी उनके मवेशियों पर और उनके ऊपर जुल्म ढाती रहती है। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि इन लोगों को सब से पहले रिहैबिलिटेट करना चाहिये। जो लोग पाकिस्तान से ५० लाख की तादाद में आये थे उनको आपने करोड़ों रुपया खर्च करके रिहैबिलिटेट किया। बीसों नई कालोनीज़ बना कर हमने उनको रिहैबिलिटेट किया। इन चन्द हजार आदमियों को भी रिहैबिलिटेट किया जाये। उनको उनके मवेशियों समेत रूरल एरिया में रिहैबिलिटेट किया जाये। इस लिये मेरी यह दरख्वास्त है कि इस डेवेलपमेंट आथारिटी के मातहत एक रिहैबिलिटेशन का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिये जिसमें शहर का स्लम क्लियरेंस भी हो और जो लोग देहात में डिस्प्लेस हो जाते हैं उनको बसाने का इन्तिजाम भी हो। हमारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में जो किसान रूरल एरिया में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, जैसे भाखरा में और दूसरी जगहों में, तो उनके लिये एक रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट अलग खुला हुआ है और उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है। ऐसा यहां भी क्यों न हो। जो कि दिल्ली के शहर के पास सदियों से रहते चले आये हैं उनको बेघर छोड़ दिया जाये यह तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसलिये मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि उनके रिहैबिलिटेशन का काम सब से पहले हमें हाथ में लेना चाहिये। ताकि वे लोग अपने देहात में अच्छे डीसेंट मकानों [illegible] तकें और शहर और देहात की उन्नति के काम में अपना हाथ बटायें।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने १९ वर्ष के अनुभव से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनायें कभी कामयाब नहीं होती हैं। मेरे विचार से दिल्ली विकास विधेयक से ऐसे प्राधिकार की रचना हो रही है जिसके निगम से भी अधिक अधिकार होंगे। जैसे वह मास्टर प्लान तथा खण्डीय योजनायें बनायेंगे। निगम इसके अधीन काम करेगा और निगम केवल प्राधिकार को परामर्श दे सकता है। प्राधिकार के अधिकार नामनिर्देशित में ही अधिक नहीं हैं अपितु उसका पदाधिकारी नियुक्त करने में भी अधिकार अधिक रहेगा। मेरे विचार से इस प्राधिकार द्वारा अधिक गड़बड़ी ही होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्य, जल संभरण, बिजली, मल निस्सारण, मनोरंजन पार्क, सड़क मरम्मत आदि होंगे। मुझे इसमें बड़ा सन्देह है कि निगम तथा प्राधिकार में समन्वय हो सकेगा। मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि बम्बई नगरपालिका निगम का हमारा अनुभव है कि दो प्राधिकारियों का कोई लाभ नहीं होता है। मेरा भी यही विचार है कि मेरे मित्र श्री ब्रजराज सिंह का पांच वर्ष करने का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किराये पर कर (वितरण) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री तिं० त० कृष्णमाचारी) :** मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि कुछ संघ उत्पादन-शुल्कों के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

"कि सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराये पर कर के शुद्ध आगम के एक अंश को राज्यों में वितरित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

पहले विधेयक के द्वारा द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। विधेयक को स्पष्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आयोग की सिफारिशों को सभा जानना चाहेगी।

सभा को याद होगा कि गतमास १४ तारीख को मैं ने आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति तथा आयोग की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाहियों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन सभा-पटल पर रखा था। आयोग की सिफारिशें दो प्रकार की हैं। पहली आय-कर तथा संघ उत्पादन शुल्क के अधीन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के वितरण के बारे में हैं। बाद में राज्य सरकारें भी राजस्व के वितरण से केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्षतः कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी, कुछ शीर्षों के अधीन उस राजस्व के वितरण के सम्बन्ध में है जिस को सुविधा तथा समानता के लिये केन्द्रीय सरकार इकट्ठा करती है परन्तु संघ क्षेत्रों के लिये बहुत कम धनराशि के अतिरिक्त समस्त धन राज्यों को दे दिया जाता है और इन का वितरण संसद् की विधि द्वारा निर्मित सिद्धान्तों के अनुसार होता है। इस से केन्द्र का वित्तीय कोई सम्बन्ध नहीं होता है और इन के वितरण का मामला एकदम राज्यों को अपना मामला होता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

पहले मैं उन सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा जिन का केन्द्र से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध है। आयोग ने राज्यों को दिये जाने वाले आयकर में ५५ प्रतिशत से ६० प्रतिशत कर दिया है। उन्हों ने १४ राज्यों में से ११ राज्यों को दिये जाने वाले सहायता अनुदान को भी १६ करोड़ रुपये वार्षिक से बढ़ा कर ४० करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया है। यह सिफारिश राष्ट्रपति के आदेश से क्रियान्वित होनी चाहिय और यह आदेश अलग से जारी किया जा रहा है।

आयोग ने सिफारिश की है कि वर्तमान व्यवस्था जिस के अधीन दियासलाई, तम्बाकू तथा बनस्पति तेल के उत्पादन शुल्क की कुल आय का ४० प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाता था, के स्थान पर यह व्यवस्था रखी जानी चाहिये कि इन वस्तुओं तथा चीनी, चाय, काफी, कागज बनस्पति तेलों के उत्पादन शुल्क की कुल आय का २५ प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाये। यद्यपि राज्यों का प्रतिशत अंश कम कर दिया गया है परन्तु शुल्कों की संख्या बढ़ जाने से राज्यों को राजस्व में अधिक धन राशि मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस से राज्यों को हस्तान्तरिक अतिरिक्त धनराशि लगभग ७ करोड़ रुपये होगी। इस समय राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में अंश वितरित किया जाता है। वित्त आयोग ने भी इस आधार को रखा है। इन सिफारिशों के अधीन, छोटे छोटे समायोजनों को छोड़ कर जिन के लिये १० प्रतिशत रखा गया है, ९० प्रतिशत धनराशि जनसंख्या के आधार पर वितरित की जायेगी। जो विधेयक मैं ने प्रस्तुत किया है उस से इसी सिफारिश की क्रियान्विति होती है।

दूसरी सिफारिशें वह हैं जिन में कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्तियों पर संपदा शुल्क तथा कुछ दिन पूर्व लगे रेलवे यात्री किराया की कुल आय के वितरण के सम्बन्ध में दिया हुआ है। आयोग द्वारा वितरण के सिद्धान्तों की सिफारिश जिन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और जो आज आर्डर पेपर पर हैं, करने वाले विधेयक के उपबन्धों को मैं संक्षेप में स्पष्ट करूंगा।

जैसा कि मैं ने पहले बताया है, सरकार ने इन साधनों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकर कर लिया है।

राज्यों तथा केन्द्र को देय ऋण के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में पे मेरा विचार है कि इन पर और आगे विचार करना आवश्यक है। यह राज्य सरकारों के सभी ऋण उत्तरदायित्वों को दो ऋणों में एकीकरण के सम्बन्ध में है। एक ऋण १५ वर्ष की समाप्ति पर देय होगा तथा दूसरा १ अप्रैल १९५७ से ३० वर्ष की समाप्ति पर देय होगा। इन प्रस्तावों की जांच आवश्यक होगी। इस प्रस्ताव का आगामी १५ से ३० वर्ष की अवधि में केन्द्रीय वित्तीय स्थिति पर पर्याप्त असर पड़ सकता है। संभव है केन्द्र राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को भविष्य में पूरा न कर सकें तथा जिस का द्वितीय योजना पर तथा संभव्यतया तृतीय योजना पर असर पड़े।

छोटी बचतों के लिये राज्य सरकारों को दिये गये ऋण के भुगतान की शर्तें तय करने की विशिष्ट समस्या है। आने वाले महीनों में इस मामले पर मैं पूर्णतः विचार करूंगा तथा आय-व्ययक सत्र में, मैं वित्तीय आयोग की सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम प्रस्ताव सभा के समक्ष रखने की आशा करता हूं।

मैं जानता हूं कि कुछ भाग में ऐसी भावना फैली है कि आयोग की सिफारिशों से कुछ राज्यों के साथ पर्याप्त व्यय नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के मामलों में हमें एक राज्य के बारे में नहीं सोचना चाहिये अपितु सभी राज्यों का ध्यान रखना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि आयोग के प्रतिवेदन से सभी विद्वान व्यक्ति सन्तुष्ट हो जायेंगे कि आयोग ने राज्यों तथा केन्द्र की आवश्यकताओं को समझा है। और केन्द्रीय राजस्वों तथा अनुदानों के अंशों के वितरण में राज्यों के साथ न्याय किया है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

एक बार, यदि केन्द्रीय सरकार अथवा संसद ने आयोग की मूल सिफारिशों का संशोधन करना प्रारम्भ किया तो सदा संशोधन ही होते रहेंगे क्योंकि इस का संसद् सदस्यों के अतिरिक्त १५ पार्टियों अथवा केन्द्रीय सरकार तथा १४ राज्य सरकारों से सम्बन्ध है। योजना ने सहायता आदि की एकीकृत योजना भी बनाई है और एक चीज में संशोधन करने का अर्थ होगा कि समस्त योजना को दुबारा बनाना ।

सभा यह जानती है कि संसाधनों के हस्तान्तरण का अर्थात् केन्द्र से राज्यों को लगभग ५२ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तथा १९५७–५८ में ३९ करोड़ रुपये देने का, जिस पर असर पड़ेगा वह मैं भारत का वित्त मंत्री ही हूं। परन्तु मेरा विचार है कि जो कुछ भी असुविधायें हों, फिर भी वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिये । । जैसा कि मैं ने बताया अन्यथा हमारे लिये अथवा सभा की किसी समिति के लिये यह असंभव होता है कि विभिन्न राज्यों के लिये वितरण की प्रतिशतता निर्धारित करते । यह कार्य तो एक स्वतन्त्र समिति द्वारा कराना ही उपयुक्त था । इसलिये इन कारणों से सरकार ने योजना को स्वीकार करने का निर्णय किया। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इन विधेयकों पर विचार करते समय इन बातों का ध्यान रखें।

मैं मानता हूं कि उत्पादन शुल्क तथा आवंटित प्रतिशतता निर्धारण में मतभेद हो सकता है परन्तु जैसा कि मैं ने बताया इस विधेयक में कोई संशोधन करने से वितरण की योजना में गड़बड़ हो जायेगी और हम वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सभा इन विधेयकों के बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इन के लिये चार घंटे निर्धारित किये गये हैं जिन में ३।। घंटे सामान्य चर्चा के लिये रखे जाते हैं ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : माननीय वित्त मंत्री ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया कि जो व्यक्ति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार को स्वीकार नहीं करेंगे, उन के लिये यह अनुचित होगा परन्तु मेरा विचार है कि वित्त आयोग की सिफारिशें ही अनुचित हैं। अभी तक दियासलाई, तम्बाकू तथा बनस्पति तेल का संघ उत्पादन शुल्क ४० प्रतिशत राज्यों को दिया जाना था परन्तु अब इन वस्तुओं में चाय, काफी, चीनी, काली मिर्च, तथा बनस्पति वस्तु से बनने वाली वस्तुओं को भी शामिल कर लिया गया है और राज्यों के अंश की प्रतिशतता २५ प्रतिशत कर दी गई है। राज्यों के अंश प्रतिशतता में बताये गये हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि हमें ठीक आंकड़े बताये जाने चाहियें जिस से हमें मालूम हो सके कि राज्यों को कितना लाभ होगा । राज्य सरकारों ने वित्तीय आयोग से इस प्रतिशतता को बढ़ाने की मांग की थी और यह उचित भी था क्योंकि १९५२–५३ में १३ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क के द्वारा ८३.०३ करोड़ रुपये की आय हुई थी। १९५५-५६ में २९ वस्तुयें कर दी गईं जिस से २५९.५७ करोड़ रुपये की आय हुई। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों की प्रतिशतता बढ़ाने की मांग को ठुकरा दिया और केन्द्रीय सरकार ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । मैं यहीं बताना चाहता हूं कि केरल आसाम तथा मेरे राज्य उड़ीसा को इस विधेयक से सन्तुष्ट होना चाहिये । क्योंकि अपने विकास की योजनाओं में उन्हें लगाने के लिये धन चाहिये । सभी राज्यों ने प्रतिशतता को ४० से बढ़ा कर ५० करने की मांग की थी । हम यही जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री ने किन कारणों से उन की मांग स्वीकार नहीं की ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अब मैं विभिन्न राज्यों के वितरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रथम आयोग ने राज्यों को जनसंख्या के वितरण का आधार रखा था और वर्तमान योजना में भी इस को स्वीकार किया गया है। परन्तु इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व हमें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा का समय दिया जाना चाहिये था। मेरा विचार है कि अमेरीका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के फेडेरेशनों ने जनसंख्या के आधार को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि राज्य छोटे और बड़े सभी प्रकार के होते हैं। इसलिये एक राज्य को दूसरे के समान नहीं माना जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तथा आसाम की बहुत कम। इसलिये हमें आशा थी कि वित्त आयोग जनसंख्या के आधार पर राजस्व को वितरण की सिफारिश नहीं करेगा। परन्तु उस ने इस के विपरीत आज्ञा दी।

आज हमें पता लगता है कि राज्यों के अधिकार कम किये जा रहे हैं और वह अपने आप वित्त नहीं ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस का यह उत्तर देंगे कि प्रथम योजना काल में राज्य सरकार उतना धन उपलब्ध नहीं कर सके जितने की उन से आशा की जाती थी परन्तु मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यदि संघ सरकार राज्य सरकारों के रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाती तो सम्भवतया जो स्थिति आज है वह उत्पन्न नहीं हुई होती। मैं एक उदाहरण देता हूं। उड़ीसा में बहुत खनिज निक्षेप हैं और राज्य सरकार खान के ठेकों की रायल्टी दरों का नियंत्रण नहीं कर सकती है। राज्य सरकार ने इस के बारे में वित्त आयोग से शिकायत की है कि यदि रायल्टी की दरों का निर्धारणाधिकार दिया जाता तो बहुत राजस्व इकट्ठा किया जा सकता था।

मद्य निषेध को ले लीजिये। मैं मानता हूं कि संविधान के निदेशक तत्वों में मद्यनिषेध रखा गया है परन्तु इन निदेशक तत्वों में और भी तो विषय हैं उन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस के बारे में लिखा कि इस से राजस्व में बहुत हानि होगी परन्तु उन की कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के मामलों में हस्तक्षेप करती है तो उसे यह भी ध्यान रखना चाहिये कि राज्य सरकारों को अपनी योजनायें पूरा करने के लिये पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये।

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बताया, मैं उन से सहमत हूं कि वित्त आयोग में सभी विशेषज्ञ थे परन्तु उन्होंने समय परिवर्तन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने राज्यों की मांग पर कई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते थे वित्त आयोग इस योजना के इन सभी पहलुओं पर विचार करे। और जनता के आधार पर वितरण के अनौचित्य को समझे।

मैं कुछ आकड़े बताता हूं। उड़ीसा में सन् १९५५ में समाज सेवा पर व्यय प्रति व्यक्ति ३.४ था जब कि बम्बई तथा पश्चिमी बंगाल में क्रमशः यह ७.१ तथा ७.३ था। मैं यही बताना चाहता हूं कि यह असमानता क्यों। क्या यह समाजवाद है। हमें इस आधार पर इन शुल्कों का वितरण करना चाहिये कि जहां से उगाहे गये हैं वहीं न दिये जा कर वहां दिये जायें जहां इन की आवश्यकता हो।

मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं और वह यह है कि जनसंख्या के आधार पर ९० प्रतिशत धनराशि का वितरण किया जायेगा और १० प्रतिशत समायोजनों के लिये रखा जायेगा। हम यही जानना चाहते हैं कि समायोजनों का क्या अर्थ है।

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया (वितरण) विधेयक में, किरायों का वितरण रेलवे के मीलों के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भी मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में ही रेलवे अधिक मीलों में फैली है। और केरल और उड़ीसा राज्यों में कम दूरी में है। इस आधार पर उड़ीसा तथा केरल को क्रमशः १.७८ प्रतिशत तथा १.८१ प्रतिशत दिया जायेगा। जब कि उत्तर प्रदेश को तथा बम्बई को क्रमशः १८.७६ तथा १६.२८ प्रतिशत मिलेगा।

[श्री महंती]

जब हम नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिये कहते हैं तो हम से कहा जाता है कि निधि वही है। परन्तु कुछ बड़े राज्यों में रेलवे का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

वित्त आयोग ने कहा कि उन्होंने उन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने भारत सरकार से ऋण लिये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि बम्बई राज्य की तुलना में उड़ीसा से सूद अधिक लिया गया है। वित्त आयोग ने कहा है कि इस बारे में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किये गये हैं क्योंकि राज्य अपने अंश से इस भार को ही पूरा करेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अपने उत्तर में बतायेंगे कि तब बम्बई को अधिक क्यों दिया जा रहा है।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : मैं इन दोनों विधेयकों का विरोध करता हूं। पहले वित्त आयोग के प्रति दिन की चर्चा के समय बहुत सी बातें कही गई थीं इसलिये ऐसी आशा की जाती थी कि दूसरा वित्त आयोग उन सब बातों पर ध्यान रखेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। संघ उत्पादन शुल्क आठ वस्तुओं पर बढ़ा दिया गया है परन्तु वितरण की प्रतिशतता ४० से घटा कर २५ कर दी गई है। मैं नहीं जानता कि इस के क्या कारण हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारी वित्त व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। और इस समय हमारे राज्य केवल नगरपालिकाओं के समान ही काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री राज्यों को कुछ धन दान रूप में दे देता है और उस से काम चलाने के लिये कह देता है।

मैं इस तरीके का ही विरोध करता हूं। यदि हम ने भारत में लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की जड़ें मजबूत करनी हैं तो हमें विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना होगा। हमें केन्द्रीयकरण से बचना चाहिये। आज यही प्रवृत्ति हमारे देश में प्रबल होती जा रही है।

अब केरल राज्य की वित्तीय स्थिति को ही देखा जाय इस का अपना इतिहास है। पहले यह त्रावनकोर कोचीन राज्य था और आय का साधन भूमि का लगान था। बाद में जो नये कर लगे उन से आय केन्द्र को होने लगी। भला लगान की ही आय से राज्य विकास की नयी योजनायें कैसे आरम्भ कर सकता है। केरल जैसे राज्यों को केन्द्रीय करों से अधिक भाग मिलना चाहिये उन्हें इस की आवश्यकता है। किन्तु वित्त आयोग ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है।

आप रेल के किराये के बंटवारे के प्रश्न को ही ले लीजिये। उन्होंने सिफारिश की है कि मीलों की दर के हिसाब से इस का वितरण होना चाहिये। किन्तु यह होना चाहिये वास्तव में आबादी के आधार पर इसके अतिरिक्त दूसरा आधार भी इसके बारे में हो सकता है किन्तु समाजवादी देश में लोगों के हितों की बात भी सोची जानी आवश्यक होती है।

कई सदस्य केरल के आय-व्ययक के बारे में कहते हैं कि वहां तो घाटा नहीं है यह ठीक है किन्तु वहां हमारे सामने समस्यायें हैं, कठिनाइयां हैं।

जब हम वहां उद्योग धन्धे खोले जाने की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि वहां पर तो रेलवे लाइनें नहीं हैं उद्योग किस तरह सफल होंगे। जब रेलवे लाइनें बनवाने की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि वहां उद्योग नहीं हैं। इसी प्रकार हमारी बातें रद्द कर दी जाती हैं

---

†मूल अंग्रेजी में।

अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि रेलवे लाइन की लम्बाई कम है इस कारण केरल को हिस्सा भी कम मिलना चाहिये । यदि भारत ने ऐसी ही नीति अपनाई तो सारे देश को हानि पहुंचेगी । जब यह कहा जाता है कि उत्तर भारत का ही साम्राज्य है तो ऐसा कहने वालों को पागल बताया जाता है । वास्तव में यह बात केन्द्र को ही देखनी चाहिये कि भारत की सर्वांगीन समूची उन्नति होती है । सभी राज्यों से न्याय होना चाहिये ।

इसलिये मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर ध्यान दें और देश के कमजोर भागों की सहायता करें ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : श्रीमान, आयोग ने इस बात का समुचित ध्यान रखा है कि सभी राज्यों को ठीक ठीक अंश मिलें और बंटवारे के समय उनकी आबादी का ध्यान रखा जाये । श्री मंहती की यह बात सुनकर कि एक राज्य की आबादी बंटवारे का आधार नहीं होना चाहिये मुझे निराशा हुई थी ।

पिछड़े हुए राज्य से मेरा अभिप्राय यह है कि जहां उद्योगों का विकास न हुआ हो और जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों से कम हो । उड़ीसा तथा आंध्र पिछड़े हुए राज्य हैं । यदि आबादी के आधार पर हम बंटवारा करें तो इनको लाभ रहेगा। वास्तव में वित्त आयोग के प्रतिवेदन में भी यही बात है कि ९० प्रतिशत बंटवारा तो आबादी के आधार पर होना चाहिये और १० प्रतिशत किसी अन्य आधार पर ।

आबादी के आधार पर बंटवारे की सिफारिश बड़ी स्वस्थ सिफारिश है । वास्तव में आयोग का तो यहां तक भी विचार है कि आबादी के आधार पर ही शत प्रतिशत बंटवारा होना चाहिये । यही आदर्श बंटवारा होगा । वैसे आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों आदि की बातों पर भी उचित जोर दिया है ।

यदि सभी शुल्कों आदि का वितरण आबादी के आधार पर किया जाता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती । किन्तु रेलवे के भाड़े की रकम का वितरण दूसरे ही आधार पर होगा ।

वास्तव में पहले रेलवे का विकास किसी योजनाबद्ध रीति से नहीं हुआ । अब भी रेलवे का समुचित विकास नहीं हो सका क्योंकि सरकार के पास संसाधनों की कमी है । इस कारण रेलवे लाइन को लम्बाई के आधार पर बंटवारा न्यायोन्वित नहीं है । यह बंटवारा भी आबादी के आधार पर होना चाहिये था ।

जहां तक सम्पदा शुल्क के वितरण का सम्बन्ध है मैं उस बारे में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस का वितरण सम्पदा के स्थान के आधार पर होना चाहिये । अब कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जैसे स्थानों में बहुत सी सम्पदायें हैं क्योंकि वहां कई प्रकार की सुविधायें हैं । इसलिये यह शुल्क जहां सम्पदा है उसी राज्य को मिलना चाहिये ।

चल सम्पत्ति के शुल्क का बंटवारा आबादी के आधार पर होगा तो अचल सम्पत्ति को भी इसी तरीके पर क्यों न रखा गया । यही बात मैं समझ नहीं सका हूं ।

उत्पादन शुल्क के बारे में सभी राज्यों ने यह मांग की थी कि इसके ४० प्रतिशत भाग का वितरन होना चाहिये किन्तु इस सम्बन्ध में कोई विशेष बात न हुई । वित्त आयोग

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[विश्वनाथ रेड्डी]

ने केवल कर एकत्रित किये जाने वाली मदों की संख्या बढ़ा दी है अर्थात् ये मदें ९ से २९ कर दी गई हैं। इनसे २५९ करोड़ रुपया एकत्रित होगा। राज्यों को केवल ७ करोड़ ही मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह अन्याय की बात है। सभा को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिये। और विभक्त होने वाली मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिये।

विधेयकों को प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हम वित्त आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन नहीं कर सकते। या तो उन्हें पूर्णतया स्वीकार करना होगा या फिर अस्वीकार क्योंकि यदि कहीं पर थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाये तो अन्य सभी में गड़बड़ी हो जायेगी। किन्तु यदि ऐसा नहीं हो सकता तो सरकार अनुदान देकर तो यह कमी पूरी कर सकती है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस पर बड़ी सहानुभूति से विचार करेंगे।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि वितरण का प्रतिशत बढ़ा दिया जाये तो ३९.१५ करोड़ के अनुदान जो राज्यों को दिये जाते हैं उनमें कमी करनी पड़ेगी। वास्तव में बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास राज्य तो इस बात का स्वागत करेंगे।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : वितरण यही रखी जाये किन्तु अनुदान ज्यादा कर दिये जायें।

†श्री ति० त० कृष्णमाचारी : रुपया कहां से आयेगा।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : उत्पादन शुल्क की रकम केन्द्रीय सरकार वसूल करती है। राज्य सरकारें वसूली से संबंध नहीं रखतीं। इस कारण यह बात भी संभव है कि वसूली पूरी तरह से ठीक न होती हो। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को भी पूरी पूरी सहायता देनी चाहिये। राज्य सरकारें यह अवश्य देखें कि कहीं पर इनके एकत्रण में कोई त्रुटि न रह जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त आयोग की सिफारिशों से सामान्यत: सभी राज्य संतुष्ट हैं। मुझे आशा है कि सभा भी इन विधेयकों का पूरा पूरा समर्थन करेगी।

†श्री विमल घोष (बैरकपुर) : मैं तो स्वयं इसी दृष्टिकोण का था कि हम पहले वित्त आयोग की सिफारिशों पर पूर्ण विचार करते किन्तु यह विधेयक रखे गये हैं। यह बात भी ठीक है कि यदि अब इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाये तो इससे उलझनें पैदा हो जायेंगी।

यदि आप वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि इनके पीछे कोई विशेष सिद्धान्त दिखाई नहीं देंगे। अब कई राज्यों ने यह कहा था कि आयकर का वितरण इस आधार पर होना चाहिये कि जहां से जितना एकत्रित हो उसी आधार पर इसे बांटा जाये। मैं श्री पुन्नूस को बताना चाहता हूं कि केरल से भी अधिक कठिनाइयां पश्चिमी बंगाल की सरकार को हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

जब आयकर का वितरण आबादी के आधार पर न्यायोचित है तब सम्पदा शुल्क का क्यों ठीक नहीं। जैसे आय समस्त भारत में चीजों का विक्रय करने से होती है उसी प्रकार सम्पदा भी तो उसी आय से खरीदी जाती है इसलिये यह कोई विचार नहीं होना चाहिये कि चूंकि एक जायदाद अमुक स्थान पर है उसका भाग उसी राज्य को दिया जाये।

वातस्व में वित्त आयोग इस बात से संबंधित नहीं था कि कितने प्रकार के उत्पादन शुल्क हैं। उन्होंने सीधा हिसाब लगाया कि सब आय का वितरण किस आधार पर हो।

जब आप उत्पादन शुल्क को लेते हैं तो कपड़े को छोडने का क्या औचित्य है? मेरा विचार है कि वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि कपड़े के शुल्क का वितरण किया जाये। शायद इसकी कुल रकम २९ करोड़ रुपया बने जिसका वितरण हो सकता हो। संभवतया वित्त मंत्री ने जो सात करोड़ के आंकड़े बतलाये हैं वे गलत हैं। वे इसका प्रतिशत बढ़ा सकते थे। यदि इस क्षेत्र में व्यापकता लाई जाये तो भी वित्त आयोग की सिफारिशों से उन्हें अधिक नहीं मिलेगा।

श्री महंती आदि मित्रों ने पिछड़े तथा अविकसित राज्यों की समस्यायें सामने रखी हैं किन्तु इस बात पर तो योजना आयोग विचार कर रहा है। उनकी स्थिति में सुधार करने की व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिशें योजना आयोग कर रहा है। वही यह देखते हैं कि इसको कितने धन की आवश्यकता है। वास्तव में योजना आयोग की स्थापना से वित्त आयोग का कार्य सीमित रह गया है। इसीलिये उन्होंने कहा है कि अब राज्यों तथा केन्द्र के संवैधानिक सम्बन्धों के पुनरीक्षण किये जाने का समय है। जब योजना आयोग राज्यों की आवश्यकताओं को देख लेता है तो फिर उसी कार्य के लिये एक दूसरे आयोग की क्या आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे इस बात पर विचार करें और देखें कि क्या अब वित्त आयोग की स्थिति में उचित रूपभेद करने की। आवश्यकता नहीं है।

१९५२ में तो योजना आयोग ने काम जारी नहीं किया था किन्तु अब स्थिति बदल चुकी है। सरकार को इस स्थिति का कोई हल ढूंढना चाहिये। हम आस्ट्रेलिया की प्रणाली को स्वीकार कर सकते हैं जहां राज्य आवश्यक सहायता के लिये आवेदन देते हैं। पिछड़े राज्यों के बारे में ध्यान से अनुसंधान किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं एक सुझाव इन्हीं के साथ यह भी देना चाहता हूं कि एक निकाय ऐसी होनी चाहिये जो निरंतर राज्यों की आवश्यकताओं की जांच पड़ताल करती रहे। इस सम्बन्ध में दोनों आयोगों ने सिफारिश की है और सरकार को इस बात पर पूरी तरह सोच विचार कर लेना चाहिये।

मैं माननीय वित मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या विचार रखते हैं कि इस वर्ष ४० करोड़ रुपया अधिक व्यय करना होगा।

मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित उन्होंने किया कि पहले ही रेलवे किराये के बारे में कानून ले आयें। इस मामले पर आयोग भी विचार कर रहा था। इस आय में से भी राज्यों को भाग देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यदि माननीय वित्त मंत्री आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करते तो बड़ा अच्छा होता। हम यह जानना चाहते हैं कि इस का संघ के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि योजना के लिये हमारे पास दिन प्रतिदिन रुपये की कमी होती जा रही है। राज्य इस कमी को पूरा करने

[श्री विमल घोष]

के लिये कोई विशेष प्रकार के प्रयास भी नहीं कर रहे हैं । बहुत सा व्यय वह ऐसा करते हैं जो विकास से सम्बन्धित नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि इन बातों का उपचार कैसे होगा । क्या वह कोई उपचार हमें बतायेंगे ?

सेठ अचल सिंह (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं । स्टेट्स को अब तक बहुत कम सहायता मिलती रही है । कुछ चीजों का ४० परसेंट मिला करता था । अब फाइनेन्स कमीशन ने तय किया है कि कुछ और चीजों पर भी २५ परसेन्ट जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य और वक्त लेना चाहेंगे ।

सेठ अचल सिंह : जी, हां ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[दैनिक संक्षेपिका]

(गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२४५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५३	संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रशासन .	२४५१—५३
१०५५	वकीलों की फीस . . .	२४५३—५४
१०५६	सांस्कृतिक कार्य तथा शारीरिक शिक्षा	२४५४—५५
१०५७	भिलाई में सहायक वर्कशाप और छात्रावास .	२४५५—५६
१०५८	दिल्ली विश्वविद्यालय में विस्तार-भाषण . .	२४५६—५७
१०५९	हिन्दी टेलीप्रिन्टर्स . .	२४५७—५८
१०६०	उसमानिया विश्वविद्यालय	२४५८
१०६१	अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह . . .	२४५९
१०६३	मनीपुर में वेतनक्रम . . .	२४६०
१०६६	लन्दन के एक बैंक में भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का धन .	२४६०—६१
१०६७	आसाम में अशोधित तेल के परिवहन के लिए पाइप लाइन .	२४६१
१०६९	अखिल भारतीय गज़ेटियर . . .	२४६२
१०७०	भारतीय इस्पात इंजीनियर . . .	२४६२—६४
१०७१	स्थायी पौंड पावना पर ब्याज . . .	२४६४—६५
१०७२	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् . .	२४६५—६६
१०७३	आगरा के केन्द्रीय आर्डिनेंस डिपो में चोरी . .	२४६७
१०७४	सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा बल का प्रतिवेदन	२४६७—६९
१०७५	पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापक . . .	२४६९
१०७६	बेसिक और प्राइमरी शिक्षा . . .	२४७०
१०७७	स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास . . .	२४७१—७२
१०७८	गढ़वाल का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	२४७२—७३
१०७९	दुगदा और पाथरडीही के कोयला धोने के कारखाने .	२४७३—७४
१०८०	कुतुब मीनार	२४७४—७५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर —	२४७५—२५०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५४	भारतीय साहित्य की "परिचयावली" . .	२४७५
१०६२	आन्ध्र प्रदेश के लिये दी गई विदेशी मुद्रायें . .	२४७६
१०६४	वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड . . .	२४७६
१०६५	हिन्दी का प्रयोग	२४७७
१०६८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त	२४७७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	२४७७—७९
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१५४५ केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क विभाग	२४७९–८०
१५४६ पिछड़े वर्गों का कल्याण	२४८०
१५४७ पी० टी० ओ० रियायत	२४८०–८१
१५४८ जेलों के इंस्पेक्टर जनरलों का सम्मेलन	२४८१
१५४९ केन्द्रीय सचिवालय में विदेशी	२४८१
१५५० मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट	२४८१–८२
१५५१ अण्दमान में बस्तियां बसाना	२४८२
१५५२ स्टैंडर्ड वेट्स एण्ड मेजर्स ब्यूरो ऑफ इंडिया	२४८२
१५५३ केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड	२४८३
१५५४ जम्मू व कश्मीर के लिये शिक्षा अनुदान	२४८३
१५५५ जम्मू व कश्मीर को सहायता	२४८३–८४
१५५६ जम्मू व कश्मीर को वित्तीय सहायता	२४८४
१५५७ छोटा नागपुर में बहुप्रयोजनीय योजनाएं	२४८४
१५५८ युद्ध–सामग्री कारखानों में पदोन्नति	२४८४–८५
१५५९ युद्ध-सामग्री कारखानों में ओवरटाइम कार्य	२४८५
१५६० युद्ध–सामग्री कारखानों में असैनिक काम	२४८५
१५६१ आन्ध्र प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्र	२४८५–८६
१५६२ अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा	२४८६
१५६३ सांची के स्तूप	२४८६
१५६४ कोयला उत्पादन की वृद्धि का कार्यक्रम	२४८६—८८
१५६५ लोह अयस्क के निक्षेप	२४८८
१५६६ माध्यमिक शिक्षा में गवेषणा	२४८८
१५६७ योग्यता छात्रवृत्तियां	२४८९
१५६८ अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती	२४८९–९०
१५६९ अन्तर्समवाय विनियोजन	२४९०
१५७० प्रबन्धक–अभिकर्ताओं की नियुक्ति	२४९१
१५७१ अफीम का तस्कर–व्यापार	२४९१
१५७२ अनुसूचित जतियों के लिये गृह–निर्माण	२४९१–९२
१५७३ दीवानी और फौजदारी मुकदमें	२४९२
१५७४ गबन के आरोप पर पदच्युति	२४९२
१५७५ अन्दमान में तामिल स्कूल	२४९२
१५७६ संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रविधिक सहायता कार्यक्रम	२४९२–९६
१५७७ खनिज पदार्थों की खोज	२४९३
१५७८ इम्फाल में बुनियादी प्रशिक्षण संस्था	२४९३
१५७९ मनीपुर में एक–अध्यापक संस्थायें	२४९४
१५८० चोरी छिपे ले जाये गये नोट	२४९४
१५८१ गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस	२४९४–९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१५८२	गवर्नमेंट सीक्योरिटी प्रेस, नासिक	२४६५
१५८३	गोआ और दमन सीमा पर पुलिस	२४६५
१५८४	अनुसूचित जातियां	२४६५
१५८५	सामान्य भविष्य निधि	२४६६
१५८६	जीवन बीमा पालिसियां	२४६६
१५८७	हिन्दी शीघ्र लिपिक	२४६६–६७
१५८८	दिल्ली में गैर-सरकारी शिक्षा संस्थायें	२४६७
१५८९	दिल्ली के हायर सेकेन्ड्री स्कूल	२४६७–६८
१५९०	पंजाब में चांदमारी के मैदान	२४६८
१५९१	चूने के निक्षेप	२४६८
१५९२	जन शक्ति निदेशालय	२४६९
१५९३	हिमाचल प्रदेश में अतिवयस्कता प्राप्त कर्मचारी	२४६९
१५९४	भारती संस्था (इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलौजी)	२५००
१५९५	गोलाबारूद कारखाना, किरकी	२५००
१५९६	अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	२५००–०१
१५९७	राजस्थान को सहायता	२५०१
१५९८	राजस्थान में बहुप्रयोजनीय स्कूल	२५०१
१५९९	भोपाल में प्राप्त वस्तुएं	२५०२
१६००	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग	२५०२
१६०१	वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद का कर्मचारी संघ	२५०२
१६०२	मनीपुर में मकान किराया भत्ता	२५०२–०३
१६०४	जम्मू और काश्मीर में तोड़फोड़ की कार्यवाही	२५०३
१६०५	मनीपुर में नागा विद्रोही	२५०३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५०३–०४

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९५५ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १७४३ की एक प्रति।

(२) केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा उत्पादन) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६१३ की एक प्रति।

(३) दूसरी लोक-सभा के दूसरे सत्र के बारे में "पालियामेंटरी कमेटीज— ए समरी आफ वर्क" पत्रिका की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
राज्य-सभा से सन्देश	२५०४
सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त सन्देशों की सूचना दी कि राज्य-सभा ने अफीम विधि (संशोधन) विधेयक, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, और कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, को जिन्हें लोक-सभा ने २९-११-५७, ४-१२-५७ तथा ५-१२-५७ को पारित किया था बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।	
सचिव ने यह भी बताया कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा ४ दिसम्बर, १९५७ को पारित किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, १९५७ के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है। .	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२५०४-०५
श्री जगदीश अवस्थी ने म्योर मिल्स, कानपुर के मजदूरों की 'भीतर-रहो' हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया।	
श्रम उपमंत्री ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
समिति के लिए निर्वाचन . .	२५०५
शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए एक सदस्य लोक-सभा के सदस्यों में से चुना जाये।	
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
विधेयक पुरःस्थापित . .	२५०५-०६
नागरिकता (संशोधन) विधेयक, १९५७	
विधेयक पारित	२५०६—५८
दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया गया।	
विचाराधीन—विधेयक	२५५८—६६
वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने प्रस्ताव किया कि संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक, १९५७ और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किराये पर कर (वितरण) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाये।	
चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि	
संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण), विधेयक, १९५७ और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किराये पर कर (वितरण) विधेयक, १९५७ पर और आगे विचार तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प।	